Sixth Series, No. 6

Thursday, March 31, 1977
Chaitra 10, 1899 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

First Session
(Sixth Lok Sabha)

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi
Rs:2.00

CONTENTS

Thursday, March 31, 1977/*Chaitra* 10, 1899 (*Saka*)

	COLUMNS
Papers laid on the Table	2—4
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
Reported arrests made in connection with alleged transmission of important and classified information to Intelligence Agencies of certain foreign countries.	4—14
Statement on some aspects of Postal and Telecommunications Service—	
Shri George Fernandes	15—18
Statement *re.* Derailment of Mangalore-Madras Express at Sevur Railway Station—	
Prof. Madhu Dandavate	18—19
Matter under Rule 377—	
Reports that June, 1975 Proclamation of Emergency was issued without Council of Ministers' advice	19—21
Finance Bill, 1977—	
Motion to consider—	
Shri H. M. Patel	21—23
Shri Bashir Ahmed	23—24
Clauses 2 to 5 and 1	25—35
Motion to pass—	
Shri H.M. Patel	35
Motion of Thanks on the Address by the Vice-President acting as President	35—168
Shri Karpoori Thakur	36—50
Shri K.S. Hegde	50—70
Shri Yashwantrao Chavan	71—83
Shri Jagdish Prasad Mathur	98—107
Shrimati Ahilya P. Rangnekar	107—18
Shri Sushil Kumar Dhara	118—27
Shri J. Rameshwara Rao	127—33
Shri Yadvendra Dutta Dubey	133—46
Shri O. V. Alagesan	146—56
Shri Yamuna Prasad Shastri	156—68

LOK SABHA

Thursday, March 31, 1977/Chaitra 10, 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Since there is nobody here to take the oath, may I draw your attention to the Motion I gave on the 28th? You were kind enough to ask me to wait for two days....

MR. SPEAKER: I will see later on.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: But today is the third day: I would like to have an observation from the Chair in this regard.

MR. SPEAKER: You cannot raise this question now.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You may kindly note that today is the third day.

MR. SPEAKER: It may be the third day or it may be the fifth day, but until I call you, you should not get up.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: My Motion is there and your direction is there.

MR. SPEAKER: I will call you when I am ready.

11.02 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER CARDAMOM ACT

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): On behalf of Shri Mohan Dharia I beg to lay on the Table a copy of the Cardamom (Amendment) Rules, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 2898 in Gazette of India dated the 20th November, 1976 under sub-section (3) of section 33 of the Cardamom Act, 1965, [*Placed in Library. See* No. LT-15/77].

NOTIFICATIONS UNDER GENERAL INSURANCE BUSINESS (NATIONALISATION) ACT NOTIFICATIONS UNDER EMERGENCY RISKS (GOODS) INSURANCE ACT, EMERGENCY RISKS (UNDERTAKINGS) INSURANCE ACT, INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION ACT, AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT

SHRI H. M. PATEL: I beg to lay on the Table:—

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 17 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972:—

(i) The General Insurance (Rationalisation and revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Second Amendment Scheme, 1976 published in Notification. S.O. 4466 in Gazette of India dated the 27th November, 1976.

[Shri H. M. Patel]

(ii) The General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 1976, published in Notification No. S.O. 761(E) in Gazette of India dated the 1st December, 1976.

[*Placed in Library. See* No LT-16/77].

(2) A copy of the Emergency Risks (Goods) Insurance (Fifth Amendment) Scheme, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 792(E) in Gazette of India dated the 14th December, 1976, under sub-section (6) of section 5 of the Emergency Risks (Goods) Insurance Act, 1971. [*Placed in Library. See No. LT-17/77*].

(3) A copy of the Emergency Risks (Undertakings) Insurance (Sixth Amendment) Scheme, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 793 (E) in Gazette of India dated the 14th December, 1976, under sub-section (7) of section 3 of the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Act, 1971. [*Placed in Library. See* No. LT-17/77].

(4) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Industrial Finance Corporation of India for the year ended the 30th June, 1976 along with the statement showing the Assets and Liabilities and Profit and Loss Account of the Corporation, under sub-section (3) of section 35 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948. [*Placed in Library. See* No. LT-18/77]

(5) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Industrial Development Bank of India together with the Audited Accounts of the General Fund and the Development Assistance Fund for the year ended the 30th June, 1976, under sub-section (5) of section 18 and sub-section (5) of section 23 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964.

[*Placed in Library. See* No. I - 19/77].

11.05 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED ARRESTS MADE IN CONNECTION WITH ALLEGED TRANSMISSION OF IMPORTANT AND CLASSIFIED INFORMATION TO INTELLIGENCE AGENCIES OF CERTAIN FOREIGN COUNTRIES

श्री श्याम सुन्दर दास (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस बारे मे एक वक्तव्य दें :

> "कुछ विदेशों के दूतावासों के माध्यम से उन की गुप्तचर एजेंसियों को आर्थिक और सामरिक महत्व की महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी दिये जाने के बारे में की गई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां के समाचार।"

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH): Sir, the espionage activities referred to in the Calling Attention Notice are under investigation. For reasons of security, however, it would not be in public interest to disclose the facts at this stage.

श्री श्याम सुन्दर दास : अध्यक्ष महोदय, आप को निश्चित रूप से स्मरण होगा कि आज से करीब साल, डेढ़ साल पहले डीसूजा, जो प्रैस सूचना विभाग के डायरेक्टर रह चुके थे, इसी आरोप में गिरफ्तार किये गए थे और

न्यायालय ने उन्हें 12 वर्ष की रिगोरस इम-प्रिजनमेंट की सजा दी थी । 26 मार्च के फ़िनांशल एक्सप्रेस में दिबिगेस्ट एवर एसपायनेज केस" के शीर्षक से इसी केस का जिक्र किया गया है कि आजादी के बाद यह पहला मौका है कि इंटलिजेंस ब्यूरो ने यह जान लेने के बाद कि इस देश मे श्रीमती इन्दिरागांधी की हुकूमत नहीं रह गई है, यह हिम्मत की कि एक दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन मे योजना आयोग के तीन वरिष्ठ पदा-धिकारी शामिल हैं । उन व्यक्तियों मे पूर्वी योरुप के एक दूतावास में काम करने वाली पूर्वी योरूप की एक महिला भी है, जो एक भारतीय व्यापारी की पत्नी है ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ पेपर मे आया है वही आप बोल रहे हैं ।

श्री श्याम सुन्दर दास : मैं आपके माध्यम से अति महत्वपूर्ण बात की जानकारी दे रहा हूं जिस ओर प्रस का ध्यान आकृष्ट किया लेकिन संयोगवश अभी तक सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया । आप को स्मरण होगा कि विली ब्रांट जो पश्चिमी जमनी के चांसलर रह चुके हैं, उनके निजी सचिव भी इसी तरह पूर्वी जर्मनी की सरकार को कुछ सूचना देने के आरोप मे पकड़े गए तो विली ब्रांट ने चांसलर पद से इस्तीफा दिया । भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री यशवत राव बलवंत राव चव्हाण जो प्रतिपक्ष के माननीय नेता हैं, के निजी सचिव भी इस आरोप में गिरफ्तार किए गए । ये सारे के सारे लोग सी आई ए जो अमेरिका की एजेंसी है और के जी बी जो सोवि-यत रूस की एजेंसी है इन दोनों महाशक्तियों की गुप्तचर एजेंसियों को अति महत्वपूर्ण सामरिक और आर्थिक सूचनाएं प्रास्पेक्टिव प्लानिंग आयरन ऐंड स्टील, एलेक्ट्रिसिटी, केमिकल ऐंड फर्टिलाइज़र आदि के संबंध मे प्रस्तुत करते रहे हैं । मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के माननीय नेता से भी अपेक्षा करता हूं कि वे कम से कम एक परसनल एक्स-प्लेनेशन दें क्योंकि विली ब्रांट ने फोन पर इस्तीफा दिया था । अगर यह आरोप सत्य सिद्ध होता है कि उनके सचिव का संबंध इस केस से है और यह उनकी जानकारी में था तो शायद इस सदन को अधिकार है कि वह उन्हें इस सदन की सदस्यता से वंचितक सके ।

दूसरी बात मैं दुख के साथ कहता हूं कि गृह मंत्री आड़ लेते हैं कि लोक हित मे इसे प्रकट करना उचित नहीं होगा । संसार का सर्वोच्च जनतंत्र अमेरिका है । वहां आज निक्सन के बाद जिमी कार्टर का शासन आया है । जिमी कार्टर ने घोषणा की है कि कैबिनेट की मीटिंग में भी वे प्रस का एलाऊ करेंगे । यह अमेरिकन डेमोक्रेसी की स्पिरिट है ।

MR. SPEAKER: You are making a speech.

SHRI SHYAM SUNDER DAS: I am not making a speech. I am only making a submission through you to the hon. Minister of Home Affairs not to resume the old practice of the Indira Gandhi Government of taking Shelter behind 'public interest'.

अब हिन्दुस्तान में प्रपंच और झूठ की राजनीति चल नहीं सकती । इस सदन को विश्वास में लेना होगा और मैं मांग करता हूं कि एक परसनल एक्सप्लेनेशन लीडर आफ दी अपो-जीशन दें ।

दूसरी मांग मेरी यह है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बने जिस में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के लोग रहे और यह जो संसार की महाशक्तियां हिन्दुस्तान को बराबर कमजोर बनाए रखना चाहती हैं, एक तरफ इंडो सोवियत ट्रीटी भी है और दूसरी तरफ अति महत्व की हमारी सूचनाएं खरीदी जा रहीं हैं अमेरिका की ओर से और सोवियत रूस की ओर से, इस चीज को देखा जाए । इस सदन मे कुछ ऐसे भी सदस्य है जिनको सी आई ए नजर

[श्री श्याम सुन्दर दास]

आता है लेकिन उन को के जी बी नजर नहीं आता है। आज शंकर दयाल शर्मा जी यहां नहीं है जिन्हें आन्दोलन के पीछे सी० आई० ए० नजर आता था। ०००० (व्यवधान)

मेरी तीसरी मांग आप के माध्यम से यह है कि सरकार रूस और अमेरिका को नरमी के साथ, पोलाइटली यह वार्निंग दे कि अब नई जनता सरकार इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा रिश्ता रूस और अमेरिका से बराबरी का होगा। हम दरिद्र हैं धन से लेकिन चरित्र से नहीं।

चौधरी चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मित्र के पास जो सूचना है अगर मुझे देने की कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं उस का फायदा उठाने की कोशिश करूंगा। बाकी जो आप ने कहा कि कैबिनेट में पिटिशन वगैरह बुलाई जाए तो मेरा कहना आप को यह है कि पहले इस हाउस में बुलाना शुरू कीजिए।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): This is a very big CIA case. But I would like to make it clear that, if foreign intelligence agencies are involved, they should also be firmly dealt with. In our country's internal affairs, we would not tolerate such an espionage activity from any quarter. It is an outcome of the erstwhile Prime Minister Shrimati Indira Gandhi's and her Government's attitude. I quote from a clipping of 1972:

> "A demand by Opposition leaders that the Government shou'd set up a Parliamentary Committee to inquire into CIA activities in depth or publish a white paper on the subject was today rejected by the Prime Minister Shrimati Indira Gandhi."

This is the position. Thanks to the press, they have revealed it, and it is good that these things are revealed, so that people come to know and Government also could be brought to the position where they can take steps.

This was a question put by me on the 13th December, 1972:

> "whether American Columnist Jack Anderson had revealed in one of its articles the links between ITT and the CIA in some cloak and dagger exploits allegedly carried out in Latin America; and if so, the Government's reaction thereto."

The reply is:

> "(d) and (e). Government are aware of the recent disclosures in the American Press of the links between CIA and the ITT and due note has been taken thereof."

ITT has a big ramification in this country. They were in collaboration with the erstwhile Government.

Here is a very big case and which is the firm involved? I would not say anything involving the security of the country: I assure you, Sir, and the people in power. The firm is LURGI India Ltd., it is one of the largest importing firms of civil engineering equipment and their office is in a building owned by Birlas in Delhi. The Managing Director is of German origin but a Swiss citizen. I would like to know from the Home Minister whether it is a fact that he is wanted in Germany for war crimes and that he is a declared fugitive. Is it also a fact that he is friendly and pally with our ex-Prime Minister's son, Sanjay Gandhi? Is it also a fact that he had some connection with Piper plane business in this country?

Some twelve or thirteen persons were arrested in connection with the case. One is Shri R. P. Varshnoi, Director, Metals, Planning Commission, formerly of Defence Ministry, a sensitive Ministry as far as the security of the country is concerned. There was a raid in his house and a number of microfilms of documents, apart from cash, were found. It is a

very serious matter. Foreigners visited him quite frequently and he was very often out for lunch etc. in luxury hotels. Who paid for this? This has to be found out by Intelligence.

Another person arrested was Shri Mahavir Prasad, former Additional Private Secretary of the erstwhile Foreign Minister, Shri Chavan. Is it also a fact that because of this action, some pressure was put on him before the elections? I am not blaming or involving Shri Chavan at all, but I would like to know, if it is a fact that somebody in his party tried to put pressure using this as a handle.

Shri Varshnoi was teaching in ITT, Kharagpur, which received huge aid from USA. Another accused is Shri K. K. Sarin, Director of Perspective Planning. What are thes seizure when the raid was carried out in his house? The other arrested persons are Shri Pannikar, Senior Research Officer in the Health Unit, Shri Eknath Choudhury, Senior Officer (Metals), STC, and some officers of MMTC and Steel and Mines Ministry.

A Canadian-USA firm, Metchew, had been given contract for Kudremukh along with Bechtal (of the pipeline scandal) which was revealed by the Takhru Commission. The operation is controlled by a CIA man with an assumed name, Tedler, if I am right. Let the Home Minister confirm or deny this. Besides other things, they wanted to know the details of special metals used for MIG and other important defence equipment. I would like to tell the House how they operate. The scrapping of the factory that was producing aircraft in a particular country was sold to an outsider. Those were melted and used for making coat hangers. These coat hangers were used in an aircraft. They bribed the sweeper; the coat hangers was thrown in the waste paper basket. They picked it up, analysed the metal to see whether that metal could cause vibration and whether that metal could stand the metal fatigue that any aircraft would develop. That is the way they work.

I would also like to know if some officers of the United States Wing of the External Affairs Ministry are also involved. Let this be confirmed or denied. Is it also a fact that Shri Jagat Mehta, Secretary-General of the External Affairs Ministry, tried to stop publication of this? Did he make such a request in the name of national interest? I would also like to know the names and details of the U.S. diplomats declared person non-grata in recent months. Some time ago, under some pressure, the erstwhile Government had ordered a probe into the conduct of the foreigners working for foreign firms in India. I would like to know the outcome from the Home Minister and the External Affairs Minister. May I know who are the liaison men who work for the Government of India undertakings and big firms and who got special photo passes from the Home Ministry? I would like to know how many passes have been issued and how many withdrawn during the last three months.

I would like to come to one or two things more....

MR. SPEAKER: You want to exhaust all your papers. You are expected to ask only one question. Now, please conclude.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The **New York Times**, in its issue dated 10th May, 1975 has clearly indicated that the multi-national corporations in India, viz., the Union Carbide, Hindustan Levers, Liptons, Firestone, etc. are on the pay-roll of CIA and they do get paid in dollars and that money goes straight into their pockets. Let the Home Minister inquire and find out.

I would like to know about the Boeing deal—the commission taken by certain big persons and certain parties. What were the conditions and the consideration?

[Shri Jyotirmoy Bosu]

Burmah-Shells also have admitted that they have paid commission to Indian officials, etc.

Bechtel, that notorious firm, has been given contracts in Kudremuch within the country.

Sir, there are big former officials on the pay of foreign firms. These are all very dangerous things.

MR. SPEAKER: Now, please allow the Minister to say something.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I will take only one more minute.

The previous Government has entered into a contract with the American firm, International Dynamics. For what? For providing electronic surveillance of the Indo-China border...

MR. SPEAKER: How does it arise?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The involvement of foreign espionage at every level of our life—at the official level, at the political level, at the commercial level and at every level...

MR. SPEAKER: It is only calling attention to a particular subject How is it connected? Please now conclude.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have put this specific question. I would like the hon. Minister or any other Minister who is now in charge of these things to tell us whether it is a fact or not and what are the specific details and information and what specific preventive measures they are going to take.

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि इस वक्त सदन के सामने जो प्रश्न है, वह बड़ा गम्भीर और व्यापक है, लेकिन जब तक उसके बारे में तहकीकात पूरी नहीं हो जाएगी – माननीय सदस्य जो अभी बोल चुके है, वे भी इस बात से सहमत होंगें —कि यह जनहित में नहीं है कि वे बातें खोल दी जाएं वरना इसका इनवेस्टीगेशन सहीं नहीं हो सकेगा। जैसे ही इन्वैस्टीगेशन कम्पलीट होगा, मैं सदन के सामने सारे कान्क्लूजन्ज और रिजल्ट्स रख दूंगा।

दूसरी बात — माननीय सदस्य ने और भी बहुत सी शिकायतों का जिक्र किया है, मैं आप के जरिए उन से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वे सारी सूचनाएं मेरे पास भेज दें और मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट उन पर जो भी कार्यवाही करेगी उसके बाद उनकी कोई शिकायत नहीं रहेगी।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय हम दुनियां के सभी देशों से अच्छे सम्बन्ध चाहते हैं, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि हमारे देश की स्वतन्त्रता में और अन्दरुनी मामलों में कोई देश हस्ताक्षेप न करे। इस लिए यह जो एस्पाएनेज का केस है, यह भारत के इतिहास में सब से बड़े केसेज में से एक है। इसके अन्दर करीब एक दर्जन आफीशिवल्ज और मिनिस्टर के पी० ए० और कुछ मल्टीनेशनल कम्पनीज भी इन्वाल्वड है। आश्चर्य यह है कि आर० पी० वार्ष्णय जो डायरैक्टर (मैटल्ज) प्लानिंग कमीशन में हैं, वे सी० आई० ए० और के० जी० बी० दोनों के एजेन्ट है, यह एक अजीब मिश्रण है कि वे दोनों से पैसा ले रहे थे और दोनों को इन्फर्मेशन पास कर रहे थे। आप इस बात को भी जानते हैं कि ये बड़ी बड़ी ताकतें जैसे यू० एस० ए० एक साल में 6 बिलियन डालर्स एस्पाएनेज पर खर्च करता है। इसी तरह से के० जी० बी० भी करोड़ों रुपए खर्च करता है। हमारे देश की सिक्योरिटी के बारे में एक किताब निकली है — सी० आई० ए० – दि कल्ट आफ इन्टेलिजेन्स—इस

किताब में लिखा है कि नार्थ इण्डिया में सी० आई० ए० एक्टिविटीज और के० जी० बी० एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। इस लिए मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं—

1. क्या यह सही है कि दो अमरीकन्ज को भारत सरकार ने हिन्दुस्तान से बाहर निकाल दिया? इसके बारे में अमरीकन एम्बेसी ने कोई कमैन्ट नहीं किया है, यह बात अखबार में निकली है?

2. क्या इसमें कुछ मल्टीनेशनल कम्पनीज, जिनमें "लुगी इण्डिया" तो शामिल है ही, इसके अलावा भी कुछ अन्य कम्पनीज इन्वाल्व्ड है?

3. मैं विदेश मंत्री महोदय से यह सवाल पूछना चाहता हूं — क्या वे इस चीज पर विचार करेंगें कि इस सवाल को इन्टरनेशनल लेवल पर उठाया जाए और दूसरे देशों से सम्पर्क किया जाए कि इस तरह की एक्टिविटीज एक देश दूसरे देश में न करे। इस तरह का कोई कोड दुनिया के सामने बनना चाहिए।

4. आखरी सवाल — हमारे देश में इस तरह की एक्टिवीटीज बन्द हों —इस के लिए सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है?

क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की जो इटेंलिजेंस थी, वह अपोजीशन के ऊपर लगी हुई थी। अब देश की सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंस लगाई जाए, इस प्रकार की व्यवस्था क्या सरकार कर रही है?

चौधरी चरण सिंह: , अध्यक्ष महोदय, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं उसी को दोहराते हुए एक वाक्य और एड करना चाहता हूं और वह यह है कि जब माननीय मित्र मुझसे बात कर लेगें और उस पर जो गर्वनमेंट कार्यवाही करेगी, तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि उन्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी और उनको यह मानना पड़ेगा कि गर्वनमेंट जितनी कार्यवाही कर सकती थी, उतनी उसने की।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, I want to raise the point about release of detenus. I want to darw the attention of the House to this important matter. I have given notice.

MR. SPEAKER: We pass on to the next item of the Agenda.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have no information whether you have disallowed it. This is a very important matter, regarding release of political prisoners.

MR. SPEAKER: You cannot get up and say such things whenever you like.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampure): In the other House it has been mentioned and the Minister replied.

MR. SPEAKER: I am on my legs. You cannot just get up and shout like this.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I wrote to you, Sir.

MR. SPEAKER: Everyday I get hundreds of letters or notices. It does not mean that you can get up every time and say these things. If other Members also who send such notices get up and start speaking about it, there will be no end to it. No I am sorry. This is not at all proper. Please don't do it. The House is for all the 542 Members, not for one Member alone. Please don't do it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Right, Sir. I will wait till tomorrow.

MR. SPEAKER: No. Unless I admit it, I will not allow anything. We pass on to the next item.

11.23 hrs.

STATEMENT ON SOME ASPECTS OF POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS SERVICE

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : महोदय, संचार मंत्री के पद का भार ग्रहण करने के उपरान्त मैं सदन को नीति संबंधी कुछ परिवर्तनों की मोटी रूपरेखा से अवगत कराना चाहता हूं जिन्हें लागू करने का मेरा विचार है । यद्यपि मैंने डाक और तार विभाग में जिन बातों को प्राथमिकता अब तक दी गई है उनका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है तथापि इस समय मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं डाक और दूर संचार सेवाओं का गांवों में विस्तार करने पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं । पहाड़ी जनजातियों और पिछड़े हुए इलाकों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इन्हें विशेष प्राथमिकता दे दी जाएगी ।

इस समय हमारे देश के 6.8 लाख गांवों में से 31,890 (4.63 प्रतिशत) गांवों में दैनिक डाक योजना का विस्तार नहीं है । मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि इस वर्ष देश के सभी गांवों में दैनिक डाक वितरण योजना लागू हो जाय । गांवों में और छोटे कस्बों में 100 से अधिक डाकघर की इमारतें बनाई जाएंगी इस से वहां काम करने वाले कर्मचारियों को काम करने की अधिक सहूलियत होगी और डाकघर में जो जनता जाती हैं उसको बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी ।

अब तक ग्रामीण पोस्ट मैनों और विभागतर डिलीवरी एजेंटों के द्वारा रजिस्ट्री वस्तुओं की बुकिंग की सुवधा सिर्फ महाराष्ट्र डाक सर्किल में उपलब्ध थी । अब इस सुविधा का दूसरे सर्किलों में डाकघरों में भी विस्तार किया जाएगा और देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी ।

जहां तक दूर संचार सेवा का संबंध है ब्लाक मुख्यालय और इस से ऊपर के स्तर के स्थान ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की धुरी है । इसकी संख्या 7,653 है । अब तक ऐसे 1127 स्थानों में टेलीफोन की सुविधाएं नहीं हैं और 968 स्थानों में तार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि आगामी वित्तीय वर्ष में इन सभी स्थानों में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाय ।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम दिल्ली में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग को चार राज्यों की राजधानियों--बंगलोर, भुवनेश्वर, कलकत्ता और कोहिमा को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (एस०टी०डी०) के जरिए आज जोड़ने जा रहे हैं ।

देश के दूसरे दो महानगर बम्बई और कलकत्ता भी आज रात से एस०टी०डी० के जरिए जुड़ जाएंगे । आज ही दूसरे मार्गों जैसे दिल्ली, भिवानी, अम्बाला और दिल्ली में भी ये सेवाएं आज से दी जाएंगी । उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा के जरिए दूर संचार की सेवाएं ज्यादा तेजी से मिलती हैं और इस प्रकार देश की एकता मजबूत होती है ।

देश के 96 नगरों में टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की गई हैं । इन में से 61 समितियों का कार्यकाल समाप्त हो है और बाकी समियों का इस साल समाप्त हो जाएगा । हम चाहते हैं कि टेलीफोन

सलाहकार समितियों के समूचे दर्शन और मूलाधार पर अगले तीन महीनों में पुनरीक्षण, किया जाय ।

मैं विदेश संचार सेवा के विकास को भी अधिक महत्व दे रहा हूं । अब देहरादून में दूसरा उपग्रह भूमि स्टेशन बन गया है । इसलिए अब हम ऐसी स्थिति में हो गए हैं कि दूसरे बहुत से देशों से संचार सम्पर्क कर सकते हैं। इस वर्ष इंटेलसेट ( ) के भारत महासागर में उपग्रह की ओर उन्मुख 39 देशों में से 3 देशों से सम्पर्क स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है ।

मेरी उत्कट अभिलाषा है कि हम दूर संचार के साज-सामान को जिस गति से अपने देश में बना रहे हैं उसमें और तेजी लाएं ताकि हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति में आत्मनिर्भर हो जांये । इस दिशा में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड और हमारे डाक-तार कारखाने अच्छा काम कर रहे हैं । मेरी कोशिश यह होगी कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन इकाईयों में काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और मजदूरों के बीच अधिक ो अधिक सहयोग बढ़े ।

पिछले समय में हमारे स्टाफ को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उस से मैं अवगत हूं । उनके साथ सद्व्यवहार और न्याय किया जाय । इस दृष्टि से मैंने यह फैसला किया है कि 1968 और 1974 में डाक-तार विभाग के हड़तालों के कारण जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाहियां की जा रही थीं उन्हें समाप्त किया जाय । इन हड़तालों के कारण कर्मचारियों के ऊपर जो अयोग्यतायें लगाई गई थ उन सब को दूर कर दिया जाएगा और उनके मूल स्थान (पोजीशन) फिर से मिल जाएंगे ।

मेरे इस मंत्रालय के कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभाग के अधिकारी और डाक-तार कर्मचारी संघों के नेता मुझ से मिले हैं । अधिकारियों और डाक-तार कर्मचारियों ने जो उत्साह दिखलाया है उससे मैं भावबिहल हूं । इन सभी ने बेहतर और अधिक विनीत सेवाएं देने के कार्य में मेरी सहायता करने का वचन दिया है । मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि निकट भविष्य में ही इसके अच्छ नतीजे प्राप्त करने में हमें सहायता मिलेगी ।

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): Sir, I would like to know from the Minister as to what will happen to those who have been dismissed during the Emergency. He must come forward with some explanation.

11.29 hrs.

STATEMENT RE DERAILMENT OF MANGALORE-MADRAS EXPRESS AT SEVUR RAILWAY STATION

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): Sir, I beg to lay on the Table statement regarding derailment of 28 Up Mangalore-Madras Express at Savur station of Southern Railway on 30-3-1977.

Statement

I rgret very much to inform this House that at about 12.50 hrs. on 30-3-1977, while No. 28 Up Mangalore-Madras Express, with a load of 16 coaches and hauled by a diesel engine, was running through Sevur station on Katpadi-Arkonam broad gague double line section on Madras division of Southern Railway, 9 coaches marshalled 5th to 13th from the train engine derailed, of which six coaches capsized. The Up line was obstructed but the Down line remained free for through traffic.

[Prof. Madhu Dandavate]

As a result of the accident, 6 persons are reported to have been killed, 17 sustained grievous injuries and another 33 received minor injuries so far. On receipt of information about the accident, Assistant Medical Officer, Katpadi proceeded to the site immediately. Medical Relief Trains from Madras and Jolarpettai and road ambulances were rushed to the site. General Manager and Chief Medical Officer, Southern Railway accompanied by other Heads of Departments, Divisional Superintendent, Madras and other Divisional Officers rushed to the site by road to supervise relief and rescue operations. All the injured persons were taken to Vellore by road ambulances and admitted in Mission Hospital and the Government Hospital. Ex-gratia payment to the next of kin of the dead and to the injured has been arranged.

Additional Member Mechanical, Railway Board has proceeded to the site of accident by air.

The Additional Commissioner of Railway Safety is likely to commence his statutory inquiry into this accident on 1-4-1977.

11.30 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

REPORTS THAT JUNE, 1975 PROCLAMATION OF EMERGENCY WAS ISSUED WITHOUT COUNCIL OF MINISTERS' ADVICE.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA (Begusarai): Mr .Speaker, Sir, under Rule 377 I rise to draw the attention of the House to a matter of great constitutional and political importance.

The internal Emergency which was imposed on the country in June, 1975 ended a few days back after the Election. During this Emergency the country went through the darkest night of repression after independence. Earlier, it was reported in the papers that the Presidential Proclamation on Emergency came without the aid and advice of the Council of Ministers and if at all there was any reference to it in the Cabinet, it was *ex-post-facto*. This matter was also agitated in the courts. The present Defence Minister after his resignation from the Cabinet of Mrs. Gandhi confirmed this substantially in his Press statement when he said that the Cabinet was merely informed of it after the decision to impose emergency was taken. I quote from 'The Deccan Herald' dated the 4th February 1977:

> "Cabinet wasn't consulted on Emergency: Ram"

Mr. Jagjivan Ram, who resigned from the Union Cabinet and the Congress Party yesterday, told newsmen today that Cabinet was not consulted about the declaration of Emergency in June, 1975, or the dissolution of the Lok Sabha and the holding of elections this year but was merely informed of the decisions by the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi.

If this was so, it was a clear violation of Article 74(1) of the Constitution which says:

> "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advice the President, who shall in the exercise of his functions, act in accordance with such advice."

As the present Government, is committed through its Election Manifesto to taking such steps as would prevent the repetition of such a tragedy in future, it is necessary and appropriate that the Government place full facts in this regard before the House in its very first sitting.

Finally it should also take steps to ensure that Article 74(1) is fully observed whether it is in respect of imposition of emergency or dissolution of the House or any other matter in which according to this Article, the aid and advice of the Cabinet is the very basis of presidential action."

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH): Sir, the factual position in respect of the promulgation of emergency on 25th June 1975 is that the Proclamation was signed by the President on that date, that is, 25th, while the Cabinet approved the Proclamation on 26th June 1975. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: I understand this cry is not aimed at me!

The approval of the Cabinet, therefore, was *ex-post-facto*. As the Vice-President acting as the President of India has stated in his Address to both the Houses on 28th March 1977, the Government are already seized of the matter and are examining the question of providing adequate safeguards to prevent the possibility of declaration of emergency in similar circumstances in future. This is a matter which requires careful consideration and the Government would be taking appropriate measures in due course.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : अगर साबिका प्रधान मंत्री ने कोई गलत कदम उठाये हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं होनी चाहिये ?

कुछ माननीय सदस्य: होगी, होगी ।

11.35 hrs.

FINANCE BILL, 1977

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): Sir, I beg to move*

"That the Bill to continue for the financial year 1977-78 the existing rates of income-tax with certain modifications and to provide for the continuance of the provisions relating to auxiliary duties of customs and excise and the discontinuance of the duty on salt for the said year, be taken into consideration."

The Statement of Objects and Reasons appended to the Bill briefly explain the specific provisions contained therein. This short Bill seeks to continue the existing tax structure for the financial year 1977-78. Accordingly, the rates of income-tax specified in the Finance Act, 1976, for the purpose of deduction of tax at source from salaries during the financial year 1976-77, for computation of advance tax payable during that financial year and for certain special purposes are proposed to be continued for making assessments for the assessment year 1977-78. The same rates are also proposed to be continued for deduction of tax at source from salaries during the financial year 1977-78, for computation of "advance tax" payable in that financial year, as also for the said special purposes.

The provisions enabling companies to make deposits with the Industrial Development Bank of India in lieu of payment of surcharge on income-tax are also proposed to be continued.

Under the provisions of the Finance Act, 1976, the net agricultural income of individuals, Hindu undivided families, unregistered firms etc. is taken into account for determining the rates of income-tax applicable to their non-agricultural income. These provisions are proposed to be continued for the financial year 1977-78. A consequential modification is, however proposed to be made in the provisions relating to the set off of the unabsorbed loss in agriculture. The amendment seeks to secure that besides the unabsorbed loss for certain years, the loss for the previous ac-

---

*Moved with the recommendation of the Vice-President acting as President.

(Shri H. M. Patel)

counting year relevant to the assessment year 1976-77 is also set off against the agricultural income for the accounting year relevant to the assessment year 1977-78. The proposed amendment further seeks to provide that the unabsorbed loss in agriculture for the accounting year relevant to the assessment year 1977-78 may also be set off in determining the net agricultural income for purposes of payment of advance tax etc. during the financial year 1977-78.

Clauses 3, 4 and 5 of the Bill deal with indirect taxes while clauses 3 and 4 seek to levy up to the 31st day of March 1978, the existing rates of auxiliary duties of customs on all imported goods and auxiliary duties of excise on all excisable goods. Clause 5 provides that salt shall be duty free for another year.

Clause 5 provides that salt shall be duty free for another year. Hon. Members will notice that so far as indirect taxes are concerned, the Finance Bill does not contain any new tax proposals and all taxes continue in the same form as in the year 1976-77. I trust that this short and simple Bill will receive the unanimous approval of his House.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to continue for the financial year 1977-78 the existing rates of income-tax with certain modifications and to provide for the continuance of the provisions relating to auxiliary duties of customs and excise and the discontinuance of the duty on salt for the said year, be taken into consideration."

I find that nobody wants to speak from this side.

SHRI BASHIR AHMED (Fatehpur): Sir, I have moved an amendment, shall I read it out?

MR. SPEAKER: But it is for clause 2. Anyway you may say what you want to say. You need not read out that amendment.

SHRI BASHIR AHMED: During the period of emergency several persons were detained under the Maintenance of Internal Security Act and the Defence of India Rules. Several excesses were committed. Some businessmen were also arrested. I do not want to talk about persons who had been arrested for economic offences. I am talking about persons who had been arrested for political reasons. They were arrested for no rhyme or reason; the only reason was to settle the former Prime Minister in power. It is in the fitness of things that efforts should now be made to grant some income-tax relief to those persons who had been released only recently. They have not been able to carry on their business; their operations were brought to a standstill. There are a large number of professors, teachers, lawyers, doctors, etc. and their houses were searched and all this was for political reasons. You are also aware that a large number of raids were carried on under the garb of income-tax raids; their properties were raided and searched. Big business houses were spared; only the poor persons were affected. Those income-tax raids were carried on by income-tax authorities without any rhyme or reason to terrorise and demoralise the public. Certain persons were put behind the bars. I have moved an amendment that those persons who suffered due to such politically motivated actions should be granted income-tax relief because they had been converted into virtual refugees and they are in great distress. So the hon. Finance Minister should accept the amendment proposed by me, which should include a provision like this, namely, excluding those who had been arrested under the Economic Offences Act. The rest of the amendment should remain the same.

MR. SPEAKER: I find there are no other speakers. The question is:

"That the Bill to continue for the financial year 1977-78 the existing

rates of income-tax with certain modifications and to provide for the continuance of the provisions relating to auxiliary duties of customs and excise and the discontinuance of the duty on salt for the said year, be taken into consideration.

The motion was adopted.

Clause 2—(*Income-tax*)

MR. SPEAKER: Now we shall take up clause 2. Father Anthony.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): There should be a general discussion; I want to speak.

MR. SPEAKER: I have called him.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: This is the general practice. I do not know how you had been advised like this, because you were not here for a long time. There should be a time limit for general discussion.

MR. SPEAKER: I knew the procedure. Nobody stood up to speak. We have taken clause 2. You can speak on clause 2 also.

SHRI BASHIR AHMAD (Fatehpur): I beg to move:

"Page 4,

after line 12, *insert*—

"Provided taht no income-tax shall be charged on the income of detenus held under the Maintenance of Internal Security Act and D.I.R. and from the heirs of the deceased victims detained during the period of emergency.'"(1).

MR. SPEAKER: You can speak on Clause 2, if you want.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Certain urgent issues are there. You are not allowing us to speak.

MR. SPEAKER: Now I am allowing him. He is speaking on Clanse 2 of this Bill. You can also speak on this. Anyway your name also must come from the party.

फादर ग्रन्थोनी मुरुम (राजमहल) : अध्यक्ष महोदय, मैं उस आदिवासी क्षेत्र से आता हूं, जहां पहाड़ी इलाकों और जंगलों में हिन्दुस्तान की खदानें और हैवी इंडस्ट्रीज हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश का जो पैसा है, उस का वितरण सही रूप से नहीं होता है । ज्यादा पैसा शहरों में जाता है और गांवों की उपेक्षा की जाती है । जिन क्षेत्रों में खदानें और हैवी इंडस्ट्रीज हैं, वहां के निवासी भूख से मर रहे हैं और उन के पास कपड़ा और मकान नहीं हैं । यदि आप के मन में शेयरहोल्डर का कनसेप्ट है, तो जिस इलाके से आप को कोयला, लोहा और तांबा आदि तरह तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं, वहां के आदिवासियों और हिरजनों को भी शेयरहोल्डर समझना चाहिए और कुछ सामान उन के लिए भी रखना चाहिए। लकड़ी आदि सामान की वैगनों की वगह बाहर जाती हैं, लेकिन उन क्षेत्रों के रहने वालों को कुछ नहीं मिलता है । यह कहां का न्याय है ?

यह भी समझ लेना चाहिए कि आदिवासियों ने हिन्दुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है । पंजाब से लेकर आसम तक और काश्मीर से लेकर कुमारी अंतरीप तक हम लोगों ने देश के लिए बहुत काम किया है । हमने हिन्दुस्तान को हैबिटेबल बनाया है और जंगलों को साफ कर के जमीन को खेती के लायक बनाया है । लेकिन उस के बदले में हम को क्या मिल रहा है ? तीस बरस की आजादी में हम को कुछ नहीं मिला है । जो सुविधायें शहरों में मिलती हैं, वे गांवों में भी मिलनी चाहिए। ट्राइबल एरिया एक सेन्सिटिव एरिया है । अब हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। जो गलती पहले हुई है, वह अब नहीं होनी चाहिए।

[फ़ादर अन्थोनी मुरूम]

हम लोगों पर यह दोष लगाया जाता है कि हम अपना अलग एरिया बनाना चाहते हैं— हम झारखंड या नागालैंड मांगते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान के टुकड़े किस ने किये ? आप हिन्दुस्तान का नक्शा लाइये और बताइये कि पाकिस्तान और बंगलादेश किस तरह बना ? हम आदिवासी तो एक अखंड भारत को जानते हैं ।

MR. SPEAKER: Please speak something which is relevant to the Bill.

फ़ादर अन्थोनी मुरूम : रेलिवेंट बात यह है कि हम को खाने को नहीं मिलता है । आप हम पर दोष लगाते हैं कि हम हिन्दुस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं । लेकिन आप ने हिन्दुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिये हैं । मैं आप से यह प्रार्थना करता हूं कि आप जितना धन हमारे क्षेत्र से लेते हैं उसी के अनुपात में, उसी औसत से हम को भी कुछ खाने को दीजिए, रहने को सुविधा दीजिए, यह मैं कहता हूं, नहीं तो झमेला हो जायेगा ।

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: (Serampore): Sir, I would like to take this opportunity to make some observations which to my mind are very important an durgent. Some impression was sought to be created here by the opposition, that is, the Congress Party, specially by Mr. Subramaniam, that the picture of the Indian economy was very rosy. I find from today's newspapers that the West Bengal Finance Minister also has tried to paint a rosy picture of the economy of West Bengal. But the fact is that there is a mess everywhere—in industry, in agriculture and in everything. Already ten jute mills are closed for a long time. So man assurances were given on the floor of the House by the previous government that they would be reopened, but still they are closed and more mills are facing crisis. They may also be closed at any time. I gather this information from the newspapers today. So, the new Finance Minister must make a positive statement as to what will happen to the sick mills, which have been deliberately made sick by the big industrialists. The then Central Government were responsible for all this sickness.

I heard big talk here about rural unemployment and rural industries but nothing had been done by Mrs. Gandhi's Government. The condition of handloom weavers it beyond imagination. They are starving. A whole of family of 8 members work hard for the whole day, but still they cannot earn two square meals a day. All the cottage industries are also facing the same crisis. Some positive action must be taken immediately. I know the present government did not get much time and this Bill does not reflect the policy of the Janata Government. This budget was prepared by the Congress Government whom the people have thrown out into the dust bin. The Janata Government must come forward with positive statements and actions to sole these issues. Apart from the creation of additional employment potential, I want to know the condition of the existing sick mills and the lakhs of workers who have been thrown on the street. This must be looked into seriously.

In the budget papers I saw some item about increase in the expenditure on police and jails. Why? Congres Government depended only on police and jails and they had no face to go before the public and announce their policies? This is why in every election meeting the then discredited Prime Minister herself had no guts to explain to the public what was her policy regarding the development of our country. I heard that in her first election meeting lakhs of people were gathered to hear her but afterwards, nobody came to listen to her speech and she had to come frustrated from wherever she went.

My humble submission to the Finance Minister is that he must take care to see that the increase in the prices of essential commodities must be checked. You will wonder to know that in eastern India we have to purchase mustard oil at Rs. 14/- to 15/- a kilo. You could not dream of it in any time. So, this increase in the prices of essential commodities must be checked. I know that you do not have any magic as Mrs. Gandhi had. Very often she used to point out that she would eradicate poverty. What she had done was that she had eradicated the poor people. Even from Delhi lakhs and lakhs of jhuggi jhopriwalas had been driven out of Delhi.

AN HON. MEMBER: Now, you will bring them back.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Inspite of your obstacles those people will be brought back. The Government must try for that. But is it not a fact, I ask you gentlemen, sitting on the Congress side that you have driven out washermen, हजामत वालों को और सभी को भगा दिया।

One more point and I will end my speech, positive steps must be taken to bring down the prices of essential commodities. There should not be any increase in the expenditure of police or jails. They are saying that Janata Party have pleaded for the release of smugglers. You, Congressmen, should be ashamed of the fact that you fought the election with their money. Is it a fact or not?—I ask you Congressmen. You fought the election with their black money. Smugglers are always with you. And even now, they are making a conspiracy to topple the Janata Government along with you. You must know the feeling of the Janata. Masses have voted the present government to power. There is a slogan common among the people, which I hear when I go from place to place in West Bengal. They say: 'Indira khatam ho gayi hai; Indira fund ko wapas karo'. Not only do they want the CDS to be stopped, but they want the money to be returned to them. That is the cry of the masses. The Finance Minister should consider it. No pious wish and promise will do. People want to hear you say that you will not only stop taking CDS money—you were withholding 50 per cent from the ordinary workers —but you must also return the money that has been accumulated and lying with the government. That is the cry all over the land. In our place they say: "Indira ko khatam kardiya; ab hamara Indira fund wapas karo".

12.00 hrs.

I am grateful to the Railway Minister who has made a bold statement To-day Mr. Fernandes also has made a statement that all the dismissed employees will be taken back, and also all the suspended employees will be taken back. The same thing should be done with regard to the other who are not directly in government service, but are serving in the private sector. That point must be looked into. I know that it is not within the purview of the Finance Minister. Government as a whole must take a policy decision to the effect that those who were dismissed in a vindictive manner should be taken back.

Another point. My friends know that some textile mills were taken over by government and then nationalised. They are run by the so-called National Textile Corporation. It is nothing but the looting people. They used it as a political asylum for goondas who worked for them in the election. I can cite hundreds of examples before this House to indicate how the factories run by the NTC are being used to employ the goondas who worked for them for purposes of election propaganda An enquiry is necessary in this mat-

(Shri Dinen Bhattacharyya)

ter. The ex-Commerce Minister said on this very floor that the 14 mills run by the NTC in West Bengal are incurring a loss of between Rs. 50 lakhs and Rs. 60 lakhs every month. The present Finance Minister should look into this matter and set up an inquiry, so that all this corruption may be brought to light.

Now the last point. It has been published in all the newspapers of West Bengal that during the last elections, riggings and corrupt practices were organized by no less a person than the Chief Minister, Mr. Ray. Why should not an enquiry be set up against such a person who has no moral right to continue in office? This point is being raised by my people. That is why I am raising this issue. With these words, I conclude.

श्री बटेश्वर हेमरम (दुमका): अध्यक्ष महोदय, मैं आप के सामने दो तीन बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

आज देश में एकता आई है और मानवता के लिए यह एकता बहुत अच्छी होती है । जहां पर से हम आए हैं वहां हम प्रति दिन देखते हैं कि वहां के वनवासियों की हालत के बारे में आज तक नहीं सोचा गया है और इसलिए देश के राजनीतिक सम्बन्धों के बारे में वहां के लोगों को भी मालूम नहीं रहता है । वह केवल इतना देखते हैं कि कौन हमारी बातें सहानुभूतिपूर्वक और प्रेमपूर्वक सुनता है और उस के साथ वे बराबर रहते हैं । आप को मालूम है संथाल परगणा में, जहां पर अंग्रेजों के जमाने में एक क्रान्ति हुई थी, वहां के लोगों के बराबर कहने पर भी अंग्रेज लोग उन की बात नहीं सुनते थे और जब लोगों ने देखा कि हमारी बातें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो उन्होंने एक आन्दोलन किया । पहले उस जिले का नाम पर्वतीय अंचल था और वह इस नाम से प्रसिद्ध था लेकिन जब एक हो कर लोगों ने वहां आन्दोलन किया और आन्दोलन के बाद उस जिले से 1855–56 में अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, तो उस के फलस्वरूप अंग्रेजों ने सोचा कि इस तरह से तो लोग इस देश से उन्हें भगा देंगे और हमारा काम नहीं चलेगा और उन्होंने उन लोगों के लिए एक योजना बनाई । उन्होंने वहां के लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद वहां कुछ समितियां बना दी गयीं जो वहां के लोगों की मांगों को देखती थी और वह देखती थी कि कैसे गांवों के मामलों का फैसला किया जा सकता है । उस के अनुसार अंग्रेजों ने उस जिले का नाम 1856 में संथाल परगणा रखा, लेकिन आज संथाल परगणा के लोग इतनी बुरी हालत में हैं कि प्रति दिन उन को 30, 40 मील आ कर शहरों में काम करना पड़ता है । वहां पर जमीन है, पर्वत है और जंगल हैं लेकिन वहां के लोगों को आप यदि जा कर देखेंगे तो पाएंगें कि 4 महीने से अधिक उन्हें काम नहीं मिलता है । अभी जो इलैक्शन्स हुए थे, उस में आदिवासियों के क्षेत्र से 30 प्रतिशत से अधिक वोट नहीं पड़े क्योंकि लोग गांवों में नहीं रहते हैं और वे काम की खोज में दूसरे प्रान्तों में चले गये हैं । कोई बंगाल चला गया है, कोई आसाम चला गया है और कोई कोयला-खानों पर काम के लिए चला गया है और बाकी जो लोग हैं वे सारे आसपास शहरों में काम की खोज में चले जाते हैं ।

SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI (Agra): Sir, on a point of order. I think there is some confusion about the list of names. Because, the names of Members have been given for speaking on the President's Address. But that discussion has not yet started. Now the Finance Bill is under consideration, this confusion should be removed.

MR. SPEAKER: They are speaking on the amendment that has been moved.

श्री बटेश्वर हेमरम : मैं कहना चाहता हूं कि उस इलाके में लोग इतने विवश है कि काम की खोज के लिए उन्हें दूर दूर जाना पड़ता है और वे लोग स्वतंत्रतापूर्वक कोई भी काम नहीं कर पाते । इसलिए उस इलाके में यदि कारखाने खोले जाएं तो मजदूरी से उनका जीवन सफल हो सकता है ।

दूसरे उन लोगों के पास जमीन बहुत अधिक है किन्तु उस जमीन में सिचाई का कोई साधन नहीं है और न जमीन ही उपयुक्त है । अधिकतर जमीन बंजर पड़ी हुई है । सरकार की ओर से जमीन की खुदाई के लिए पैसे खर्च किए जाते है लेकिन वह पैसा इतना अपूर्ण होता है कि उससे केवल मेढ़ बना दी जाती हैं और जमीन असमतल पड़ी रहती है । जमीन पर केवल मेढ़ बना देने से खेती नहीं हो सकती है । जब तक जमीन को उपजाऊ नहीं बनाया जाता तब तक उसमें उपज कैसे हो सकती है ? जो मेढ़ बनाई जाती है वह भी एक-दो वर्ष में समाप्त हो जाती है और फिर असमतल जमीन ज्यों की त्यों पड़ी रहती है । इसलिए सरकार की ओर से उन आदिवासियों के लिए ऐसी योजना बनाई जाए कि जो पैसा जमीन के लिए खर्च किया जाता है वह आदिवासियों को मिल जाए और वे अपने से जमीन को खेती के लायक बनावें । अभी यह होता है कि उन स्थानों पर ठेकेदारों को इस काम के लिए जमीन दे दी जाती है और जो पैसा इस काम के लिए खर्च किया जाता है उसका आधा पैसा ठेकेदार खा जाते हैं और कुछ पैसे से ठेकेदार खेत की मेढ़ बना कर छोड़ देते हैं । सरकार की ओर से यदि योजना बना कर जमीन के लिए पैसा उन लोगों को दे दिया जाए तो उतने ही पैसे से उनका खेत भी बन जाएगा और मेढ़ भी बन जाएगी ।

जमीन की सिचाई वहां कुओं के द्वारा ही हो सकती है । क्योंकि वहां इस तरह की जमीन वहीं है कि कोई डैम बना कर या बांध बना कर उस जमीन के लिए सिचाई का प्रबंध किया जाए । वहां की जमीन ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची जमीन है । उस जमीन पर नीचे से ऊपर पानी नहीं जा सकता है । डैम को तो नीचे ही बनाया जा सकता है । अगर वहां बड़े बड़े कुएं बना कर सिचाई का प्रबंध किया जाए तो इससे भी वहां के लोगों को काम दिया जा सकता है ।

वहां के लोगों को काम करने के लिए दूर दूर की जगहों पर जाना पड़ता है । इस तरह दूर दूर के स्थानों पर जाते हुए कहीं कहीं मजदूरों को रास्ते में भूख के कारण अपना जीवन भी समाप्त करना पड़ता है और गर्भवती स्त्रियों का रास्ते में गर्भपात भी हो जाता है । इस सब का कारण है कि वहां यातायात का बहुत अभाव है । रेलवे लाइन एक भी नहीं है । रामपुर से दुमका होते हुए वैद्यनाथधाम तक और बौसी से हसडिया होते हुए जसीडीह तक रेल लाइन बिछाने का प्रबंध किया गया था लेकिन वह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है । इसका क्या हुआ यह नहीं कहा जा सकता । इसलिए अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के आदिवासियों के विकास के लिए एक ऐसी योजना बनाई जाए जिससे उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था हो सके । वहां कारखाने खोले जाएं, रेलवे की लाइन बिछाई जाएं, सड़कें बना कर वहां के लोगों के लिए यातायात के साधन जुटाए जाएं । इसी तरह से उन लोगों को कुछ राहत मिल सकती हैं ।

MR. SPEAKER: I shall put the amendment to the House.

SHRI BASHIR AHMED: I do not press it.

MR. SPEAKER: Has he the leave of the House to withdraw his amendment?

HON. MEMBERS: Yes.

Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.

MR. SPEAKER: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. SPEAKER: There are no amendments to other clauses. I shall put them to the vote of the House. The question is:

"That Clauses 3 to 5, Clauses 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 3 to 5, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI H. M. PATEL: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

—•—

12.15 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE ADDRESS BY THE VICE-PRESIDENT ACTING AS PRESIDENT

MR. SPEAKER: We shall begin discussion on the President's Address.

श्री कर्पूरी ठाकुर (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :—
>
> "कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 28 मार्च, 1977 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो चुनाव अभी समाप्त हुए हैं और उनके जो परिणाम आए हैं उनके आधार पर देश और दुनिया को यह बताया है कि लोकतन्त्र की जड़ें भारत में गहरी जमी हुई हैं और जनता लोकतन्त्र में विश्वास करती है । उन्होंने यह भी बताया है कि चाहे जो कुछ हो भारत की जनता लोकतांत्रिक तरीकों पर न केवल विश्वास करती है बल्कि उनके माध्यम से देश में सत्ता परिवर्तन करना भी जानती है और देश को निर्माण के पथ पर अग्रसर करना भी जानती है । जो चुनाव परिणाम आए हैं, चुनाव आयोग से मोटे मोटे तौर पर मैंने कुछ आंकड़े प्राप्त किये हैं और उनको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । इनके अनुसार आंध्र में कांग्रेस को 57.36 प्रतिशत तथा जनता पार्टी को 32.33 प्रतिशत मत मिले हैं । असम मे कांग्रेस को 50.56 प्रतिशत और जनता पार्टी को 35.78 प्रतिशत मत मिले । बिहार में कांग्रेस को 22.90 प्रतिशत और जनता पार्टी को 65.01 प्रतिशत मत मिले । हरियाणा मे कांग्रेस को 17.95

प्रतिशत और जनता पार्टी को 70.35 प्रतिशत मत मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 38.30 प्रतिशत और जनता पार्टी को 58.37 प्रतिशत मत मिले हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को 56.74 प्रतिशत और जनता पार्टी को 49.84 प्रतिशत मत मिले हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 32.50 प्रतिशत और जनता पार्टी को 57.95 प्रतिशत मत मिले। महाराष्ट्र में कांग्रेस को 46.93 प्रतिशत और जनता पार्टी को 32.39 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। गुजरात मे कांग्रेस को 46.92 प्रतिशत और जनता पार्टी को 49.54 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। केरल मे कई पार्टियां थीं इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। उड़ीसा में कांग्रेस को 38.18 प्रतिशत और जनता पार्टी को 51.77 प्रतिशत मत मिले। राजस्थान में कांग्रेस को 30.56 प्रतिशत और जनता पार्टी को 65.21 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। तमिलनाडु मे भी भिन्न पार्टियां हैं इसलिये उसको भी छोड़ देता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 25.04 प्रतिशत मत मिले और जनता पार्टी को 68.03 प्रतिशत मत मिले। पश्चिम बंगाल में जनता पार्टी और मित्र दलों को 65 प्रतिशत मत मिले और कांग्रेस पार्टी और उसके मित्र दलों को 35 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। अन्य जो छोटे छोटे राज्य हैं उन को छोड़ देता हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस को 34.54 प्रतिशत और जनता पार्टी तथा उसके मित्र दलों को 65 दशमलव कुछ प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इन आंकड़ों से यह प्रमाणित होता है कि प्रथम बार भारत में वोटों के आधार पर बहुमत का शासन कायम हुआ है। इसके पहले जो चुनाव परिणाम हैं 1952 से लेकर 1971 तक, वे बतलाते हैं कि कांग्रेस को वोट हमेशा कम प्रतिशत मिले लेकिन सीटें मिलीं ज्यादा। यानी अल्पमत के आधार पर, जितने वोट कांग्रेस को प्राप्त हुए उसका विश्लेषण बतलाता है कि अल्पमत के आधार पर कांग्रेस ने अब तक देश पर शासन किया। लेकिन इस बार चुनाव परिणाम के आंकड़े यह बतलाते हैं कि बहुमत का शासन सच्चे अर्थों में हिन्दुस्तान मे कायम हुआ है। हिन्दुस्तान की जनता ने यह सिद्ध कर दिया है चुनाव द्वारा कि आजादी अमर है, आजादी की भावना अमर है, आजादी की आग अमर है। कांग्रेस को कौन पूछे, श्रीमती इन्दिरा गांधी को कौन पूछे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत आजादी की भावना को नहीं दबा सकती, आजादी की आग को नहीं बुझा सकती। पूरे 19 महीनों में यही अनवरत प्रयास किया गया कि आजादी का सत्यानाश किया जाय।

कहा गया देश आजाद है, देश पहले से मजबूत बना है, ताकतवर बना है। दुनिया के जो परिणाम हमारे सामने हैं वह शायद हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री के सामने नहीं थे। जो आज प्रतिपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, श्री चव्हाण जी, उनके सामने नहीं थे। दुनिया के उदाहरण यह बतलाते है कि देश आजाद हो सकता है, फिर भी वहां की जनता गुलाम हो सकती है। हिटलर के जमाने में कौन नहीं जानता है कि जर्मनी आजाद और ताकतवर था और उसका तानाशाही में जर्मनी इकट्ठा हुआ और हिटलर की जर्मनी ने यूरप ही नहीं सारी दुनिया को चुनौती दी। जर्मनी आजाद जरूर था मगर जर्मनी की जनता गुलाम थी। मुसौलिनी के जमाने मे इटली आजाद था, मगर वहां की जनता गुलाम थी। फ्रैंको जब तक स्पेन का तानाशाही रहा स्पेन आजाद था, मगर स्पेन की जनता गुलाम थी, इसी तरह से पुर्तगाल मे सालाजार के समय में पुर्तगाल आजाद था, लेकिन वहां की जनता गुलाम थी। जब पाकिस्तान मे अयूबखां और याहिया खां तानाशाह थे उस समय पाकिस्तान बेशक आजाद था लेकिन वहां की जनता गुलाम थी। आज नेपाल में राजशाही है, तानाशाही है, नेपाल आजाद है, लेकिन वहां की जनता गुलाम है। उसी तरह से पिछले 19, 20 महीनों में भारत आजाद था, आजाद रहा और आज भी है, लेकिन 20 महीनों में भारत की जनता

[श्री कर्पूरी ठाकुर]

गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी हुई थी, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । इस चुनाव ने साबित किया कि देश ही नहीं बल्कि जनता भी आजाद रहेगी । इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति से बड़ा देश है । चुनाव ने साबित कर दिया कि इन्दिरा से कानून और संविधान बड़ा है ।

इस चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि एमर्जेंसी के बारे में जो घोषणाएं होती थीं कि एमर्जेंसी अनुशासन, कठिन परिश्रम, अधिक उत्पादन, एकता और अखंडता के लिये है, लोकतन्त्र की रक्षा के लिये है, यह सब गलत साबित हुआ । साबित यह हुआ है कि ये लोग जो एमर्जेंसी देश में चला रहे थे वह लूट, झूठ और छूट के लिये थी और पूंजीपतियों तथ इजारेदारों में भयंकर फूट के लिए थी । जितना बड़ा झूठ इस एमर्जेंसी में फैलाया गया, शायद अगर आज हिटलर जिन्दा होता तो यह भी ईर्ष्या करता भारत के झूठ पर जो कि एमर्जेंसी काल में रात-दिन, सुबह शाम फैलाया गया ।

कहा गया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण फासिस्ट है, प्रतिक्रियावादी हैं । मैं अपनी तरफ से नहीं कहना चाहता, एक किताब "वी नेहरूज" लिखी हुई है जिसे स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा हठीसिंह ने लिखा है । उन्होंने उसमें लिखा है कि हमारे भाई साहब बड़ें समाजवादी हैं, बड़े देशभक्त हैं और बड़े भारी प्रगतिशील हैं लेकिन साथ ही उस किताब में यह भी लिखा है कि मेरा भी विचार है और हिन्दुस्तान के आम लोगों का भी विचार है कि मेरे भाई नेहरू जी से ज्यादा अधिक समाज वादी, अधिक प्रगतिशील जयप्रकाश नारायण है । भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी की बुआ जी ने जो कुछ लिखा था, प्रधान मंत्री ने उसको झुठलाने की कोशिश की । यही नहीं, बड़े पैमाने पर लूट हुई, करोड़ों की लूट हुई, हर शहर और बाजार में लोग लुटे, भय दिखलाकर, थोतंकित करके लोगों को लूटा गया । मीसा और वारन्ट का भय दिखलाकर लोगों को लूटा गया । हर जगह हा-हाकार मचा हुआ था । इस तरह की लूट हमारे देश में चल रही थी और जेलों में लाखों लोग बन्द किए गये । बाहर लाठियां जिस तरह से बरसाते रहे उसी तरह सैकड़ों की संख्या में जेलों के अन्दर भी लाठियां, गोलियां चलती रहीं । यह भी पता लगता है कि लूट की एमर्जेंसी थी, लोकतंत्र की एमर्जेंसी नहीं थी ।

मैं समझता हूं कि 30 वर्षों के स्वराज्य के काल में इतनी बड़ी-बड़ी छूटें, इतनी बड़ी बड़ी रियायतें हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों को नहीं दी गई थीं जितनी कि इस एमर्जेंसी के काल में इन लोगों को दी गई । कहा यह जाता है कि हिन्दुस्तान में समाजवाद चल रहा था और समाजवाद चल रहा है । इस चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया है कि—

बूड़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल ।

इस एमर्जेंसी ने यह भी साबित कर दिया है कि ईमानदारी को गद्दारी, तानाशाही को लोकशाही, और आंतक को अनुशासन कहा गया । इसी प्रकार इंडिया को इन्दिरा और इन्दिरा को इन्डिया कहने का जमाना हमेशा के लिये अब लद गया ।

हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बतलाया है कि यह एमर्जेंसी व्यक्ति की सत्ता की वृद्धि के लिये थी, इससे गैर-संवैधानिक अधिकार का केन्द्र बन रहा था । हम राष्ट्र-पति जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सच्चाई और सत्य का उद्घाटन अपने अभिभाषण में किया है । दुनिया और देश की जनता के सामने तथ्यों को सही सही ढंग से रखा है ।

जहां मीसा कानून के बारे में भी उल्लेख है, तो उसे भी रद्द किया जायेगा । मीसा कानून काला कानून है, यह निरपराध और निष्कलंक लोगों को जेलों में ठूसने का कानून हैं । यह उसी तरह का कानून है जैसा रौलेट कानून था । श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने अपने भाषण में पटना में कहा था कि जिस तरह रौलेट एक्ट में न वकील की, न दलील की और

न अपील की गुंजाइश थी उसी तरह का मीसा कानून भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने कानून के रूप में बनाया। इस कानून के अन्तर्गत जो अंधेर हुआ है, उस के हजार नहीं, पचासों हजार उदाहरण दिये जा सकते हैं। लेकिन मैं केवल एक उदाहरण दूंगा।

बिहार में एक साधू महाराज मीसा में पकड़ कर जेल में लाये गये। विद्यार्थियों नौजवानों, सर्वोदय के कार्यकर्ताओं और विरोधी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन से पूछा कि हम लोगों पर तो श्रीमती इन्दिरा गांधी की विशेष कृपा है, इस लिए हम जेल में हैं, लेकिन आप ने क्या कसूर किया, जो आप जेल में पहुंच गए। साधू महाराज ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता हूं कि मेरा क्या कुसूर है; मेरा नियम है कि मैं रोज़ गंडक में स्नान करने जाता हूं, वहां जाते और लौटते हुए मैं भगवान का नाम जपता हूं; आज सुबह भी में जय नारायण, जय नारायण" कहता हुआ जा रहा था; बगल में एक दरोगाजी खड़े थे; उन्होंने यह कह कर मुझे गिरफ्तार कर लिया कि यह व्यक्ति जयप्रकाश नारायण की जय बोल रहा था।

दुनियां के इतिहास में इतना बड़ा अंधेर और अन्याय कहां हुआ होगा, जो हिन्दुस्तान में हुआ है? इसलिये राष्ट्रपति जी ने ठीक ही अपने अभिभाषण में कहा कि मीसा कानून को समाप्त कर दिया जायेगा।

प्रिवेंशन आफ़ पब्लिकेशन आफ़ आबजेक्शनेबल मैटर एक्ट की धाराओं को पढ़ने के बाद लगता है कि हम किस दुनियां में पहुंच गये थे। हम सोचते थे कि आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए और स्वराज्य के बाद भी जिस हिन्दुस्तान का सपना हम देखते थे, क्या यह वही हिन्दुस्तान है, या कोई दूसरा हिन्दुस्तान है। ऐसा अंधेर करने वाला कानून और अधिकारियों को असीम अधिकारों से लैस करने वाला कानून! किसी भी लेख, बयान, भाषण या पुस्तक-पुस्तिका के आधार पर जिस को चाहे गिरफ्तार कर के जेल में बन्द कर दिया! राष्ट्रपति जी ने कहा है कि इस कानून को भी रद्द किया जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने फ़िरोज़ गांधी एक्ट को भी समाप्त कर दिया था। अंधेर है! ऐसा निर्दोष और ऐसा निष्पाप कानून। दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश में पार्लियामेंट में सदस्य और मंत्री जो भाषण करते हैं, उन के प्रकाशन और प्रसारण की पूरी स्वतंत्रता होती है। इस आशय का कानून यहां भी बना था। मगर कांग्रेस सरकार ने उस को भी रद्द कर दिया था। जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा है, यह कानून भी फिर वापस लाया जायेगा।

राष्ट्रपति जी ने कहा है कि और भी कई कानून बनाये जायेंगे और कई काम किये जायेंगे। इस के लिए हम लोग राष्ट्रपति जी के शुक्रगुज़ार हैं।

अभी तक प्रतिपक्ष के नेता को सुनने का अवसर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। आशा है कि आगे चल कर उन के विचार जानने का अवसर हमें मिलेगा। उस दिन भाषण देते हुए भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री सुब्रह्मण्यम् ने एमर्जेन्सी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। अगर वह यह कहते कि एमर्जेन्सी का ख़ात्मा हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया, तो मैं यह बात मान लेता। लेकिन प्रश्न यह है कि कब किया। 3 बजे भोर को रायबरेली का चुनाव-परिणाम देश और दुनिया को मालूम हुआ और 5 बजे भोर को रेडियो ने कहा कि चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गांधी की पराजय हुई और एमर्जेंसी की भी पराजय हुई, एमर्जेंसी खत्म हुई। उन्होंने एमर्जेंसी का खात्मा तब किया जब एमर्जेंसी ने उन का और कांग्रेस राज़ का भी खात्मा कर दिया। तब उन्होंने एमर्जेंसी का खात्मा किया। इस का कोई श्रेय उन को नहीं दिया जा सकता है। मगर जब हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री बोल रहे थ तो उन बातों का

[श्री कर्पूरी ठाकुर]

जिक्र कर रहे थे। वे कह रहे थे कि बड़ी प्रगति हुई है, अन्न का उत्पादन बढ़ा है, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है, हमारे बैलेंस आफ पेमेंट की पोजीशन पहले से सुदृढ़ हुई है, हमारा फारेन एक्सचेंज रिजर्व पहले से काफी बढ़ गया है, हमारा एक्सपोर्ट भी पहले से काफी बढ़ गया है, 21 प्रतिशत बढ़ गया है। ये सब उपलब्धियां हैं उन की जिनकी गणना वे करा रहे थे।

मैं सब से पहले अन्न के उत्पादन के बारे में आप से दो शब्द कहना चाहता हूं। मेरे पास यह पांचवी योजना की पुस्तिका है जो अन्तिम रूप से प्रकाशित हुई है और साथ साथ मेरे पास पांचवीं योजना का मसविदा भी है जो आज से कई वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। मैं इन दोनों पुस्तकों को उद्धृत नहीं करूंगा, मेरा समय चला जायगा। मैं संक्षेप में ही बोलूंगा। इन दोनों किताबों में कहा गया है अलग अलग कि 1973–74 में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था इस पंचम योजना का अन्न उत्पादन का वह था 12 करोड़ 90 लाख टन। यह इस में लिखा हुआ है, प्रतिपक्ष के नेता देख सकते हैं कि 12 करोड़ 90 लाख टन का निर्धारित लक्ष्य है इस ड्राफ्ट के मुताबिक 73–74 में, आज 76–77 में नहीं, 73–74 में और 75–76 में उत्पादन हुआ 11 करोड़ 80 लाख टन। जब तक यह फाइनल प्लान नहीं बना था तब तक यही ड्राफ्ट प्लान इन का आधार था। तो 1975–76 में उत्पादन हुआ 11 करोड़ 80 लाख टन। लक्ष्य था निर्धारित 73–74 में 12 करोड़ 90 लाख टन, यानी लगभग 13 करोड़ टन मगर 75–76 में पैदा हुआ 11 करोड़ 80 लाख टन और तब ये लोग खुशी से नाच रहे हैं कि हम ने 11 करोड़ 80 लाख टन अनाज पैदा कर दिया। और इस में लिखा हुआ है कि 78–79 में यानी जो अभी कल से वित्तीय वर्ष शुरू होगा इस के बाद जो वित्तीय वर्ष आएगा उस के अंदर अन्न के उत्पादन का लक्ष्य इस ड्राफ्ट के मुताबिक 14 करोड़ टन है। मगर जब फाइनल प्लान इन का बना तो 14 करोड़ टन से घटा कर साढ़े 12 करोड़ टन इसका लक्ष्य निर्धारित किया है।

मैं इधर और उधर दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है, इस को समझने की हम लोग कोशिश करें। हमारे प्रति पक्ष के जो नेता हैं वे उस समय मंत्री थे, प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं थीं, प्रधान मंत्री थे पंडित जवाहर लाल नेहरू, 60, 61, 62 और 63 का जमाना था। उस समय प्रधान मंत्री ने कहा योजना आयोग से और श्री पीताम्बर पंत से कि आप लोग आंकड़े तैयार करें हिन्दुस्तान की जांच पड़ताल करके कि हिन्दुस्तान की जनता को कम से कम जरूरत खाने की कितनी है। उन से कहा कि जांच पड़ताल कर के आंकड़े तैयार करो कि हिन्दुस्तान में कितना अनाज चाहिए 75–76 में हिन्दुस्तान की जनता को खाने के लिए। श्री पीताम्बर पंत ने और योजना आयोग ने, विशेषज्ञों ने, तमाम हिन्दुस्तान की जांच कर के, पता लगा कर के यह लक्ष्य निर्धारित किया कि 75–76 में हिन्दुस्तान की जनता को खाने के लिए 14 करोड़ 60 लाख टन अनाज चाहिए। यह 75–76 के लिए आंकड़ा है 14 करोड़ 60 लाख टन का। मगर उत्पादन हुआ 75–76 में 11 करोड़ 80 लाख टन। मैं यह भी बतला दूं कि जो बाद के विशेषज्ञ हुए उन लोगों ने कहा कि यह 14 करोड़ 60 लाख टन का जो आंकड़ा है यह दस से तीस प्रतिशत कम है। यानी जो 14 करोड़ 60 लाख टन चाहिए हिन्दुस्तान की जनता को खाने के लिए वह कम है दस से तीस प्रतिशत और इस में दस से तीस प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। हमें जितना अनाज पैदा करना चाहिए था हम उस से बहुत पीछे रहे 75-76 में और 78–79 में जब पांचवी पंच वर्षीय योजना पूरी हो जायेगी तब भी उस लक्ष्य से बहुत पीछे रहेंगे क्यों कि इस में साढ़े बारह करोड़ टन का ही लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मैं प्रति पक्ष के नेता और प्रति पक्ष के माननीय

सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान की जनता के साथ धोखा नहीं किया जा रहा है ? या हिन्दुस्तान की जनता आज भी अनाज के मामले में पीछे नहीं जा रही है ? जनता के खाने के लिए जितना अनाज होना चाहिए क्या उसमें ह्रास नहीं हो रहा है। तो जहां तक अनाज का सवाल, है, स्थिति इस प्रकार की है।

जहां तक कपड़े का सवाल, है, उसकी स्थिति भी कुछ इसी प्रकार है। मैं आंकड़ों मे जाना नहीं चाहूंगा। आज दुनिया को मालूम है कि हमारे देश में कपड़े का उत्पादन लगातार घट रहा है। कपड़े की 40–45 मिलें बन्द थीं। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि करोड़ों हिन्दुस्तानी जो नंगे हैं उनको अपनी लाज ढकने के लिए कपड़ा नसीब न हो और कपड़े का उत्पादन उत्तरोत्तर घटता चला जाये। इसका मतलब यह है कि प्रति हिन्दुस्तानी के पीछे जितना कपड़ा पहले उपलब्ध था उतना कपड़ा न कल उपलब्ध था और न आज उपलब्ध है। अब नयी जनता सरकार आ गई है तो इस स्थिति में सुधार होगा। अगर कांग्रेस सरकार ही रहती तो इस स्थिति में सुधार नहीं हो सकता था।

उस तरफ से कहा जाता है कि देश में आर्थिक प्रगति हो रही है। इस मौके पर मुझे एक अंग्रेज कवि की बात याद आ रही है। उसकी अंग्रेजी कविता तो मुझे याद नहीं है लेकिन उसका जो अर्थ था वह मुझे याद है। एक अंग्रेज कवि ने एक महासमुद्र के सामने देखा कि उसमें लहरें और तरगें उठ रही है तो उसने कहा ऐ समुद्र तेरे वक्ष स्थल पर जो लहरें और तरंगे उठ रही है और जो यह गर्जन हो रहा है वह सब बेकार है क्योंकि तुम्हारे पेट में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल रही हैं। जब तक तुम्हारे पेट में यह अन्याय चलता रहेगा तब तक तुम्हारा गर्जन और यह लहरें तरंगे सभी बेकार हैं। उसी प्रकार से भूतपूर्व सरकार और आज प्रतिपक्ष के नेताओं तथा सदस्यों का गर्जन तर्जन सभी बेकार है जब तक उनको यह अहसास नहीं होता कि हिन्दुस्तान की जनता जितनी पहले गरीब थी उससे आज ज्यादा गरीब हुई है और उत्तरोत्तर गरीब हो रही है। पहले हिन्दुस्तान में जितने बेकार थे उनकी संख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी हुई है। हिन्दुस्तान के विद्वानों, अर्थ-शास्त्रियों ने कहा है कि पहले यदि गरीबी की रेखा के नीचे जिन्दा रहने वालों की तादाद 40 फीसदी थी तो आज वह संख्या बढ़ते बढ़ते 66 फीसदी तक पहुंच गई है। बिहार में मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री ने बतलाया कि बिहार में गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालो की तादाद 73 प्रतिशत है। बंगाल में भी ऐसे लोगों की संख्या 73-74 प्रतिशत है। जब इस प्रकार से गरीबों की संख्या बढ़ती जाये तब भी कहा जाता है कि आर्थिक प्रगति हो रही है। इस देश में बेकारों की संख्या बढ़ती जाये तब भी उधर से कहा जाता है कि देश में आर्थिक प्रगति हो रही है।

बेकारी के बारे में आप स्वयं सरकार के आंकड़े देखें तो आप को पता चलेगा कि भारत के एम्पलायमेन्ट एक्स्चेंजों में 1 जुलाई, 1975 को जिन लोगों के नाम रजिस्टर्ड थे उन की संख्या 87 लाख थी जोकि एक साल बाद यानी 1 जुलाई, 1976 को बढ़कर 97 लाख हो गई। यदि आज के आंकड़ों को देखा जाये तो उनकी संख्या एक करोड़ पांच लाख होगी। मैं प्रतिपक्ष के नेताओं और माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि सन 1971 की जो सेंसस रिपोर्ट है उस में कहा गया है कि 61–71 के दर्म्यान दस सालों में लेबर फोर्स 4 करोड़ 20 लाख बढ़ गई। इनमें 1 करोड़ 5 लाख लोगों को काम मिला और बाकी करोड़ों लोग बेकार रह गये।

[श्री चौधरी ठाकुर]

अगर आज 71 से 77 की जनगणना हो तो नतीजे और भी भंयकर निकलेगें। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान में जो बेकारों की संख्या है उस की सही सही जांच होनी चाहिये। मेरा ख्याल है इस देश के 60 करोड़ लोगों में पांच का एक परिवार मांने तो 12 करोड़ परिवार हुए जिसमें हर परिवार में एक व्यक्ति बेकार है। इस प्रकार से आज देश में 12 करोड़ लोग बेकार है।

आज एक भंयकर परिस्थिति हमारे देश के सामने है। गरीबी बढ़ती गई, बेकारी बढ़ती गई, इतना ही नहीं, समाजवाद के नारे के बावजूद गैर-बराबरी भी बढ़ती गई। मैं इस समय आंकड़े नहीं देना चाहता हूं लेकिन समय आने पर आंकड़े देकर साबित करूंगा। बहुत से लोग इस को साबित कर चुके है कि आर्थिक गैर-बराबरी बढ़ती गई। लेकिन उस के बावजूद भी इन्होंने कहा कि हमारे देश की आर्थिक प्रगति हो रही है, हम तरक्की की तरफ जा रहे है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा इसलिये कहना चाहता हूं--हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में स्वंय कहा है कि हमारी सरकार की स्थापना हुए अभी तीन ही दिन हुए है। हम को समय नहीं मिला है। अब हम को समय मिलेगा और हम समय निकाल कर एक योजना तैयार करेंगे कार्यक्रम तैयार करेंगे और तब हम देश को बतलायेंगे कि हम किस आधार पर देश का नव-निर्माण करना चाहते हैं। मगर एक बात साबित हो गई है कि आर्थिक लाभ की चाहे जितनी प्रशंसा की गई है, जनता को कहा गया है कि हम बहुत ऊंचे उठ गये है--परन्तु जनता ने आपकी उस बात को नहीं माना। आपने एमर्जेन्सी का चाहे जितना बखान किया हो, आप लोगों को कीर्तन-मंडली ने एमर्जेन्सी का चाहें जितना कीर्तन किया हो, जनता ने उस को मानने से इन्कार कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, कविवर दिनकर ने जो बात लिखी है--वह सच साबित हुई है--उन्होंने लिखा है--

> व्यक्ति, वंश या दल विशेष का
> देश गुलाम नहीं है,
>
> उस की ही इच्छा जनता की
> सुबहोशाम नहीं है।
>
> सत्ता एक धरोहर--जनता जब
> चाहे तब ले ले,
>
> अपने पावन बहुमत में जिस को
> चाहे वह दे दे।

अध्यक्ष महोदय, इनका समाजवाद का नारा कितना खोखला है, मैं सिर्फ एक आंकड़े से साबित करना चाहूंगा। मैं उस दिन काठमाण्डू में था और प्रधान मंत्री का ब्राडकास्ट सुन रहा था। बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में प्रधान मंत्री ने कहा था--जहां तक जमीन के बटवारे का सवाल है एक साल के अन्दर जितनी अतिरिक्त भूमि है, फ़ाजिल जमीन है, सरप्लस लैंड है, एक एक इंज भूमि का बटवारा एक साल के अन्दर हो जायेगा। मगर आज क्या स्थिति है? मैंने कल कृषि विभाग से आंकडे इक्ट्ठे करने का प्रयास किया--मेरे पास ये 31 जनवरी 1977 के आंकडे है--ये मेरे अपने आंकड़े नहीं है, इस सरकार के, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, जो उस समय विदेश मंत्री थे, उन की सरकार के आंकडे है। इन आंकड़ों में यह बतलाया गया--वह कागज मुझे इस समय मिल नहीं रहा है-- लगभग 34 लाख कुछ हजार एकड़ भूमि अतिरिक्त भूमि के रूप में घोषित हुई जिसमें से 18 लाख कुछ हजार एकड़ भूमि अर्जित की गई, सरकार ने अपने कब्जे में ली। इस में से 11 लाख

कुछ हजार एकड़ भूमि का बटवारा हुआ। लेकिन उस से लाभान्वित हुए – केवल 7 लाख कुछ हजार लोग। मैं सही आंकड़े कागज खोज कर दे दूंगा। मैंने यह भी पता लगाने का प्रयास किया कि सरकार के आंकडों के मुताबिक हमारे देश में भूमिहीन लोग कितने हैं, तो मुझे तो बतलाया गया कि 3 करोड़ 46 लाख लोग भूमिहीन है। अब आप देखिये 3 करोड़ 46 लाख या शायद 4 करोड़ 56 लाख भूमिहीन लोगों में से कुल 7 लाख कुछ हजार लोगों को भूमि दी गई – यानि यह दाल में नमक के बराबर भी नहीं है, समुद्र की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। मगर इन्होंने यही कहा कि हमने समाजवाद ला दिया है, हम ने जमीन का बड़े पैमाने पर बटवारा कर दिया है।

दुनियां को मालूम है कि जमीन के बटवारे का नारा जब इन लोगों ने शुरु किया, तब जमीन बांटने के लिये बची नहीं थी और अगर बची भी थी तो बहुत कम बची थी। हम ने जमीन बांटने के लिये सन् 1948 में, 1949 में, 1950 में 1951 में, और 1952 में बड़े बड़े प्रदर्शन किये थे, सम्मेलन किये थे और प्रस्ताव पारित किये थे। जमीन बंटवाने के लिये हमने सत्याग्रह किया था और जेल गये थे। इन्होंने जमीन बांटने की बात तब सोची जबकि जमीन बांटने के लिये नहीं बची। इस तरह से लोगों को जमीन नहीं मिली और न मिलने वाली ही थी क्योंकि कांग्रेस पार्ट जैसी है, कांग्रेस पार्टी का जैसा ढ चा है, इस के नेता जैसे लोग है, उन से जमीन गरीब लोगों में बांटने की आशा नहीं की जा सकती थी। जमीन बांटने के नाम पर लोगों को धोखा दिया गया था।

आप की घंटी बज गई है, इसलिये मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि इन लोगों से समाजवाद नहीं लाया जा सकता था। हमारे दल ने जो घोषणा पत्र प्रकाशित किया है उसमें हम ने कहा है कि हम गांधीवाद पर चलेगें, महात्मा गांधी जी हमारे प्रेरणाश्रोत है और हम लोकतन्त्र और समाजवाद का निर्माण करेगें और आगे आने वाले दिनों में यह साबित करेंगे कि जहां इनका समाजवाद नकली था, वहां हमारा समाजवाद असली समाजवाद होगा और यह साबित करेंगे कि जहां इन का समाजवाद रेडियो वाला, आकाशवाणी वाला था, आसमानी था, वहां हमारा समाजवाद धरती वाला होगा, जमीन वाला होगा और जहां इन का समाजवाद कागजी था वहां हमारा समाजवाद वास्तविक होगा। यह हम आगे आने वाले दिनों में दिखा देगें।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव पेश करता हुआ अपने भाषण को समाप्त करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

SHRI K. S. HEGDE (Bangalore South): Mr. Speaker, Sir, I have great pleasure in seconding the motion moved so admirably by my esteemed friend, Shri Karpoori Thakur. The last election was unlike the earlier elections. It was a second freedom struggle. It was a struggle to establish the freedom lost during the twenty months prior to the elections.

Sir everyone of us knows that everyone of our freedom was taken away by the then government and the then ruling party. On the 25th June, 1975 without any reason whatsoever an emergency was declared by the then government.

[Shri K. S. Hegde]

Mr. Speaker, Sir, we have now been told that the emergency when it was declared had not been approved by the Council of Ministers as required by the Constitution. An emergency can be declared only when there is a threat to the security of the country either by external aggression or internal disturbance. It is for all of us to consider whether there was any threat to the security of the country on the 25th June, 1975. If there was any threat that threat was to the office of an individual. There was absolutely no threat to the security of the country. Small questions of law and order are now being considered as threat to the security of the country. On 25th June—you remember Mr. Speaker—what had happened was that the Supreme Court of India refused to grant an unconditional stay to the then Prime Minister in her election appeal. There was a demand that she should step down at least for the time being till the case was decided by the Supreme Court. It was at that point of time that Mrs. Gandhi and Mr. Sidhartha Shankar Ray—who was not a member of the Central Cabinet then—the Chief Minister of West Bengal went at midnight to the President and asked the President to declare emergency. It was a strange phenamenon. You know Mr. Speaker—as you have been a member of the Central cabinet— that no important decision can be taken by the Prime Minister alone. But more than that, no outsider could take part in taking a decision which ought to be taken by the Council of Ministers. Such an important decision as to declare an internal emergency was taken by the Prime Minister in consultation with an authority which has nothing to do with the discharge of constitutional responsibility. The Chief Minister of West Bengal was not a member of the Council of Ministers. It was he who appeares to have advised the Prime Minister to declare emergency to save herself. Now, this declaration of emergency appear to have been placed before the Council of Ministers on the next morning. It is very strange that very eminent members who are members of the Council of Ministers nodded their heads in approval. I did not expect an experienced administrator like Mr. Chavan to support such a move. (*Interruptions*) The Council of Ministers did not raise even a little finger when the freedom of the country was destroped by one stroke. What did they do? Immediately after the declaration of internal emergeny, an order was passed by the President under Article 359 of the Constitution saying that no one shall move the court for any relief either under Article 14 or under Article 21. All the rights under Article 19 had already stood suspended in view of the external emergency declared in 1971. The external emergency declared in 1971 when Pakistan declared war on this country and the Pakistan war was over in the course of a few days. One expected that that declaration of emergency will be revoked very soon. Repeated demands were made by the Opposition to revoke the emergency but Mrs. Gandhi and her Government were not willing to revoke the emergency. Repeatedly they went on saying: "We have material before us which we are not prepared to disclose to any body to show that there was threat of external aggression. This was an entirely incorrect statement, and I don't think that there was any material before the Government to show that there was threat of external aggression. But they wanted this power to curb the liberty of the people so that once the declaration of emergency was made under Article 352, automatically all the rights under Article 19 stood suspended. That is what they wanted. They never wanted the people to enjoy the seven freedoms embodied under Article 19 of the Constitution. Now, not being satisfied with that, they did much more. A Notification was sought for from the President suspending the rights under Articles 14 and 21. Mr. Speaker, you remember what Article 21 is. Article 21 protects our life

and liberty. It is the most important Article in the Constitution. It protects our life, it protects our liberty. Now, one such a declaration was made, we lost all right to life and liberty. The effect was summarised by the Attorney-General in the Supreme Court. He said: "Once a right under Article 21 was suspended, one can be shot down nd killed, one can be starved and killed and nobody can question." This is what the Attorney-General said on behalf of the Government of India. That is what has happened. Thousands of people were arrested and detained. Today's paper reports that even the Home Ministry does not know how many people were arrested and detained. A strange phenomenon. Then the Home Minister who probably enjoyed very little power in the Home Ministry at that time because the junior Minister was ruling went on saying 'Oh, a small percentage of people we have detained'. Nobody knows how many people were detained. Thousands of people were detained. According to our information, over a lakh and fifty thousand people were detained during the course of emergency. Not a single finger was raised in protest. Members of Parliament were arrested and detained. Why? Merely because they would not agree with the ruling Party, or with the Prime Minister. That is the only crime that the Members have committed. What crime Mr. Chandrasekhar committed. A member of the Congress Party, a Working Committee member. What crime Mr. Ram Dhan committed. He was the elected Secretary of the Congress Party? why was he detained? Did he do anything at all? Why was Dharia detained. No explanation was coming forth. They were detained merely because they did not agree with the policies of Mrs. Gandhi. Whoever did not agree with Mrs. Gandhi was dubbed as a traitor. Whoever helped her or said 'yes' for everything she said was considered as the greatest patriot in this country. It is the most strange phenomenon that every single Minister of our Cabinet bowed down his head. I think history will record that the attitude of those Ministers had been a shameful one.

In no other country were the Ministers so submissive to the Prime Minister as in this country during the Emergency. Obviously, they were afraid that they would themselves be arrested and put in detention. I know one Member of Parliament. He appears to have told a friend of mine when asked "how do you happen to support such a legislation?" That the only alternative before him was either to vote in favour of the legislation or to go to jail and he preferred to vote with the government. This is what has happened.

MR. SPEAKER : The hon. Member may continue after Lunch.

13.0 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at three minutes past fourteen of the Clock

[SHRI DHIRENDRA NATH BASU *in the Chair*]

MOTION OF THANKS ON THE ADDRESS BY THE VICE-PRESIDENT ACTING AS PRESIDENT—*Contd.*

SHRI K. S. HEGDE: Mr. Chairman, prior to the lunch break I had referred to the manner in which the Council of Ministers were functioning during the Emergency. I had mentioned the fact that instead of functiong as independent and competent representatives of the people they functioned as 'yes' men of Mrs. Gandhi. Even a major decision like the declaration of Emergency was made without even consulting them. That is not all. Many more things have been done. Many atrocities were committed and yet the Council of Ministers closed their eyes, plugged their ears and shut their mouths. They did not take any action whatsoever to protect the interests of the people of this country.

[Shri K. S. Hegde]

On flimsy grounds, people were arrested and detained. I will give you an example in this connection. In my own State of Karnataka, there is a place known as Mudugere. There is a petty astrologer. That astrologer one day sat in a shop and told somebody that Mrs. Gandhi's Government would fall after three months. This information reached the Station House Officer. Immediately the man was arrested and detained. Many students were detained just because they cried out that Emergency should be lifted. They were not even allowed to appear for the Examination. When they sought the court's intervention to permit them to take their examination, the Government opposed. But the High Court of Karnataka permitted them to appear for the examination under Police custody. Immediately the government appealed to the Supreme Court, but unfortunately the Supreme Court over-ruled the decision of the High Court permitting the students to take the examinations. Hundreds of students have been detained and many of them rusticated. Even in the case of students studying in private colleges, instructions were given by the government that once they are arrested and detained, they must be rusticated. Today a few thousands of students in my State have been rusticated and they could not continue their studies. Many officers serving in banks—not only nationalised banks but others also—were arrested and detained and on suspicion. Once they were arrested and detained, they were rusticated from service and they have lost their jobs. Thousands of families are starving....

SHRI CHANDRE GOWDA (Chikmagalur): You can re-instate them:

SHRI K. S. HEGDE: Yes, we will do that. I thought at least now repentance will come to them but I am sorry they have no sense of repentance at all! They have supported arbitrary rule for a very long time. Let them abide by the rule of law at least now. It is strange that not merely in governmental matters but even in other matters the Council of Ministers became almost slaves to Mrs. Gandhi's family. One minister accompanied her son to Russia as if he were the President of India! It is only when the President goes outside that a Minister-in-waiting goes with him. The Chief Ministers vied with one another in receiving him. The whole Cabinet trouped to the aerodrome. I am told in my State not less than Rs. 18 lakhs were spent to give a reception to him. When he came to Gulbarga, people were brought from South Kanara, 600 miles away, in lorries and buses to fill up the place and to show that there was a big audience for him!

Something strange was happening which one could not understand. Not only ministers, but Members of Parliament, particularly those of the Congress Party, competed with one another in supporting every move of the government. In fact, the cartoonist Abu gave a very interesting cartoon. Whenever there was a proposal by the government, many members raised not only one hand but both the hands lest they should be missed! You cannot find many parallels in history for such things. If you want a parallel you must go to Hitler's Germany. The last 20 months, from 25th June 75 to 18th January 77 were the darkest days in the history of this country. Even during the British times such things did not happen—thousands of innocent people were being made to suffer for no fault of theirs.

SHRI VASANT SATHE (Akola): It is strange to hear from you praise for the British rule!

SHRI K. S. HEGDE: They were far better at least in respecting human rights. Whenever the British Government arrested and detained a person, his name was allowed to be published in the papers. Nothing was suppressed. Papers knew who was arrested and where he was detained. But Mr. Sathe's government never

published the name of a single person who was arrested. Many people did not know for many days that Shri Jayaprakash Narain was arrested and detained, or that Shri Morarji Desai was arrested and detained. Did such things happen during the British time? When a person was arrested, the British were good enough to tell him on what charge he had been arrested. Did Mr. Sathe's government mention the charges on which people were arrested? A wrong person might have been arrested. All these things were going on but the MPs did not raise their voice of protest. On the other hand supported everything that the government did. I would not say that Government did it. The Prime Minister did it or the coterie around her did it. Many ministers of the government did not know what was happening. They were as much in the dark as anyone else.

SHRI JAGANNATH RAO (Berhampur): Which Minister told you that?

SHRI K. S. HEGDE: One of the Ministers who resigned. The Home Minister himself said that he did not know how many persons were in detention.

SHRI JAGANNATH RAO: He did not say so.

SHRI K. S. HEGDE: It is a strange phenomenon that happened and such a phenomenon should not be allowed to happen again. That is why my party in its manifesto declared that the power to declare the emergency must be restricted. It must be contained; it must be done only under circumstances which are proper and which are in the interest of the country.

AN HON. MEMBER: And justiciable.

SHRI K. S. HEGDE: I won't say justiciable because there may be difficulties. But there must be certain restrictions on it and it must be exercised under strict control. We know how emergencies have been declared in this country and how they have been continued. You will remember that during the Constituent Assembly debates my friend Mr. H. V. Kamath warned the people 'look by enacting Articles 352 and 359 you are holding the people to ransom. One day some Prime Minister having authoritarian tendency will use this power to enforce dictatorial rule in this country.' He was prophetic and I am sure he has come back to see that such things do not happen again.

Our Constitution is based on rule of law. Mrs. Gandhi and her Government completely abrogated the rule of law and established the rule of a family. I will illustrate one or two things. When Mrs. Gandhi's election was set aside, the whole rules of the game were changed for the sake of one person. The election law was completely changed restrospectively and the Parliament went on to declare that she had been validly elected. That declaration was struck down by the Supreme Court as not having been competently made. Look to the 39th Amendment. What did it say? Fortunately it has not been passed by one of the Houses. Any crime committed by the Prime Minister either before or during the time of her continuance as Prime Minister —it may be murder, it may be theft, it may be robbery—no court can try her even after she ceases to be the Prime Minister. We have not heard of such a law in any country, not even in Uganda. The rule of a law was completely abrogated. It was something strange but the Congress Party supported it.

In order to maintain the rule of law, in order to have balance between the federal units and the Centre, the Constitution has created the Supreme Court and the High Courts. The function of the Supreme Court and the High Courts are that of the guardian of the fundamental rights of the people and the balancing wheels of the Constitution. What did government do so far as judiciary is concerned? In every possible way they degraded the judiciary. The whole purpose was to bring down and humble

[Shri K. S. Hegde]

the judiciary and force it to obey the orders of the Government. They propounded the theory of committed judges. Have you ever heard that in a democratic country the judges of the country should be committed to the philosophy of the Government? They are undoubtedly committed to the philosophy of the Constitution. They are bound by the philosophy of the Constitution and not by the philosophy of the Government of the day. The late Mr. Kumaramangalam while propounding the theory on the floor of the House said: "We want judges who are forward looking and who will accept our point of view." This is the theory propounded by Mr. Kumaramangalam, and obediently followed by Mr. Gokhale. What did they do? Every judge who decided any important case against the government, was transferred. In my State of Karnataka, 2 very impartial and eminent judges against whom no complaints had ever been made, were transferred. What had they done? They entertaind the writ petition of Mr. Advani and others. They came to the conclusion that they could entertain the petition. Those 2 judges were transferred to UP and Assam. The second gentleman who was transferred, had married late (*Interruptions*). For Mr. Lakkappa's benefit, I will tell him what the provision of the Constitution is. When the provision was enacted in the Lok Sabha, Mr. A. K. Sen gave a solemn assurance on the floor of this House that no judge would be transferred without his consent. Let us find this out from the records. Mr. Lakkappa may not know it. Mr. Lakkappa says that there is a provision in the Constitution. There are many provisions in the Constitution. They are to be implemented in a proper manner. The judge concerned had two small children; he had to go to Assam where Assamese is the regional language. I have made a proposal to the Law Minister that all those judges who had been transferred on political or extraneous considerations, must be given a chance to go back to their home States. If they had been transferred on other or proper grounds, it is another matter. But if they had been transferred solely on political or extraneous grounds, they must be given a chance to go back, so that the independence of the judiciary may be maintained. The independence of the judiciary is sought to be established not for the benefit of the judges. They cannot benefit from this independence. Members of the House can increase their own salary or perquisites as we have been repeatedly doing; but the judges cannot do it. Independence was given to them, so that the rights of the people may be protected. It is for that reason that their independence was provided for. A few judges have succumbed to the threats of the Government. Mr. Jethmalani has given notice of an amendment providing for the screening of the judges. I for one, with all respect to Mr. Jethmalani, am totally against it. I agree with him that some of the judges have tried to play politics during the Emergency. It is a different matter. But once you begin to screen judges for the sake of just a few of them, we will be repeating the same thing which Mrs. Indira Gandhi's government did. That will be demoralizing the judiciary. The independence of the judiciary is extremely important.

What about the rights of the people? All the rights have been completely taken away. The rights of the people are embodied in Articles 14, 19 and 21. We will leave other Articles to themselves. They are not that important. Article 14 provides for equality of opportunity and equality before law. Article 19 embodies the 7 well-known freedoms and Article 21 provides for protecting life and liberty. These Articles were embodied in the Constitution after a great deal of deliberation. Back in 1928, the Congress party at its session in Madras, ap-

pointed a committee under the chairmanship of Pandit Motilal Nehru. That committee went into the matter and made several recommendations. Thereafter, another committee appointed by all parties conference under the chairmanship of Mr. Tej Bahadur Sapru went into the matter again; and that committee endorsed the recommendations of the Motilal Nehru Committee. Thereafter, after the Second World War during which the human rights were destroyed all over the world, the United Nations appointed a Human Rights Commission under the chairmanship of Mrs. Roosevelt. This Commission sat in Paris for a long time; and the human rights were all listed and embodied in a Charter. India was a party to that Charter. We were one of the first subscribers to the charter. All the rights mentioned in Part III of the Constitution are taken from the U. N. Charter. Everyone of them, each one of them, has been taken from the United Nations Charter. Each one of them has been completely annihilated. We have no guaranteed right of equality before the law; it can be completely taken away. So also the seven freedoms under article 19 and also the freedoms under article 21. Our Constitution, as one author said, has been damaged, defaced and disfigured. And when did they do it; that is most important. They were elected for a term of five years. After the term expired, they gave unto themselves another one year, and thereafter yet another one year. And during that period of grace, what did they do? They said the people had given a mandate to them back in 1971 to amend the Constitution. If there was a mandate in 1971, why did they forget it till 1976? Why were they sleeping over it? This is a question that has to be answered on the floor of the House. It is in 1976, during the period of emergency, that they amended the Constitution. Shrimati Gandhi was plain in saying "we are amending the Constitution so as to consolidate the gains of emergency". She made it absolutely clear.

Now, what is it that they have done? They have enacted article 31C, which empowers all legislatures, both Central as well as State Legislatures, to enact any law abrogating all the rights under articles 14, 19 and 31. They can make any law and all that the Legislature has to do is to make a declaration that it is to implement the Directive Principles.

It seems they are very fond of implementing the Directive Principles. Let me remind the Leader of the Opposition and the other members of the opposition that one of the Directive Principles was to give free and compulsory education to all children between the ages of 6 and 14 by 1960. Did they do it? Did the courts come in the way? Did the Fundamental Rights come in the way? Another very important Directive Principle was to devolve progressively more and more powers to the local self-governing unit. But local self-governments have been annihilated over the last ten years. No elections have been held for the local self-governments. When Shri Sheikh Abdullah wanted to hold elections, they almost threatened him with *satyagraha*, because they never believed in elections at all.

In my State the elections to co-operative societies have been made away with. Now they have filled up all those posts with the nominees of the Government. Not only that, the land tribunals have also been filled in with nominees of the government and they were the most important election agents of the party then in power.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) We have made progressive land reforms.... (*interruptions*).

SHRI K S. HEGDE: Mr. Chairman, I am prepared to agree with Mr. Lakkappa that some aspects of that legislation are very progressive, and I support them. Is he satisfied now?

[Shri K. S. Hegde]

But what is the worst feature of it? Those disputes have to be settled by whom? By your henchmen, and they are invariably decided in favour of the Congressmen and their nominees. That is the worst feature. Why don't you have independent people to decide the disputes. I hope you will not dispute it when I say that most of them worked for the Congress Candidates during the last elections. There is no doubt about it. The tribunal members were doing election work and then going to the tribunal and deciding cases and then again doing election work. I am sure, Shri Pai, will not deny it. I know in his constituency the tribunal members did election work.

SHRI T. A. PAI (Udipi): I know that some of them worked for you also.

SHRI K. S. HEGDE: Then they would not have continued to be members at all.

SHRI T. A. PAI: You have to be impartial when you make statements.

SHRI K. S. HEGDE: I would say that the whole machinery has been perverted, the judicial machinery has been completely perverted.

Many of them, including my esteemed friend, Mr. Pai, for whom I have great regard,—we have worked together for a number of years told the electorate; look, all your property rights will be taken away if Janata comes to power. They were going on saying: while we want to protect your property right, the Janata Party wants to take away the property right. They were saying it because in our manifesto we have said that the property right will be a statutory right and not a constitutional right, not a fundamental right. The reason is obvious. In the guise of taking away the property right, they were mostly concerned with taking away the liberties of the people. What the Janata Party has said that property right will be a statutory and not a fundamental right. I hope the hon. Members realise its legal implications. Today we have absolutely no property right at all because article 31(2) provides that any property can be taken away by Government for public purpose by paying a nominal amount. A property worth Rs. 10 lakhs or Rs. 10 crores can be taken away by the Government for public purpose for Rs. 10.

SHRI P RAJAGOPAL NAIDU (Chittor): Within the ceiling, a market value is to be paid.

SOME HON. MEMBERS: No, no.

SHRI K. S. HEGDE: His information is not correct at all. Let him not dare dispute what I say. Let them first study the law and then dispute it.

Under article 31(1) you can take away any property, there is no difficulty or doubt, but the Janata Party has said: let there be no excuse for taking away the other liberties of the people. We do not care for property rights, but we do care for freedom of speech, freedom of movement, freedom to practise any profession, freedom to form associations and equality before the law. This is exactly what we have said. All these rights had been taken away during the last twenty months.

Now, it is our programme to reamend the Constitution to restore it to its original position. We have a mandate from the people to restore to them the rights that they have been robbed of by a Parliament which had no power at all, which had outlived its existence, which had put people, including Members of

Parliament, in prison which had frightened Members of Parliament. It was under duress that the law was passed. It is the mandate of the people now to re-amend the Constitution and restore the balance. In this we seek, co-operation of the Opposition. I hope they will respect the mandate of the People. If they do not, they are accountable to the people. If they vote against it, we will go back to the people and tell them what has been done by them. It is up to them now to decide. This is a crucial time in the history of this country. They have done a lot of damage to our Constitution, they have destroyed the rights of the people. We want to give back to the people their rights. I hope the Opposition will have the good sense to see the writing on the wall and support the move of the Government.

So far as the economic condition is concerned, our aim is not merely to profess to do something but to really do something. Back in 1971 the Congress Party, under the leadership of Mrs. Indira Gandhi, said that they would wipe out poverty in this country. The people voted for the slogan of *garibi hatao*. They did not vote for the Congress Party. Let us see what has happened during the last six years, how much of poverty has been removed and how much remains. Mrs. Indira Gandhi had the courage to say the other day that she had implemented all the promises that she had given, but may I know how much of poverty has been removed? The number of people under the poverty line has substantially increased as everybody knows. Prices have gone up enormously between 1971 and 1977. The conditions of the people are miserable. I come from a constituency which has no less than 101 slums. Everybody thinks that Bangalore is a very beautiful city, a city of gardens. When I fought the elections, I was also under the impression that it was a city of educated people and that I should not have any difficulty in getting their confidence.

Once I went to that area and found that a large area was full of slums.

(*Interruptions*)

It is true that I have retired. I love my retired life. I give credit to my friends who drew me back to politics.

(*Interruptions*)

Look at the slum conditions in Bangalore. In other places, it may be worse. People are living there in sub-human conditions. Even cattle cannot live in such places. The poor people, the weaker sections of the society, are terribly suffering. Something has to be immediately done to alleviate the suffering they have gone through in this country. They believed in the promises of the Congress Party; they blindly voted for them.

The men who have been living there do not think of tomorrow, because they have no education. The Congress had deliberately kept them illiterate, uneducated. They merely think of the day.

During elections, sarees were distributed; liquor flowed like water. Their workers were going in trucks carrying sarees, money and weapons. My workers seized four trucks containing these things.

(*Interruptions*)

I don't think my constituency was an exception. Even in other places, hundreds of cars were running day-in-day-out and spending lakhs of rupees. It had been made possible for them to do so because of the amendment to the electoral law. Now the party could spend any amount. The electoral law had not been reformed at all in spite of the repeated demands, that there should be free and fair elections. Laws, instead of being changed to make them good so that we might have proper and just elections, were amended in such a

[Shri K. S. Hegde]

way as to facilitate the Party to corrupt the electorate. They were under the impression that they could get any amout of money from the industrialists and distribute it among the electorate during the elections. But fortunately, things have changed. I am quite sure the hon. Members of the Congress Party will now agree to amend the electoral law.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI (Anantnag), *rose*

(*Interruptions*)

SHRI K. S. HEGDE: I am not yielding.

(*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: My point of order is that (*Interruption*) when a Member is speaking there is no way of interrupting him except on a point of order. Mr. Qureshi is not on a point of order and therefore he cannot say anything.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: The Hon. Member was making a very good speech and I admire him for it. But he said that our workers were going about in trucks containing liquor, sarees and arms. I was only wanting to ask where those trucks are now.

(*Interruptions*)

SHRI K. S. HEGDE: Well, I thought that a former Minister would have learnt some discipline during the Emergency, but he does not seem to have learnt any discipline at all. It is the rule of the House that when a Member is speaking, he can be interrupted only by point of order. Probably he is not aware of that. (*Interruption*).

Anyway, he has asked where those sarees and weapons are now. They have been seized and handed over to the police: they are in the custody of the Police.

SHRI VASANT SATHE: What about the liquor?

SHRI K. S. HEGDE: Mr. Sathe is particular about the liquor: probably he is interested in it but I am not and therefore I am not able to help him in this matter.

Now, before eliminating poverty, the most important thing is to put down political corruption. Unless and until you put down political corruption, no improvement in the economic condition is possible because every gain made by the society will go through the drain as has been happening. There are serious corruption charges against many Chief Ministers and many Ministers: it is necessary that the present Government should initiate enquiries against those Ministers.

14.40 hours

[MR. SPEAKER *in the chair*.]

Mr. Speaker, if I make a reference to you and me, coupling the two together, I hope you will have no objection. I may just mention that you and I retired from political life and if we have again been brought back to political life, it is because of the circumstances connected with the Emergency.

I hope, Mr. Speaker, I have not said something with which you do not agree.

I was mentioning about the widespread corruption prevailing. The Administrative Reforms Commission recommended Years back, eight or nine years back, the appointment of Lokpal and Lokayukta. Even that was a half-hearted recommendation. A Bill was introduced in Parliament; it was passed in one House and was never taken up in the other House; the Bill had been languishing in one House or the other. It is, probably, no more in the agenda now because of the dissolution of Lok Sabha. Unless you put down political corruption, there can be no improvement at all. The Congress Government was not interested in putting down corruption; it was the inspirer of all

political corruption. What happened was that, whenever a person went against the Prime Minister, immediately an inquiry was started against him. I am not against it. Mrs. Nandini Satpatny was removed from the Chief Ministership, and within two days, an inquiry was started against her. 125 Members of Parliament made a complaint against Mr. Bansi Lal, and Mrs. Indira Gandhi was not willing to hold an inquiry. The Public Accounts Committee in Karnataka made serious charges against Mr. Devraj Urs, but she was not interested in holding an inquiry against him.

AN HON. MEMBER: Against Mr. Nijalingappa also.

SHRI K. S. HEGDE: Hold an inquiry. I am not against any inquiry. If there are charges against me or Mr. Lakkappa, let an inquiry be held. I am prepared to face it. I am not saying that inquiries should be held only against one person or the other. What I am saying is that....

SHRI K. LAKKAPPA: Such people are in the Janta Party.

SHRI K. S. HEGDE: Most of those people who have been held to be corrupt or are known to be corrupt have been sent back to the Congress Party they are not in the Janta Party at all, and they will have no place in the Janta Party.

It is necessary that the present Government should soon enact a law to control political corruption, to see that there is no political corruption. I know, corruption is not only at the political level, but it is there at other levels also. But it is not possible to tackle all of them at the same time. What is most important is to tackle the political corruption because that is the fountain source of all corruption. We are told that Emergency was proclaimed to put down smuggling. Mr. K. R. Ganesh was the first to start proceedings against smugglers, and Mr. Ganesh soon lost his Finance portfolio. At any rate, we know, one smuggler made a press statement in Delhi that, for the U.P. elections, he gave Rs. 4 crores to the Congress Party. It is well known that it is the Congress Party which sponsored the smugglers; they encouraged them; they sustained them. It was only when the public opinion went against them that they tried to go against the smugglers. We would like them also to join us in enacting a law to put down smuggling effectively. But it should not be by preventive detention because he may be a smuggler or may not be a smuggler. Who knows? Who judges that? Somebody must independently go into the matter and decide. Then only will there be value for human liberty. What the Congress Government was doing was, whichever smuggler was with them he was not detained and whichever smuggler refused to be with them was detained. It is also well known that many smugglers were leading a luxurious life in the jail; they were given radios, they were allowed to remain in hospitals, they could enjoy life in full....

MR. SPEAKER: The hon. Member may conclude.

SHRI K. S. HEGDE: Yes, Sir. I do not want to encroach on the time of the House any more. I do not want to break the rules....

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): He made an allegation about the U.P. election. Mr. Bahuguna was the Chief Minister at that time.

MR. SPEAKER: No; the hon. Member should not get up like this. He may sit down.

SHRI K. S. HEGDE: It is very difficult to educate these people. It is a very hard task for me to educate them. I do not want to take upon myself that responsibility....

MR. SPEAKER: Somebody will do it. Mr. Hegde will conclude his speech.

SHRI K. S. HEGDE: Thank you for giving me the time, Sir. I close my speech.

MR. SPEAKER: Motion moved:

[Mr. Speaker]

"That an Address be presented to the Vice-President acting as President in the following terms:—

'That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Vice-President acting as President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 28th March, 1977'."

I may remind hon. Members that some amendments to the Motion have been circulated. If the hon. Members desire to move their amendments, they may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the amendments to be moved.

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: (Satara): Mr. Speaker, Sir, I am rising to praticipate in this debate for a brief time to explain our views on the President's address, which is under discussion. Before I start discussing the document itself, I would like to give my best wishes and congratulations to the party in power, particularly the Prime Minister, who happens to be an old Congressman and also a very elderly statesmen of India. We are happy to see him there. When I said, I wish well to the ruling party—because they claim to be a party—I have my own doubts about this proposition, but I would come to that point a little later. But certainly, I think I must give them my best wishes. They claim to be a party I wish they were a party, but as they are claiming it, it is better to wish them well.

Now, coming to the document itself, it is a very brief document and looks a light-weight document, not in the physical sense, but looking to the contents of the document. Certainly, I do understand the argument that there was a very little time for the Government to prepare a well-reasoned document in three day's time, but even then, there are many experienced people in political life and administrative life sitting on the Treasury Benches and we expected a little better document, a little weighty document with a little more content. This observation, I most make as a representative of my party. They have come to take over the administration with triumphal beating of drums and I think, it was necessary for the country to know exactly what they want to do while in power in different fields. There are, of course, certain indications of a few things, about which I will certainly say very briefly what we think about these.

Sir, many members discussed the significance of the election results and the pattern of the elections. Well, we have conceded that we have lost the election and the mandate has gone against the emergency. As the Mandate has gone against the emergency, we have withdrawn the emergency and I think, our country has said good-bye to the emergency for good. But at the same time, I think the significance of the election was that it rejected the emergency, but it did not accept the Janta party. This is a matter of interpretation. The Janta Party, I am told, has yet to come into existence on the Ist of May, a very revolutionary day to take birth and I am sure, the members of the CPM would take a great pride in that and sing songs about it. I, of course, do not know about the feelings of the Swatantra party.

This vote, according to me, is rejection of the rigours of emergency and the emergency itself. We, as Congressmen, have accepted it as we shall. We have also accepted the lesson that delegation of powers without adequate checks and controls, either to the executive or to the bureaucracy is apt to be misused and abused. This is a lesson that one needs to keep in mind and I think, this would guide the political life of India in the days to come.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : आखरी वक्त में क्या खाक मुसलमां होंगे ;

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : ऐसा, करेंगे तो हम भी आपके लीडर को बोलने नहीं देंगे ।

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: I do not mind interruptions. It is all part of the parliamentary life. I am quite used to it and we should be prepared for it.

I was saying that I have my own doubts about accepting Janata Party, as one party. Though there is a wishful thinking going on both inside the House and outside the House that a two-party system is emerging. If it emerges I will be very happy about it—but, as I know the Members, I can tell that for the last 3-4 days when the regular business of the House started, since then I have attended the House for a major part of the day, and I tried to discern and absorb the speeches made on the other side because I was trying to understand what the Janata Party has got for the people. I know the Members and I know who is a Socialist, who is a Marxist, who is a Swatantra and who is a Jan Sanghi and who is a Cong (O) man. We know them all. We know their respected leaders and their views and their presentation and we anticipated what they would try to do. But I was trying to know what this strange animal Janata Party is like....

SHRI SHEO NARAIN (Basti): It will take time.

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: I really wanted to know what exactly they are trying to forget about their past because, ultimately....

AN HON. MEMBER: There will be no DIR.

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: When I am trying to give your description, please don't get angry about it. Certainly you have exaggerated many things. You have showered abuses on my Party and the previous Government. Naturally you should be prepared to listen something from this side as well. As a ruling Party, I would advise that you should learn to absorb more of this type of things because you have to stay there. Is it not? If you want to stay there, then better leave it there and accept such things.

I was trying to say that we know their respected leaders. We know them all. Now, what exactly the Janata Party can give? What exactly is Janata Party's special programme? Yesterday, Shri Kanwar Lal Gupta who is not present here now gave out the truth. I must thank him for that. He said, 'Previously as he went as a Jana Sangh candidate, he never got more than 1 per cent of the Muslim votes but this time when he went as Janata candidate, he got 91 per cent of the Muslim votes.'

AN HON. MEMBER: Now he has learnt a lot. Why should you feel sorry for that?

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: I am not sorry, because he has not forgotten that he is a Jana Sangh man. Not only that, he has now found that Janata Party was a good vote-catching device.

SHRI MADHU LIMAYE (Banka): He was, but he is Janata now.

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: This is the line of argument. I wish it were true. I was saying that this Party is nothing more than a vote-catching device. I can say that in politics there is nothing wrong in adopting vote-catching devices. Let me make it very clear. It is a very legitimate thing to do. But then say that it is so.

Hon. Member Shri Karpoori Thakur this morning gave statistics as to what percentage of votes his Party got and

[Shri Yashwantrao Chavan]

what the Congress got. I would certainly like to tell him that this type of percentage-collection of different types of parties together without any common approach excepting the opposition to the Congress and exploitation of unfortunate situation of the emergency, will not help them. The emergency was an unfortunate situation. They have expressed their views and I have expressed my views about emergency and I would like to tell my countrymen and my Party members that emergency is not a part of the tradition or ideology of the Congress. Congress has stood for democracy, for individual liberty and individual freedom. At the same time congress has stood for social justice, economic equality and socialism.

SHRI MADHU LIMAYE: I take it, it was an aberration of yours.

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: If you call it aberration, well, I will not take objection.

SHRI MADHU LIMAYE: Thank you.

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: But this is not part of our congress tradition; this is not part of our congress ideology. It arose because of certain unusual events which prevailed before the introduction of emergency some of the parties have made their contribution to it also. Let me ask you to take note of that also. We drifted into that situation of emergency. It is good that it is over. We have said good-bye to it and good-bye for good, good-bye to it for ever. So, I would like to make this point perfectly clear. As I said, we have learnt a lesson. You also have learnt a lesson, don't take people for granted; comforting oneself and throwing election results at our faces in the manner in which it is being done is taking people too much for granted.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): It is a dying declaration.

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: That is the only thing you know about. I never disturbed you. The point which I am making is this, that our party has got its commitment, its ideology, its programmes; it has got its coordinated policies, on the basis of which they have functioned in this country for the last thirty years. These efforts have made a major contribution in making what modern India is today. These facts cannot be denied simply by accusing congress. You can always raise arguments about emergency. Yesterday the Finance Minister was refusing to accept certain realities. We don't say that we have done everything good. But we have done certain things to improve the economy of the country. Look at the foreign exchange position. We have proved that we have got the capacity to stop the trend of inflation which the world bodies have accepted.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): The World Bank has wrongly accepted the manipulated claim of buoyancy of the economy which was bogus.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): Government statistics are what they are; we have expressed our doubts about the Government statistics.

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: You will be representing India in many international conferences. Please don't do injustice to India in order to spite the Congress. Only because you do not like us, don't say, world bank was bogus.

SHRI MORARJI DESAI: I have not said that the World Bank is bogus. I have never said that.

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: The World Bank has produced certain documents which you consider bogus. That means, World Bank is bogus. What else does it mean?

15 hrs.

May I respectfully submit to you that our Prime Minister who was also a member of the former Government for many years had also made some contributions to what India is to-day. (*Interruptions*). He was himself a part of the Congress even at that time as a Finance Minister. Then, he was a Commerce Minister for many years and then Deputy Prime Minister for some years and he had his own contributions to make. So, why disown our own doings or our own child, if I may say so?

I find only a sort of negative attitude in this and thus you would not be taking a realistic view. If you want to handle India, a difficult country, a dear country which we all love—but a very complex country and difficult country—please do not take our people for granted. We were 350 a few weeks ago and the people got angry and so we are now 150. But, take note of one thing that with all your efforts you have got 270 seats and in no time you will be seventy only, if only the people take it into their heads! So, please do not take our people for granted. I am only stating the fact. I am sitting on this side in acceptance of certain realities and we are realistic indeed. We shall certainly look forward to the futre with confidence and shall certainly get our place in the hearts of the people and be back again. We are for the service of the people as we had been so far and we can certainly go to them and admit our mistakes. A mother can be angry with her child. But she does not get angry with her child permanently.

These are our relations with the people. You have only the name ot the people! (*Interruptions*). The Prime Minister was not here at that time when I said that we expected a little more content in the document. Our party represents certain integrated policies. You cannot say that the economic policy can be separated from the internal policy or the internal policy can be separated from the external policy. Economic policy, educational policy, industrial policy, defence policy, are an integrated coordinated whole and so, you will have to take a view of the whole matter. Therefore, we wanted to see the glimpse of it. We heard something of what you proposed to do about the Constitution etc. We had heard about it. Just now I heard the lecture of Shri Hegde on the law of property; he was talking about the liberty of the people. Mostly he talked about the law of property and the right to property.

SHRI K S. HEGDE: Certainly not

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: I heard your emphasis. You said you had renewed your politics. May I make a little amendment here with your permission, Mr. Speaker? It seems Shri Hegde has never left politics. (*Interruptions*). I do not want to say anything more.

SHRI K. S. HEGDE: It was you who had complimented me when you were the Home Minister.

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: Yes, as Home Minister, I certainly recommended you for promotion to the Supreme Court; I am sorry for that.

Then, Sir, the Finance Minister while speaking the other day, was referring to the document which did not represent the philosophy and policy and the programmes of this Government. I wanted to know what philosophy and programmes and policies he had really in his mind. Because I find a number of philosophies sitting before me. This is a point which I am talking about is very serious. Mr. Speaker, Sir, through you I would like to know what is their philosophy, what is their programme and policy. Can anyone say with hand on heart that the disciples of Ram Manohar Lohia

[Shri Yashwantrao Chavan]

can completely give up identity and join with Jan Sangh? Can I ever imagine that those who have accepted Marxist philosophy as their social, economic and life philosophy can ever go and integrate themselves with Swatantraites like Shri H. M. Patel?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: We have done that.

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: Mr. Speaker, Sir, if they want to mislead themselves they certainly can do that but I do not want to mislead myself.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You please read our manifesto.

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: I have read so many of your documents (*Interruptions*). I will continue to do so.

श्रीमति चन्द्रावती (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। हमारी इस साइड में जो बैठ हैं उनकी कोई आइडियालोजी हो लेकिन जनता में जो डर थ उनको तो हमने दूर कर दिया है।

MR. SPEAKER: There is no point of order. It is only a point of disorder.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: We want to be enlightened about your earlier convictions, Mr. Chavan.

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: I am where I was. I have not changed my position. I am consistent with myself.

Sir, I was trying to say that this Janata Party if they want to work as one party certainly they can try. I wish them good luck. I wished them well in the beginning learn something from those who have wielded power for thirty years. We have made mistakes but we have also made major contributions towards building India. My piece of advice is that all those old habits which they formed while working in the Opposition parties during the last thirty years may be forgotten by them now. Do not go on repeating your stories of successes in the election. Do not merely go on abusing Congress for the emergency because it is no longer there. I am trying to tell you that people after taking contrary view about a certain situation namely emergency, have put you in a seat of responsibility on probation. Please take my words. Fortunately you have got a good leader.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Earlier he was our leader also.

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: Because I know him that is why I am giving him this certificate which I am sure he does not need. I hope you will make good use of him.

Sir, what I am trying to say—the Prime Minister was not present yesterday—is that now a series of economic conferences will soon be held and we will be participating in the economic cooperation conferences. We are one of the leading nations among the developing countries which have certain responsibilities to take a lead in certain matters. So, please don't damage India's reputation in the economic field and political field. That will not help us.

I must say that one paragraph on the foreign policy is rather inadequate. It seems somewhat a responsible statement. I am glad that they have said that they stand by all the commitments made to the other governments. At the sme time, they also supported our non-alignment policy because non-alignment policy is not a Party policy. Non alignent policy has been evolved in the course of the last 30 years by exchange of views in this hon. House and debate outside and it is now the policy of

the nation. Our foreign policy is not a Party policy, it is a national policy and I hope we continue with that without any break. I am sure a responsible person like Shri Atal Bihari Vajpayee is in charge of the policy and because he was a member of this House and he was in politics for a longer time, I am sure he will provide that leadership and see that the foreign policy of India succeeds and makes India a stronger India in the comity of the world.

I would certainly like to say one word about the economic aspect because yesterday I found the Finance Minister and many other Members were trying to say that India has lost economically this way or that way. This is not going to help India as a nation and I would therefore request you to forget the Congress as now you have defeated it. Why the Congress is constantly on your mind. Forget about it and think about yourself first. I am giving this word of advice on the basis of experience. See to your responsibility because India's problems are complex problems, difficult problems. Merely abusing the Congress is not going to help you. Therefore, concentrate on what you can do. Merely under-estimating Congress or under-estimating the policy of the Congress is not good. You have to take India from where it is to the forward positions. If you are to do that, you must see the strength of India, you must see the weakness of India. You cannot say that all is vague, everything is lost. Then you don't know India. Certainly there are many basic stands in the foreign policy area, in the economic policy area, in the educational policy area. Regarding Science and technology, for example, we have certainly got many assets to our credit. Are you going to underestimate them? Are you going to create an image of India as if it is nothing? Please, therefore forget us for the time being, and think about at least India if at all you want to rule this country.

I will express some views on one paragraph that the Government have included in the Address. That was about the Constitution-making where they have advocated the theory of balance. This is the very old theory of balance, balance between people and Parliament and judiciary and individuals and people—all sorts of balance of power theory. I will certainly like to make my Party's position very clear on some of the aspects. Though we have accepted the results of the elections in a certain way which I have explained already, we have not accepted the election results as a rejection of the Forty-second Constitutional Amendment Bill. I would like to make that clear. We basically stand for the paramountcy of Parliament. If you want to underestimate it, you do that. But we stand by that principle of Parliament's paramountcy. But at the same time I would like to say that if there are any other aspects and if you come with any specific formulations, we will certainly consider them.

श्री मधु लिमये (बांका) : आपने तो लोक सभा के मुंह पर ताला लगाया था। अब आप संसद की सर्वोच्यता की, सुप्रिमेसी की, बात कर रहे हैं।

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: Forget the past. Now you are again in Parliament and I am again in Parliament. Forget the past and think about the present and future.

I was making certain clarifications. I have stated our position. But if at all there are any positions which we think in the light of the new situation are worthy of our consideration, we can always consider them with an open mind. But I would like to repeat that as far as the basic position is concerned, we don't accept the election result as a rejection of the 42nd Constitution Amendment Bill. That is very much part of our policy and we are not sorry that we passed it.

SHRI K. S. HEGDE: What about denigrating the judiciary?

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: Judiciary? (*Interruptions*). We respect the judiciary and we want the judiciary to function effectively in its own role given by Parliament. Do not forget that it is Parliament which has the supreme power. Within its sphere, it is certainly supreme; but it cannot say that it is supreme in all spheres and it can sit on everybody's head.... (*Interruptions*.)

These are the only two specific issues to which the President's Address made a reference and that is why I tried to explain our position. As the Address is rather brief, I do not think that I should make a long speech and so, Sir, I have done.

SHRI S. G. MURUGAIYAN (Nagapattinam): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that no mention has been made in the Address for holding elections to the Assemblies of Tamil Nadu and Pondicherry for installing popular governments." (1).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that no mention has been made in the Address of effective steps for arresting the prices of essential articles and for strehgthening public distribution system for the supply of essential commodities for weaker sections of the society." (2).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that no reference has been made in the Address regarding refund of compulsory deposits to the workers and revision of Bonus Act to ensure minimum bonus." (3).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that no reference has been made in the Address about drought conditions in major parts of Tamil Nadu causing unemployment to millions of agricultural labour and affecting agricultural production in the State of Tamil Nadu and the need to grant relief to the ryots." (4).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that no mention has been made in the Address of the delay in settling the sharing of water of Cauvery among the concerned States, which has seriously affected the Cauvery Delta in Tamil Nadu." (5).

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention that the Government would restore the right of bonus to workers, as deferred wages." (26).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention that India's foreign policy will be based on anti-imperialist solidarity with all those who are fighting for national liberation, peace and progress; and against apartheid, racialism, zeonism and various forms of neo-colonialism." (27).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention that India stands with Arab people in their struggle against zeonism and imperialism." (28).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention that India stands with the people of Africa who are waging a great struggle for the consolidation of their freedom and independence which is threatened by neo-colonialist offensive launched by imperialism." (29).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about our continued support to the heroic people of South Africa, Zambabwe, and Namibia who are fighting against the apartheid and racialism for their national liberation." (30).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention that India will continue to strengthen her bonds of friendship and co-operation with the socialist countries." (31).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention that the Government would take steps to reduce the voting age to 18." (32).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address no concrete measure has been spelt out for effectively solving the problem of unemployment." (33).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the recent trend of price rise and no remedy suggested." (34).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the need for a thorough reform in the field of education, culture and sports." (35).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the need to de-link the newspapers from the big industrial houses.' (36).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about trend of alarming growth in the assets of the big monopoly houses in India and no measures suggested to curb the growth of monopoly in Indian economy." (37).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the need to vigorously implement land reforms." (38).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

'but regret that in the Address there is no mention about the Twenty Point Programme and a review of its implementation." (39).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no assurance that those responsible for the excesses in implementing Family Planning Programme will be brought to book and punished." (40).

[Shri C. K. Chandrappan]

That at the end of the motion, the following be added, namely:

'but regret that in the Address there is no mention about the serious crisis in handloom industry resulting in massive unemployment and no remedy suggested." (41).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

'but regret that in the Address there is no mention made about the atrocities perpetrated against Harijans and no remedy suggested." (42).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the serious problem of brain drain in India and its far-reaching consequences on our progress in future." (43).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the crisis in traditional industries like textiles, jute, coir, cashew and beedi and suggested remedy." (44).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the millions of contract labourers who are exploited in the medieval fashion and no remedy suggested." (45).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the problem of illiteracy and no remedy suggested." (46).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the ways and means by which the new Central Government would improve and strengthen its relations with the State Governments." (47).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

'but regret that in the Address there is no mention about the need for the immediate scrapping of the Compulsory Deposit Scheme and repayment of money to workers." (48).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address there is no mention about the speedy settlement of inter-State river water disputes, especially about the settlement of Cauvery water dispute between Karnataka, Kerala and Tamil Nadu." (49).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

'but regret that in the Address there is no mention about the speedy sanctioning of all outstanding cases of pension to freedom fighters; especially in cases relating to Punnapra-Vayalar struggle in former Travancore State, Telengana armed insurgence against Nizam of Hyderabad, RIN and RAF mutiny, INA cases and Mopla Rebellion, Malabar." (50).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that in the Address does not reaffirm India's support to the struggle for national liberation and against recism." (76).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address is silent on the issue of the implementation of the decisions of the Colombo non-aligned summit." (77).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not reiterate India's resolve to work in cooperation with the socialist and other third world countries for the establishment of a new international economic order in the face of opposition by the USA and other Western powers." (78).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address misses the arms build up in our region by the USA including continued equipping of the military base in Diego Garcia, nor does it give call for an end to the arms race." (79).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not offer India's support to be Arab people in their struggle for securing the withdrawal of Israel from all occupied Arab territories in terms of the Security Council resolution of October, 1967 and of other resolutions of the Council." (80).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not make any demand for transforming the Indian Ocean as a peace Zone." (81).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not take due note of the move of the World Bank to distort India's developmental policies by laying stress on the so-called export-oriented industries ." (82)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not indicate any solution of the problem of repayment liabilities on account of the country's heavy foreign debts." (83).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not refer to the east-west detente demanding its extension in other regions in order to make it irreversible." (84).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not take due note of U.S. President Jimmy Carter's statement that the USA would deal with the developing nations case by case from the point of view of the country's interest." (85).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not take any pride in India's policy of peace, non-alignment and anti-imperialism which has raised the stature of the country in world affairs and at the same time brought strength to it." (86).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that while correctly noting that the people have given a clear verdict against the emergence of 'extra-constitutional centres of power' against which the CPI and others in Parliament and outside had been repeatedly warning during the months of emergency, the Address, however, does not indicate

[Shri C. K. Chandrappan]

that the nefarious activities of these centres of power and their operators would be so exposed that none in future dare resort to such illegal and foul activities which befit the mafia but by no means any set of decent persons with any respect for democratic norms and values or decencies of public life." (87).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not assure that officials including retired officials like R. K. Dhavan (former Prime Minister's Secretariat), Muhammad Yunus (former Prime Ministers special envoy) N. K. Singh (special private secretary to the former Commerce Minister), Khurana (Home Secretary), Bhinder (DIG, Police, Delhi), S. R. Mehta (Chairman of the Board of Revenue), K. R. Puri (Governor of the Reserve Bank of India), D. Sen (Director of CBI), Navin Chawla (Adviser to Lt. Governor of Delhi), B. R. Tamta (Commissioner of Delhi), K. N. Prasad (an ex-Deputy Director of Central Intelligence Bureau who was made an Addl. Secretary of the I&B Ministry), Mishra (Jt. Secretary, Defence Ministry), Chairman of Delhi Development Authority, Jagmohan, and others who were the operators of the extra-constitutional centres of power would be called to book in an examplary manner so that no officials in future would dare resort to such illegal and outrageous practices." (88).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not give any assurance that all the links of the extra-constitutional centres of power within the bureaucracy, corporations and business circles would be exposed." (89).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not assure that business deals struck by or with the help of the extra-constitutional centres of power with the foreign and Indian business concerns would be brought to light and steps taken to annul them." (90).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that no proposal is made in the Address to bring Parliament into the picture for investigating the constitutional, legal and political aspects of the operation of the extra-constitutional centres of power notwithstanding the fact a great damage has been done to our Parliamentary institutions particularly Parliament by such operations that ignored all democratic norms as well as the rules of accountability of the Ministers to Parliament, some Ministers having been made accountable to the extra-constitutional authority on whom they danced attendance and from whom they took orders." (91).

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address makes no reference to the problems and difficulties of the minorities and the steps necessary towards their solution." (51).

SHRI P. K. KODIYAN (Adoor): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not give any assurance that the amendments to the Bonus Act 1973 which were carried out dur-

ing the emergency would be repealed and that the right to bonus as under the original Act would be fully restored." (52).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not give an assurance that the C.D.S. would be scrapped." (53).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address ignores the fact that the large number of Naxalites and other political prisoners are still in detention under MISA and otherwise in West Bengal and in other States whose unconditional release is the demand of the public." (54).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address overlooks the fact that during the emergency altogether impermissible concessions had been given to the monopolists not only to the detriment of the national economy but also in defiance of the wider considerations of social justice." (55).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address overlooks the demand of the working people that the concessions to the monopoly houses given during the emergency would be withdrawn." (56).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not assure that the toiling peasantry will be assured remunerative prices for their produce." (57).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not take note of the fact that the minimum wage and the fixed wage for agricultural labourer has not been duly implemented in many States while their implementation is of crucial importance from the point of view of national economy and social justice." (58).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not assure that the problem of closures, retrenchment and lay off will be effectively tackled with a view to protecting the workers and employees." (59).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not take note of the fact that Indian big business houses are exporting capital out of India while the nation needs a higher domestic saving for investment within the country." (60).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not refer to the public sector nor does it give an assurance that the public sector shall be further expanded and democratised." (61).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not propose any measure to effectively curb the money power in elections." (62).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address seeks to push the idea of a 'Two

[Shri P. K. Kodiyan]

Party System' for our country, which is nothing but an attempt to undermine the role of the working people, through their left hand democratic parties, in the affairs of the nation." (63).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address distorts the results of the election in order to foist upon the country discredited bipartisanism of the U.S. brand on our country." (64).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address while declaring that India will follow a path of genuine non-alignment does not specifically reaffirm that the policy of peace, anti-imperialism, anti-colonialism and anti-racism will be unwaveringly pursued." (65).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not promise that the minimum pension to the freedom fighters will be increased which has been a long standing demand of the freedom fighters and the public." (66).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not assure that self-reliance and attainment of economic independence shall be the main direction of the national economic development." (67).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not take any note of the increasing infiltration and exploitation by multi-nationals in our country." (68).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not contain any assurance regarding steps against atrocities being committed against Harijans in several parts of the country." (69).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not give any assurance to implement the revised minimum wages for agricultural workers." (70).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not refer to the urgency of implementing land ceiling laws." (71).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not make any reference to the grave unemployment problem in the country." (72).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not refer to the problem of distribution of free house-sites to landless people in the rural areas." (73).

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not give any assurance to implement debt relief measures for agricultural workers, Harijans, Adivasis and poor peasants." (74)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address does not mention the need to repeal the Act negating the LIC Bonus agreement." (75).

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that no mention has been made in the Address to restore the right of the workers to get bonus of 8 1/3 per cent as deferred wage." (102).

That at the end of the motion, the following be added, nemely:

"but regret that no mention has been made in the Address for solving the problems of unemployment and of bringing down the price line." (103).

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that there is no mention in the Address regarding the withdrawal of the Compulsory Deposit Scheme." (160)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address has not given any assurance to amend the Bonus Act to declare the bonus as a deferred wage." (161)

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address has not made any specific proposal for the overall development of the backward areas of the country especially the southern part of the country." (162)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने यह बात जानने म अपनी असमर्थता प्रकट की है कि जतना पार्टी क्या है। उन्होंने कहा है कि जनता किस प्रकार का जानवर है।

What sort of animal the Janata Party is?

यह चव्हाण साहब ने कहा है लेकिन मैं उन को यह बता देना चाहता हूं कि इस संबंध में मुझे होली के इतिहास की घटना याद आती है क्योंकि होली के बाद ही हमारे यहां चुनाव हुए थे। आप को याद होगा कि किस प्रकार से हिरणयकश्यप ने जनता के ऊपर अत्याचार किए थे। उस राक्षस ने कह रखा था कि मेरे राज्य में राम का नाम नहीं ले सकते, मेरे राज्य के अन्दर सत्य नहीं बोल सकते। तो उस राक्षस को समाप्त करने के लिए नरसिंह ने अवतार लिया था और नरसिंह अवतार ने किस प्रकार से उस राक्षस को मारा, यह चव्हाण साहब जानते हैं। उसी तरह से नरसिंह अवतार के रूप में जनता पार्टी का जन्म हुआ है। उन लोगों को समाप्त करने के लिए जिन्होंने 19 महीनों के अन्दर अपने अलावा किसी की जय नहीं बोलने दी और यह कहा कि इन्दिरा गांधी ही हिन्दुस्तान है और इन्दिरा गांधी के अलावा हिन्दुस्तान में कुछ नहीं है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चव्हाण साहब ने जनता पार्टी के लिए कहा है कि यह किस प्रकार का जानवर है। मैं आप को समझा रहा हूं कि जनता पार्टी क्या है। हिरणयकश्यप के कुशासन को समाप्त करने के लिए जिस प्रकार से नरसिंह क अवतार हुआ था, उसी प्रकार से जनता पार्टी का जन्म कांग्रेस के कुशासन को समाप्त करने के लिए जेल में हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, चव्हाण साहब ने यह भी कहा है कि यह जो डाकूमेंट है, यह बड़ा लाइट डाकूमेंट है लेकिन आप यह जानते

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

है कि बड़े बड़े हैवी वेट-लिफ्टर्स को लाइट-वेट लिफ्टर्स ने पछाड़ दिया है। इसलिए लाइट-वेट डाकूमेंट होते हुए भी, जनता पार्टी की ओर से, जनता पार्टी की सरकार की ओर से संक्षिप्त रूप में यह एक बहुत अच्छा डाकूमेंट है। राष्ट्रपति जी ने यह कहा है कि केवल तीन दिन हमारी सरकार को बने हुए हैं और तीन दिन के अन्दर हम ने जो कुछ भी सोचा है, वह इस डाकूमेंट के अन्दर दिया है। अगर चव्हाण साहब गंभीरता से इस का अध्ययन करते तो उन को पता लग जाता कि किस दिशा की ओर हमारी सरकार जाने वाली है। हमारी सरकार ने उन की ओर भी मित्रता का हाथ बढ़ाया है।

जहां तक चुनाव का सम्बन्ध है, यह चुनाव कोई किसी नेता ने नहीं जीता है और न किसी उम्मीदवार ने इस चुनाव को जीता है। यह चुनाव तो जनता ने जीता है और उस ने बता दिया है कि क्या दिशा देश को देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को हरा कर दुनिया के इतिहास में एक मिसाल जनता ने कायम की है और जनता ने 25 जून, 1975 की काली रात के दिन प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने जो हिन्दुस्तान के प्रथम गणतंत्र की जो हत्या की थी, उस के स्थान पर 24 मार्च 1977 के दिन श्री मुरारजी देसाई को प्रधान मंत्री बना कर एक नए गणतंत्र की स्थापना की है और इस की जिम्मेदारी उन पर डाली है कि वे इस देश के पुनर्निर्माण के काम को आगे बढ़ाएं। चव्हाण साहब इस देश के बहुत पुराने, जाने पहचाने नेता हैं। पता नहीं अब भी वे क्यों 42 वें अमेंडमेंट पर अड़े हुए हैं? यह अड़े रहने का अवसर नहीं है। जहां तक पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का प्रश्न है, हम भी उसके पक्ष में हैं। हम वहीं चाहते कि वह न रहे। हम चाहते हैं कि जतना पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिल कर, आपस में एक साथ बैठ कर इस मामले पर बातचीत करें। एमर्जेंसी के दौरान जो कुछ भी अन्याय हुआ है उसको हम सब को समाप्त करना है। आइए, हम और आप भारत के गणतंत्र के नए अध्याय को प्रारंभ करें। हमारे प्रधान मंत्री इस देश में प्रजातंत्र की परंपराओं को फिर से स्थापित करना चाहते है और इसमें वे विरोधी पक्ष के नेता के सहयोग की अपेक्षा करते है। हम पुरानी बातों को भूलना चाहेंगे। लेकिन इसके साथ ही हम एक नए अध्याय को भी प्रारंभ करना चाहेंगे। अगर हम इस 42वें संविधान संशोधन पर अड़ रहे तो बहुत सारी बातें खुलेगीं जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते है कि देश के अन्दर नए अध्याय का प्रारंभ हो और इसको प्रारंभ करने में जनता पार्टी और विरोधी पक्ष दोनों सहयोग करें।

आपने जनता पार्टी के गठन के बारे में भी कहा। हम स्वयं स्वीकार करते है कि अभी इसका पूरी तरह से गठन होना है। आप ही ने इसे पूरी तरह बनने का मौका नहीं दिया। हम जेलों में रहे। जलों में रह कर हमारे नेता कैसे इस पार्टी का पूरी तरह से गठन कर सकते थे? जो हमारे नेता बाहर थे, उन्हें जितना अवसर मिला, उतना उन्होंने किया। आपने तो हमें मौका ही नहीं दिया कि जनता पार्टी का निर्माण कर सकें। चुनाव की घोषणा के बाद जितनी जल्दी हमको अवसर मिला, हम एक पार्टी के रूप में आपके सामने आए। चुनाव समाप्त होने के पश्चात्

हम आपके सामने सदन में आए। अब सदन का अगला जो अधिवेशन होगा, उससे पहले हम एक हो कर आपके सामने आएंगें। इस बात की हमारे महामंत्री ने घोषणा की है। अगले सदन की बैठक होने तक हम विधिवत् एक हो जाएंगें। आपके कारण ही प्रजातंत्र का स्वस्थ विकास नहीं हो सका। इसके दोषी आप ही है। किस तरह से आप लोगों ने पीछे हम लोगों के खिलाफ आरोप लगाए, लेकिन उन सब आरोपों के बावजूद आज हम एक है। आपने जो आरोप लगाए, उनका उत्तर मैं नहीं दूंगा, उनका उत्तर जनता ने आपको दे दिया है।

हमारे प्रधान मंत्री जी जो कि आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं वे इस देश के अन्दर एमर्जेन्सी के दौरान जो कुछ भी हुआ और बहुत सारी शिकायतें सामने आई जिनकी चर्चा इस सदन में भी हुई, उन सब को देखेंगे। अभी कल रेलवे मंत्री जी ने घोषणा की कि जो कर्मचारी हड़ताल के अन्दर हटाये गए थे उन्हें वापस लिया जाएगा। लेकिन इनके अलावा बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो कि एमर्जेंसी के दौरान गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट्स से कम्पलसरेली रिटायर कर दिये गए। उनमें से बहुत ऐसे थे जिनकी सेवाएं पूरी नहीं हुई थीं। किसी का दस वर्ष का सेवा काल रह गया था किसी का पन्द्रह वर्ष का सेवा काल रह गया था। इन कर्मचारियों को एमर्जेंसी के दौरान एन्टी गवर्नमेंट लीनिंग का चार्ज लगा कर सेवाओं से हटा दिया गया। ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जिनको सेवाओं से मुक्त किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों के मामलों पर भी सरकार विचार करे। जिन कर्मचारियों को कम्पलसरेली रिटायर किया गया है उन को बिना शर्त काम पर वापस लिया जाना चाहिए।

इस एमर्जेंसी के दौरान एक और भी वर्ग बहुत प्रभावित हुआ। वह वर्ग है किसान का। इसके कारण हमारे देश के अन्दर जितना कृषि का उत्पादन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। मेरी ऐसी मान्यता है कि अगर यह वर्ग प्रभावित न हुआ होता तो हमारा कृषि का उत्पादन बहुत अधिक हुआ होता। मैं इस अभिभाषण में किसानों के लिए कोई बात नहीं देखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले बजट में इस वर्ग की समस्याओं का पूरा ध्यान रख कर किसानों के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। यह कहा जा सकता है कि चूंकि कृषि विभिन्न राज्य सरकारों का विषय हैं इसलिए इसे हम डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि आज किसान बिजली के कनेक्शन कटाने के लिए तैयार है क्योंकि उनको प्रोफिट नहीं हो रहा है। एमर्जेंसी के दौरान बिजली के रेट 13 पैसे से बढ़ा कर 30 पैसे कर दिये गये। उन पर 17 पैसे का भार डाला गया। यह सब एमर्जेंसी के दौरान हुआ और इस बारे में किसान कुछ नहीं बोल सके। हमें कृषि को प्राथमिकता देनी है और कृषि का उत्पादन बढ़ाना है। इसके लिए हमें किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना होगा। एमर्जेंसी के दौरान किसानों पर जितना भार डाला गया है उसके बारे में हम सोचें कि किस प्रकार से हम विभिन्न प्रांतीय सरकारों से किसानों को रिलीफ दिला सकते हैं। किस प्रकार से किसान को उसकी उपज का पूरा भाग मिल सके यह आपको देखना चाहिये। एग्रिकलचरल प्राइस कमिशन कीमतों के बारे में कुछ सिफारिशें हर साल करता है। पिछले सालों में किसानों को 105 रुपये का रेट गेंहूं का मिला है और 136 रुपये में सरकार ने उसको बेचा है। इस में सरकार को कुछ फायदा नहीं होता है। विशेष तौर से एमर्जेंसी में खाद के दाम केन्द्रीय सरकार ने कुछ घटा दिए थे। लेकिन केवल उससे काम नहीं चल सकता है। आप को किसान को रिलीफ देना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया तो जो लक्ष्य अगले वर्षों के अन्दर कृषि के उत्पादन के आप प्राप्त करना चाहते हैं वे

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं । नया बजट बनने वाला है । उस में यह एक जो मुख्य समस्या है इसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिये और इसका कोई निदान ढूंढ़ना चाहिये

बेरोजगारी के बारे में अब मैं कुछ कहना चाहता हूं । इस धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने इस समस्या पर काफी प्रकाश डाला है । पिछली कांग्रेस सरकार ने एक नया तरीका निकाला था । उसने पिछले कुछ वर्षों से बेरोजगारों के आंकड़े देना बन्द कर दिया था । शायद यह अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उसने किया था । मैं चाहता हूं कि जो वस्तु स्थिति है उसको आप स्पष्ट करें । वह सरकार केवल एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज में जो लोग अपने नाम लिखाते थे उन्हीं के आंकड़े देती है । लेकिन देश में बहुत से ऐसे लोग भी हैं शिक्षित और अशिक्षित जो नाम नहीं लिखाते । गांवों में बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग हैं । उनका कोई आंकड़ा नहीं मिल रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वास्तविक चित्र है, वास्तविक स्थिति है चाहे वह पिछली सरकार की कमजोरी के कारण हो या किसी दूसरे कारण से वह सामने आनी चाहिये । जिस चीज़ को पिछली कांग्रेस सरकार ने देश से छिपाया है हमारी सरकार को—चाहिये कि वह उसको प्रकाश में लाए । यह पता लगना चाहिये कि हम को कितना बैकलाग मिला है, कितने बेरोज़गार लोग हैं जिन को हमने खपाना, हैं, कितने बेरोज़गारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है ।

आप शिक्षा के सवाल को लें । हमेशा मांग की जाती रही है कि शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये । नई सरकार से मेरा निवेदन है गांव के स्तर से यह परिवर्तन होना चाहिये और शिक्षा प्रणाली को जाब ओरिएंटिड बनाया जाना चाहिये, इस प्रकार की हमारी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिये जो सैल्फ एम्पलायमेंट के अवसर प्रदान करे । हर गांव का आदमी शहर की ओर भागता हुआ न चला आए । क्लर्क हमारी शिक्षा प्रणाली न बनाए । हम अंग्रेजों की बुराई किया करते थे कि वे क्लर्क ही शिक्षा प्रणाली से बनाने का काम किया करते थे । हमारे कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों की ही नकल की और उसी शिक्षा प्रणाली को देश में जारी रखा और सिवाय क्लर्क पैदा करने के और कुछ नहीं किया । यह शिक्षा प्रणाली जो केवल क्लर्क और चमचे पैदा करती है हम में आपको आमूलचूल परिवर्तन करने चाहियें । इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली आप लागू करें ताकि लोगों को स्वयं रोजगार के अवसर मिल सके, गांवों में ही ये अवसर उनको उपलब्ध हों सकें, और गांवों में जो बेकारी व्याप्त है वह दूर हो सके और हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सुधर सके ।

जिस दिन हमारे नेताओं ने पद ग्रहण किया था, पद ग्रहण से पूर्व शपथ ली थी उस दिन हम लोग गांधी जी की समाधि पर गए थे और वहां जा कर हमने उनके सिद्धान्तों पर चलने की शपथ ली थी । गांधी जी विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था के पक्षपाती थे । मैं चाहता हूं कि विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था के आधार पर हम गांवों के अन्दर रोज़गार उपलब्ध कर सकें, इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हमारी होनी चाहिए । आप जो योजना को नया रूप देने जा रहे हैं मैं समझता हूं कि उसकी यही आधार होनी चाहिये । नया बजट भी आप बनाने वाले हैं । उस में मेरी आप से मांग है कि इस आधार पर आप शिक्षा नीति को पुनः निर्धारित करें ताकि जो कुछ पिछले सालों में और पिछले दिनों में देश में हुआ है वह उस प्रकार से न हो सके ।

हैगडे साहब ने कुछ मामलों की जांच करवाने की मांग की है । देश में जो वातावरण पिछले दिनों रहा हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था देश में पिछले दिनों में चली है उसको आपको देखना पड़ेगा और उसका जो रिकार्ड

है वह आपको ठीक करना पड़ेगा । मैं हैगडे साहब की इस बात का विशेष तौर पर समर्थन करता हूं कि जिन लोगों के विरुद्ध आरोपपत्र हैं जैसे हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बंसी लाल उनकी जांच की व्यवस्था की जानी चाहिये । केवल प्रधान मंत्री ने कोई चीज तक तय कर दी और कह दिया कि उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिये तो यह उचित नहीं है । इसी प्रकार राजस्थान के मुख्य मंत्री के खिलाफ भी आरोपपत्र है और पहले जो मुख्य मंत्री रह चुके हैं जिन का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि सदन की परम्परा ऐसी है, उनके खिलाफ भी जो आरोपपत्र हैं उनकी जांच की व्यवस्था होनी चाहिये । चाहे कोई किसी पद पर हो अगर उसके खिलाफ आरोप हैं तो उनकी जांच करवाई जानी चाहिये जो कांड देश में चर्चा के विषय हैं जिन की पिछले दिनों काफी चर्चा चली है जैसे मारुति कांड उसकी भी जांच की विशेष व्यवस्था होनी चाहिये । जो दोषी हैं, जिन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया है उन की जांच होनी चाहिये । चव्हाण साहब जो गृह मंत्री रह चुके हैं कभी उन्होंने कोई कमीशन बिठा दिया अपने विपक्षियों के खिलाफ वही काफी नहीं हैं । चव्हाण साहब स्वयं आ कहें कि आज अगर कहीं कोई शिकायत है किसी के खिलाफ तो जांच होनी चाहिये । कुछ बातों के बारे में तो जनता ने अपना फैसला दे दिया है और कुछ बातें और हैं जिन के बारे में हमें फैसला करना होगा । मेरी पार्टी का कोई हो या उनकी पार्टी का, किसी भी पार्टी का सदस्य हो अगर उसके खिलाफ शिकायत है तो उसकी जांच होनी चाहिये और देश की तथा इतिहास की हमें नए सिरे से रचना करनी चाहिये । तो इस मामले में हम सब को पहल करनी चाहिये और लोकायुक्त तथा लोकपाल का विधेयक गृह मंत्री जी सदन में ला कर पास करवायें ताकि लोगों द्वारा की जाने वाली शिकायतों की जांच हो सके और देश के अन्दर कानून की व्यवस्था पुनः स्थापित हो । जनता पार्टी ने वचन दिया है कि हम देश में रूल आफ़ ला स्थापित करेंगे । इसलिये हम चाहते है कि उन आरोपों की जो जनता ने बड़े बड़े लोगों के विरुद्ध लगाये हैं निष्पक्ष जांच हो और इस बारे में एक स्थाई व्यवस्था देश में हो सके । इस से यह लाभ होगा कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी को उंगली उठाने की जरूरत न होगी ।

इमरजेंसी के अन्दर देश में संघर्ष चला जिस में हम सब ने भाग लिया । मैं चाहता हूं कि विदेशों में भी इस बारे में भारतवासियों का जो रोल रहा है देश में जनतंत्र पुनः स्थापित करने के लिये, चाहे वह भारतवासी इंगलैंड में हों, अमरीका में हों या कैनाडा में, उन सब को धन्यवाद दिया जाय । विदेशों में हमारे मंत्रियों से जब एमरजेंसी के बारे में सवाल पूछे जाते थे तो वह उन का जवाब नहीं दे सकते थे । प्रवासी भारतवासियों ने वहां पर संगठन बनाये और देश की सही स्थिति को लोगों को बताया । कांग्रेस सरकार उन लोगों को देशद्रोही कहती थी, यहां तक कि यह लोग तो जयप्रकाश नारायण जी को और मोरारजी को भी देशद्रोही कहते थे । मेरी मांग है कि विदेशों में जो प्रवासी भारतवासी हैं उन सबका एक सम्मेलन सरकार बुलाये और देश में प्रजातन्त्र की स्थापना के लिये जो कुछ भी कार्य किये हैं उस के लिये उन्हें धन्यवाद दिया जाय ।

जहां तक विदेश नीति का सम्बन्ध है गुट निरपेक्षता को हमारी पार्टी ने स्वीकार किया है । मिडिल ईस्ट का जहां तक सवाल है भारतवर्ष को इस के अन्दर एक प्रभावी रोल अदा करना है । भारत ने सदा इस बात को स्वीकार किया है कि किसी भी देश की जमीन पर दूसरे देश का अधिकार नहीं होना चाहिये । अगर किसी

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

दूसरे देश का अधिकार है तो उस को उस कब्जे को खाली करना चाहिये । हमारी अपनी जमीन भी जो दूसरे देश के कब्जे में है खाली होनी चाहिये । अरबों की जो जमीन इज़राइल ने दबा कर रखी है वह खाली होनी चाहिये । आज हमारा इजराइल से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । अगर रूस, इज़राइल से सम्बन्ध रख सकता है तो हम भी इज़राइल को मान्यता दें और फिर सीधे उस से विचार विमर्श कर के अरबों की जमीन खाली कराने के लिये प्रभाव डाल सकते हैं । तभी हम इफेक्टिव रोल सारे मिडिल ईस्ट के अन्दर अदा कर सकते हैं ।

अन्त में मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सद्भावना का हाथ जनता पार्टी ने उन के प्रति बढ़ाया है उस को वह स्वीकार करें और हम सब मिल कर भारत में जो दूसरा गणतंत्र हमने प्रारम्भ किया है उस में नई परम्परा स्थापित करने के लिये एक सही विरोधी दल के नेता के रूप में वह उभर आयें । ऐसी हमारी कामना है ।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर (बम्बई नार्थ सैंट्रल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय श्री यशवन्तराव चव्हाण का भाषण बहुत गौर से सुना । उन्होंने मार्कसिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बहुत कुछ बताया और सवाल भी पूछे । उन्होंने सवाल पूछा कि मार्कसिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी जनता पार्टी के साथ कैसे जा सकती है ? उन्होंने जनता पार्टी के बारे में भी सवाल पूछा कि यह अजीब जानवर कैसा है, और क्या ये मार्कसिस्जम को भूल गये हैं ?

मैं नम्रता से श्री चव्हाण से पूछना चाहती हूं कि आपने केरल में 5 साल तक सी०पी०आई० के साथ राज्य किया, तो क्या सी० पी० आई० ने अपना मार्कसिस्ज़म छोड़ दिया था ? अपने जमाने में आपने चुनाव के दौरान ए०आई० ए० डी० एम० के० के साथ एलायंस किया था, क्या उन्होंने अपना मार्कसिस्ज़म छोड़ दिया था ? आपका उनके साथ एलायंस चल सकता है। बम्बई में आपने शिव सेना के साथ एलायंस किया । एक जगह कांग्रेस का फ्लैट था और दूसरे बाजू में शिव सेना का फ्लैट था । दोनों मिलकर वोटों के लिये दौड़ते थे । आपको दूसरों से सवाल पूछने की क्या जरूरत है ? इन्होंने अपने चुनाव में जो कुछ किया, उसे जनता जानती है वह जनता के सामने है । मैं जाना चाहती हूं कि शिव सेना कौन से इकनामिक इश्यू पर आपके साथ आई थी ? हमें यह सब मालूम है । इस चुनाव के बाद भी क्या आपको मालूम है कि जब बम्बई में जनता पार्टी के लाखों लोगों की मीटिंग हो गई, उसके बाद शिव सेना के लोगों ने स्टैबिंग किया है ? 15 लोग आज भी अस्पताल में मौजूद है । अब जनता पार्टी और दूसरों में अलायंस हुआ है तो क्या बात है ? आप अलायंस कर सकते हैं, दूसरे नहीं ? इस पर आपको खुद विचार करना चाहिये, ऐसी मेरी विनती है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने एलायंस नहीं किया ।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : मैं जानना चाहती हूं कि आपने क्या किया । ऐसा हो सकता है कि शिव सेना आपकी ही क्रियेशन होगी, इसलिये आप आसानी से नहीं मानते हैं, बछड़ा ही साथ लेकर चलना चाहते हैं ।

आपने ऐसा भी कहा है कि जनता ने जो वोट दिये हैं वह 42वें संविधान संशोधन के खिलाफ नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस चुनाव में हर जगह जनता ने इसके खिलाफ वोट दिया हैं ।

आप कहते हैं कि हम संसद् को सार्वभौम मानते हैं, लेकिन गये एक साल 7 महीने में यह संसद कहां रही और इसकी सार्वभौमिकता कहां रही जब कि एमर्जेंसी का डिसीज़न लेते हुए कैबिनेट को भी नहीं पूछा गया ? कहां इसकी सार्वभौमिकता रही ? इतना ही नहीं, यहां लोक सभा की प्रोसीडिंग्स को पेपर्स में छापने के जो अधिकार थे, उनको भी छीन लिया गया । यह लोक सभा उस समय रबड़ स्टैम्प बन गई थी, उसकी कुछ भी सार्वभौमिकता नहीं रही थी । इसे जनता जानती थी, इसीलिये जनता ने इसके खिलाफ वोट दिया है । इसे आपको मानना चाहिये, अगर आप अभी भी नहीं मानते हैं तो आपकी जो डिफीट हुई है, उसको आप सचाई से नहीं मानते हैं, ऐसा समझना चाहिय । आप अभी तक हैज़िटशन कर रहे हैं । आप मानते हैं कि यह एमर्जेंसी के खिलाफ नैगेटिव वोट है, यह नैगटिव वोट नहीं है ।

आपने देखा कि हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री जब सीलोन गई उन्होंने वहां पर कहा कि देश में सब बात ठीक है, एक भी पार्लियामेंट का मेम्बर जेल में नहीं है । उस समय हमारे 22 मेम्बर पार्लियामेंट जेल मे थे । सर्वश्री मधुलिमय, मधुदंडवते, अटल बिहारी वाजपेयी आदि 22 मेम्बर जल में थे । दूसरे देश में जाकर वह एलान करती हैं कि हमारे देश में एक भी मेम्बर जेल में नहीं है ।

15.39 hrs.

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: She has not made such a statement.

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : यह पेपर में आया है, अगर आप चाहते हैं तो मैं बता सकती हूं । और यह सच कहने की हिम्मत दुर्गाबाई भागवत् ने की और इसीलिये उनको जेल में जाना पड़ा ।

श्री वसंत साठे : उस वक्तव्य की कापी तो मिल सकती हैं । उस को लाइये और दिखा दीजिए ।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : श्री साठे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं । क्या वह दुर्गाबाई भागवत को नहीं जानते हैं ? उस को हैरास क्यों किया गया ।

श्री वसंत साठे : मैं दुर्गाबाई भागवत की बात नहीं कर सरहा हूं । मैं ने वक्तव्य की कापी के बारे से कहा है ।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : हम ज़रूर कापी लायेंगे । यह कहने की तो ज़रूरत नहीं है कि एक्सेसिज़ हुई हैं और लोगों को हैरास किया गया है । अगर माता नहीं मिली, तो 7 साल की पोलियोग्रस्त लड़की को गिरफ़तार कर लिया गया । क्या वे एक्सेसिज़ हैं ? यह तो जान-बूझ कर सताने की पालिसी है । मरे हुए आदमी के लिए वारंट ले कर जाने की भी घटना हुई है । 85 साल के व्यक्ति, पूर्णपात्री दुलेका, को स्ट्रेचर पर ले जाया गया था, लेकिन उन को एक्टिव वर्कर बताया गया था । जिस को चाहा, उसको गिरफ़तार कर लिया गया ।

कहा जाता है कि ये अफ़सरों की ग़लतियां थीं । ये अफ़सरों की ग़लतियां नहीं थीं, बल्कि मिनिस्टरों के आर्डर्ज़ पर यह सब कुछ किया गया था, जो अपना बचाव करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं । हमारे घेराव की वजह से बहुत से मुख्य मंत्रियों को संडास से भागना पड़ा था । अगर हम लोगों को गिरफ़तार किया जाय, तो हम समझ सकते हैं । लेकिन हमारे साथ एक फ़ैमिली प्लानिंग सैंटर की नर्स थी । उसका कोई गुनाह नहीं था । वहां के एक सरपंच के साथ उस की कुछ बातचीत हो गई । इस लिए उस को भी जेल में डाल दिया गया । कहा गया कि वह आर० एस० एस० की कार्यकर्ता है, हालांकि आर० एस० एस० में औरतों को नहीं लेते हैं ।

[श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर]

इतने अधिक लोगों की गिरफ्तारी के बारे में पूरी जांच होनी चाहिए, और जो लोग इस के लिए जिम्मेदार हैं, उनको सजा देनी चाहिए। हम इन बातों को भूल नहीं सकते हैं। लातूर के 3 साल के बच्चे, योगेश अरलेकर, और 5 महीने के बच्चे, ज़मीर अरलेकर, पर डिटेंशन आर्डर लगाये गये। इसी तरह नागपुर की ढाई साल की लड़की, प्रांजलि, पर डिटेंशन आर्डर लगाया गया। कहा गया कि उस के बाहर रहने से इमर्जेन्सी के लिए खतरा है। ये मालूली एक्सेसिज़ नहीं हैं, बल्कि यह सब कुछ एक सुनिश्चित पालिसी के अन्तर्गत किया गया है।

कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से कहा गया है कि लोगों ने कांस्टीट्यूशन के 42वें एमेंडमेंट के विरुद्ध वोट नहीं दिया है। मैं कहना चाहती हूं कि जब मज़दूरों के प्रोसेशन और एसेम्बली के हक छीन लिये गये, जनता के मौलिक अधिकार छीन लिये गये, तो क्या जनता की इस बारे में कोई राय नहीं है। जनता ने साफ़ तौर से कहा है कि इस एमेडमेंट से हमारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया है, इस लिए जिन लोगों ने यह एमेडमेंट किया है, हम उन को वोट नहीं देंगे। आप देखें बम्बई में 6 की 6 सीटें अपोजिशन को क्यों मिली। वहां तो बकिंग क्लास बड़ी तादाद में है और 1971 में 6 की 6 सीटें कांग्रस को ही मिली थीं। तो यह क्यों हुआ? क्योंकि जनता ने यह मान लिया था कि हमारे हकों के लिए अगर लड़ना है, लोकशाही के हकों के लिए लड़ना है तो इस टाइम विरोधी दल को वोट देना चाहिए।

यह भी आप कह रहे थे कि कांग्रेस को गाली देने के लिए हिन्दुस्तान के विकास के बारे मे कुछ न कहें। हम कांग्रेस को गाली नहीं देना चाहते। कांग्रेस तो ऐसे ही मरी हुई है। मरे हुए को ज्यादा पीटना हम अच्छा नहीं समझते। लेकिन मैंने बहुत कुछ लोकशाही की भाषा यहां से सुनी। मुझे एक कहावत याद आई कि बूंद से गई वह हौद से नहीं आती लेकिन ये तो हौद से गई है, उस को बूंद से लाने की कोशिश करते हैं। आप देखिये डेवलपमेंट के बारे में क्या हुआ है? आप कहते हैं कि कांग्रेस को गाली मत दो। लेकिन 20 साल में कितना कुछ करके रखा है, उसको अच्छी तरह से अच्छे रास्ते पर लाने के लिये बहुत कोशिश करनी पड़ेगी।

आप यह देखें कि गरीबी हटाने का नारा दिया था। उससे पहले नारा दिया था—नई रोशनी लाई है। जब नई रोशनी का नारा दिया था तभी आपको मालूम है कि हमारे महाराष्ट्र के देहात की झोपड़ियों में घासलेट का दिया भी नहीं जल पा रहा था। घासलेट नहीं मिलता था। कीमतें बढ़ती जा रही थीं। यह सब जो किया है उसको रास्ते पर लाने के लिए तो कोशिश करनी पड़ेगी। उसको रास्ते पर लाने के लिए पहले क्या किया है उसको तो सामने लाना पड़ेगा। आप कहते हैं कि उसको सामने नहीं लाना चाहिए। हम कांग्रेस को गाली नहीं देते है। लेकिन जो कुछ किया है उसके बारे में तो सोचना चाहिए, उसको जनता के सामने, हाउस के सामने लाना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। अभी हमारे एक सदस्य ने कहा कि दरिद्रता की रेखा के नीचे 40 प्रतिशत से अधिक 70 प्रतिशत हैं।

टैक्सेशन के बारे में आप देखें। अभी जो इन्डायरेक्ट टैक्सेशन था उसमे 100 रुपये पर 85 रुपया टैक्स का देना पड़ता था। इसलिए कीमतें बढ़ गईं। चाय की कीमत बढ़ गई, शुगर की कीमत बढ गई और जितनी जरूरत की वस्तुएं उन की कीमत बढ़ गई इसी इन्डायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से। इस इन्डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए जिम्मेदार कौन हैं? बीस साल से यह जो गड़बड़ चल रही थी वही इसके लिए जिम्मेदार है। अगर कीमत नीचे लानी है तो हमको सोच विचार जरूर करना पड़ेगा।

आप कहते हैं कि बैंकों का नेशनलाइजेशन किया । हम सब लोगों ने उसका स्वागत किया था । लेकिन नेशनलाइजेशन के बाद उसका फायदा किसको उठाया ? उसका हिसाब आप देने वाले हैं या नहीं ? आप देखिये कि नेशनलाइजशन के बाद इन बैंकों से कर्जा किसको मिला है ? बड़े बड़े मत्तेदारों को, मोनोपालिस्ट्स को । उन्होंने इसका फायदा उठाया । गरीब जनता को इससे फायदा नहीं हुआ है । गरीब जनता को इन बैंकों से कर्जा नहीं मिला है नेशनलाइजेशन के बाद और जहां देहात में कर्जा मिला है वह कर्जा वसूल करने के लिए उनके घर का छाता भी निकाल लिया है, उनके पास अब कुछ भी नहीं है । तो यह नेशनलाइजेशन क्या है ? इसका हमने स्वागत किया था लेकिन उसका हुआ क्या ? वह अमल मे कैसे लाया गया ? जो घोषणा करते हैं उसको अमल में कैसे लाते हैं यह सवाल है ? नेशनलाइजेशन इस तरह से अमल में लाया गया जिससे बड़े बड़े मत्तेदारों को उसका फायदा हुआ । दो चार टैक्सियां और दो चार रिक्शे तो मिले है लेकिन आम जनता को उससे फायदा नहीं हुआ । बड़े लोगों ने ज्यादा फायदा उसका उठाया ।

आप यह देखिये कि एक साल सात महीने में क्या हुआ ? आप कहते हैं कि इस पीरियड में एक्सेसेज़ नहीं हुए ? कंसेशन किसको दिए गए ? एक साल सात महीने में आप देख लीजिए हिन्दुस्तान में कितने मल्टी नेशनलस आ गए है, कितनी नई नई फारेन कम्पनियां आई हैं ? वे क्यों यहां आती हैं ? इसलिए कि हमारे यहां मजदूर लोग सस्ते मिलते हैं । इसलिए उनके एक्सप्लायटेशन के लिए यह लोग आते हैं । इस की जिम्मेदारी किसके ऊपर है ? यह चीज अगर बदलनी है तो क्या इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है ? मोनोपालिस्टस के नफे बढ़ गए । लेकिन आप ने क्या किया ? आपने बोनस का कानून रद्द कर दिया । कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम ले आए । किन को फायदा हुआ ? आप देखिए कि जनता के ऊपर एकोनामिकली, पोलिटिकली हर तरह से विपरीत प्रभाव पड़ा और इतना ही नहीं चौहान जी को मालूम है इसी टाइम में हरिजनों के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए ? हरिजनों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए । गवई बन्धु की तो मिसाल उनको मालूम है । जिन्होंने इतना अत्याचार किया उनको चार महीने की सजा होती है और वह भी माफ करने की गवर्नमेंट की कोशिश होती है लेकिन जो पोलिटिकल डेटेन्यूज़ थे उनको एक साल सात महीने तक जेल के अन्दर रखा गया । मानवत हत्याकांड में रुक्मिणी देवी और उत्तम राव वारहात केवल तीन दिन मीसा के अन्दर बन्द थे । उन के लिए तीन दिन का मीसा काफी था जिन्होंने सात सात आठ आठ कत्ल किए । उनके लिए केवल तीन दिन का मिसा और जिन्होंने कुछ किया नहीं, जो आपके पोलिटिकल अपोनेंट्स थे उन को एक साल सात महीने बन्द रखा । जब यह मिसा हाउस में लाए थे तो हाउस को एश्योरेंश दिया था कि मिसा का उपयोग पोलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ नहीं किया जायगा । ऐन्टी सोशल एलिमेन्ट के खिलाफ उसका उपयोग किया जायगा लेकिन गये साल में उसका उपयोग ऐन्टी सोशल एलिमेन्ट के खिलाफ नहीं किया गया । महाराष्ट्र में जेलों के अन्दर ऐन्टी सोशल एलिमेन्ट केवल एक हजार थे जब कि पोलिटिकर डेटेन्यूज़ 2200 थे । जो एश्योरेंस आपने इस फ्लोर पर दिया था उसको भी आप अमल में नहीं लाए । क्या आप इस बात पर सोच विचार नहीं करेंगे ? अगर आप डिफीट मानते हैं तो इस पर भी आपको सोच विचार करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि यह बात हम से हुई है और इस बात को बदलना चाहिए । मीसा के बारे में केवल सोचने से या रिव्यू करने से कुछ नहीं होगा, इसको रिपील करना चाहिए, वापिस लेना चाहिए । इस तरह के कानून जो गैर-कानूनी तरीके से इस देश में लोगों को

[श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर]

डिटेन करते हैं उनको नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसके कारण रूलिंग पार्टी के हाथ में अपने पोलिटिकल अपोनेन्ट्स को बन्द करने का अधिकार रहता है। मुझे मालूम है, चव्हाण साहब को भी मालूम होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में हम जेल में थे, नेहरू गवर्नमेंट के जमाने में भी जेल में थे लेकिन हमें कोर्ट में हेबियस कार्पस के लिए जाने का अधिकार था लेकिन अभी हमारा वह अधिकार भी छीन लिया गया था। किसी को भी कोई अधिकार नहीं था हेबियस कार्पस करने का या कोर्ट में जाने का। ऐसी बात तो इस देश में कभी भी नहीं हुई थी। इसके बारे में भी आपको सोचना होगा। आप लोकशाही के अधिकार छीन लेंगे तो क्या आप समझते हैं कि उसके बारे में जनता सोचती नहीं है। जनता ने इसको सोचा है। अगर आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आप फिर आने वाले हैं तो आप सोच समझ लीजिए कि अगर इसी तरह से आप राज करेंगे तो कभी भी नहीं आ पायेंगे।

जनता पार्टी के जो सदस्य यहां पर चुनकर आये हैं, मैं ऐसा मानती हूं कि उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। उनको इस बात को अपने ध्यान में रखना चाहिए कि लोकशाही को केवल ला देने से कुछ नहीं होता, आगे आने वाले दिनों में लोकशाही की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।

इस सम्बन्ध में कुछ बातें जो कि एड्रेस में नहीं हैं वह मैं यहां पर बताना चाहती हूं। दो तीन ऐसे अधिकार हैं जो कि कांस्टिट्यूशन में आने चाहिए। पहली बात तो यह है कि जो कांस्टीट्यूशन एमेन्ड किया गया है उसके स्थान पर फिर से पुराना कांस्टीट्यूशन आना चाहिए। दो तीन और अधिकार हैं जिनको कांस्टीट्यूशन में रखना चाहिए। एक अधिकार है राइट टु वर्क, काम का अधिकार जो कि जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। इसका समावेश कांस्टीट्यूशन में होना चाहिए। दूसरा अधिकार है राइट टु रिकाल, यानी वापिस बुलाने का अधिकार। आपको मालूम है इस देश में आयाराम गयाराम बहुत हो गए हैं। इस बात के खिलाफ कानून बनाने की कोशिश करें। राइट टु रिकाल का अधिकार कांस्टीट्यूशन में होना चाहिए। जो सदस्य चुन कर आता है, वह जिस पर्पज और जिस कारण से चुन कर आता है उसको अगर वह पूरा नहीं करता है तो जो लोग उसको चुन कर भेजते हैं उन्हें उस सदस्य को वापिस बुलाने का अधिकार भी होना चाहिए। लोकशाही में यह अधिकार होना चाहिए और कांस्टीट्यूशन में इसको रखना चाहिए। इसी प्रकार से आप लोकशाही की रक्षा कर सकेंगे। तीसरे प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का अधिकार भी कांस्टीट्यूशन में होना चाहिए। ऐसा करने से ही आगे आने वाले दिनों में लोकशाही की रक्षा हो सकेगी और लोकशाही और भी मजबूत होगी---यह बात मैं कहना चाहती हूं।

अब आप आर्थिक समस्याओं की ओर देखिये---कीमतें बढ़ रही हैं---इस बारे में अवश्य कुछ कार्यवाही होनी चाहिये। मजदूरों के बोनस का मामला है---उसको रेस्टोर किया जाना चाहिए। मिनिमम-लिविंग-वेज तो मिलना ही चाहिये---इसके बारे में जो भी प्रबन्ध आप कर सकते हैं, जल्द से जल्द होना चाहिये। गरीबी और दरिद्रता हटाने की बात भी बहुत जरूरी है---लेकिन जो चीज आप फौरन कर सकते हैं उसको करने की कोशिश होनी चाहिये।

लोकशाही की रक्षा के लिये हमारे प्रेसिडेंट महोदय ने कहा है कि इस चुनाव के बाद एक नया दृश्य हम देखते हैं, एक नई लोकशाही का आज अभ्युदय हुआ है, जो दो पार्टियों की लोकशाही है। लेकिन मै यह भी ऐलान करना चाहती हूं कि यहां पर कुछ दूसरी पार्टियां भी हैं, जिन्होंने मजदूरों में समाज के प्रति जागृति पैदा की है, देश की जनता को इस समाजवाद के प्रति जागृत किया है। इन पार्टियों का सहकार भी सरकार चलाने में, काम-काज चलाने में लेना चाहिये और वह आपको लेना

पड़ेगा । इन पार्टियों को अलग रखने से, उनको उचित मान न देने से कारोबार ठीक से नहीं चलेगा, क्योंकि वे भी जनता की रिप्रेजेन्टेटिव हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं । इसलिये मेरा कहना है कि इस बारे में भी ध्यान रखा जाना चाहिये ।

अब मैं कुछ थोड़ा सा कांग्रेस बैंचिस को कहना चाहती हूं आप को यह ध्यान में रखना चाहिये कि इस बार जनता ने कांग्रेस को डिफीट दिया है । यह डिफीट आप को वोटों के द्वारा दी है, लेकिन जनता का संताप आप ने अभी तक नहीं देखा है । सचमुच जनता में आप के प्रति बहुत गुसा था । कोई भी ऐसा नहीं समझता था कि जनता इस तरह से अपने गुस्से को प्रदर्शित करेगी । इस से कांग्रेस वालों को शिक्षा लेनी चाहिये । यशवंत राव जी ने इस बात को मान लिया है, इस लिये जब आप इस बात को मानते हैं तो आप का फर्ज है कि दूसरों की बातों को धैर्य के साथ सुने, क्योंकि इस चुनाव के बाद अब बहुत लोगों की की जुबान खुल गई है, इस से पहले अगर कोई कुछ कहने की हिम्मत करता था तो आप उस की जुबान जरुर खीचने वाले थे । कुछ लोग कहते हैं– अगर बाबू जगजीवन राम पहले कुछ बोलते तो हमारे साथ जेल में जरूर आते । आप को मालूम है प्रेस पर पाबंदी लगी हुई थी, जनता को कुछ भी पता नहीं चलता था कि आप ने किस किस को बन्द किया है । हम लोग जब पकड़े गये तो प्रेस में कुछ नहीं आया, लेकिन छूटने के बाद प्रेस में आया कि इन सब लोगों को छोड़ा गया है । तो यह जो प्रेस की पाबन्दी थी, पिछले 30 साल में हिन्दुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ । मुझे यही कहना है कि जिस तरह से प्रेस कानून सरकार ने वापस लिया है इसी तरह से मीसा का कानून भी जल्द से जल्द वापस लेना चाहिये ।

आप ने यहां पर एक बहुत अच्छी बात कही है कि रेडियों, दूरदर्शन आदि के लिये आप कुछ इण्डीपेन्डेन्ट व्यवस्था करने जा रहे है । पिछले दिनों में इस मास मीडिया का उपयोग केवल एक पक्ष के लिये, केवल एक व्यक्ति के लिये होता रहा है ।

आखिर में मुझे यही निवेदन करना है यहां पर अनेकों सदस्यों ने जिन व्यक्तियों के प्रति अत्याचार किये गये है उन की जांच की मांग की है उस में उन की पार्टी का कितना हिस्सा था, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिन व्यक्तियों के लिये विशेष रूप से मांग की गई है, जैसे मारूति कार का मामला है, इन की अवश्य जांच की जानी चाहिये । लेकिन एक बात बहुत जरुरी है –बहुत से मामलों में अधिकारियों का उतना दोष नहीं था, ऊपर से आर्डर दिया गया था, इस लिये उन्होंने वैसा काम किया, इस लिये मेरा कहना है कि ऊपर तक जांच कर के, तब उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जाये ।

16 hrs.

श्री सुशील कुमार धारा (तामलुक) : सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस पवित्र संसद में कुछ बोलने का मौका आप ने दिया है । मैं एक नया मेम्बर हूं और मुझे हिन्दी में बोलने की आदत नहीं है लेकिन मैं हिन्दी में बोलना ठीक समझा है । पहले मैं ने यह तय किया था कि मैं बंगला में बोलूगां और इस के लिये अध्यक्ष महोदय की इजाजत भी ली थी लेकिन बाद में मैं ने तय कर लिया कि मैं टूटी फूटी हिन्दी में ही बोलूंगा । मुझे आशा है कि अगर बोलने में कोई भूल हो जाय, तो उसे आप क्षमा करेंगे ।

[श्री सुशील कुमार धारा]

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत अच्छी अच्छी बाते हैं और उस का मैं स्वागत करता हूं। इस में पहले पहल यह दिया दिया हुआ हैं :

"The people have given a clear verdict in favour of individual freedom, democracy and the rule of law and against executive arbitrainess, the emergence of a personality cult and extra-constitutional centres of power"

यह अच्छी बात है। इस के बाद इस में यह कहा गया है :

"My Government pledges itself to fulfil in every way the mandate given to it by the people. In doings so, it will not take the people for granted or assume that they know nothing and that the Government alone knows all answers and solutions."

आज जो लोग विरोधी पक्ष में हैं वे समझते थे कि आम जनता जो है वह कुछ समझती नहीं लेकिन आज उन की राय के जरिये से उन को मालूम हो गया होगा कि उनकी क्षमता क्या है। वे समझते हैं या नहीं ? मैं यह कहूंगा कि वे सब कुछ समझते हैं। जब हम इलैक्शन के नाते अपनी कांस्टीटुयेन्सी में या दूसरी कांस्टीटुयेन्सी में जाते थे तो वे कहते थे कि 30 साल तक हमें धोखे में रखा है और अब हम जनता पार्टी को वोट देंगे और देखेंगे कि पांच साल में क्या होता है। वे कहते थे कि जो गुनाह पहले हो चुके हैं उस से ज्यादा गुनाह पांच साल में क्या होंगे। जो कुछ होना था वह तो हो चुका है और हम लोगों को जितनी सफरिंग्स होनी थी, वे हो गई हैं। अब और पांच साल में उस से ज्यादा सफरिंग क्या बढ़ेगी। इसलिये उन्होंने कहा कि इस बार हम जनता पार्टी को वोट देंगे। जत्ती साहब ने स्वीकार किया है कि यह जनता का राय है और उन्होंने अपने अभिभाषण में यह भी कहा कि जनता पर तानाशाही जारी हुई थी। जनता के ऊपर और देश के ऊपर जो अत्याचार हुआ उस की पूरी पूरी स्वीकृति इस अभिभाषण में दी गई है। जिस समय जत्ती साहब भाषण दे रहे थे उस समय एक तस्वीर हमारे मन आई और वह तस्वीर कैद में बैठ कर हम ने देखी थी जोकि स्टेट्समैन पत्रिका में निकली थी। जब प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी विदेशों का सफर कर के लौटी थी, तो पालम हवाई अड्डे पर जब वे उतरीं तो जत्ती साहब उन का स्वागत करने के लिये गये थे। जरूर जाएंगे। क्यों नहीं जाएगे ? लेकिन जत्ती साहब की जो तस्वीर स्टेट्समैन में निकली, उस को देखकर अफ़सोस हुआ। जत्ती साहब अपने हाथ जोड़ कर और सिर को जमीन के बहुत नजदीक ले कर उन को नमस्कार कर रहे थे। उस तस्वीर को देखकर मन में बहुत दुःख हुआ था। बड़ा दुःख हुआ था कि जो सज्जन हमारे देश के सब से ऊचे पद पर बैठे हैं वे हमारी तानाशाही प्रधानमंत्री के सामने अपनी गर्दन झुका लेते हैं। अकेल जत्ती साहब ही यह नहीं करते थे उनके साथ साथ चह्वाण साहब जो कि अभी बैठे नहीं हैं वे और बहुत सारे बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े नेता लोग भी तानाशाह श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने अपना सिर झुकाते थे। यह अफसोस की बात है। अब जब हम उनके इस भाषण को देखते है तो ऐसा लगता है कि जत्ती साहब अपने मन से ऐसा भाषण दिया है। यह उनके हृदय से निकली आवाज है, उनकी अनुभूति से आई बात है और उन्होंने अपने हृदय से वे सारी बातें हमारे सामने रखी हैं। वे जानते थे कि लोकतंत्र चला गया और श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही जारी हो गई। उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो काम किया वह हिन्दुस्तान के लिये निन्दा की बात थी। आज जब हम

उनके भाषण को देखते हैं तो वह बात मालूम हो जाती है। वे कहते हैं—

"The traumatic experience of the last two years during which many atrocities were committed on the people and they had to undergo untold sufferings and some have even died, has brought home the relevance of this."

यह कंडीशन उस समय थी। विरोधी पक्ष के जो लोग हैं वे सब इस बात को मान लें और हम उनसे नर्मतापूर्वक बोलते है कि वे इसके विरोध में एक बात भी न बोले।

जत्ती साहब उस समय भी थे आज भी उसी जगह पर हैं। लेकिन हमारे नेता लोग जो पहले इधर बैठते थे वे अब उधर चले गये हैं। आपकी कुछ उपलब्धियां है यह हम मान लेते हैं। लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आपसे यही तो कहा था कि आप अपना सुधार करें। यह तो आपने किया नहीं और जयप्रकाश जी को गिरफ्तार कर लिया। जब लोकनायक गिरफ्तार हुए तो उन्होने कहा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो कि ठीक साबित हुआ। आज श्रीमती इंदिरा गांधी का विनाश हो गया, उनकी पार्टी का विनाश हो चुका है, जितनी तानाशाही हमारे हिन्दुस्तान के ऊपर कल छा गयी थी उसका विनाश हो गया है। जनता की राय से यह सब हुआ। यह सब बाते लोक नायक ठीक बोले। अभी त्रिपुरा का मंत्रिमंडल खत्म हुआ। श्री बरूआ जी ने श्री बंसीलाल, श्री ओम मेहता और नारायणदत्त तिवारी को खारिज कर दिया अ.र ए० आई० सी० सी० में नौजवानों के दल का क्या हुआ यह सब के सामने है। इसके अलावा श्री गोखले जी के लिये सुप्रीम कोर्ट की वार एसोसियेशन ने एक प्रस्ताव किया। अभी हमारे सामने एक सूचना आई कि अनाज का भाव गिर गया तेल का भाव गिर गया।

इसके अतिरिक्त विरोधी पक्ष के जो नेता लोग हैं वे विनमता पूर्वक हमारी जनता की राय को मान ले और मान कर अगले आने वाले दिनों के लिये अपने को तैयार करें।

एमरजेंसी जब लागू थी उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके सहयोगी कितनी झूठी बातें सारे हिन्दुस्तान को और दुनियां को बताते थे इसका एक उदाहरण में आपको देना चाहता हूं। वे कहा करते थे कि कोई पोलिटिकल परसन कैद में नही रखा गया है जबकि वास्तविकता यह थी कि हजारो लोगों को कैदखानों में डाल दिया गया था। यह कहा करते थे कि पोलिटिकल कारणों से किसी को कैद नही किया गया है। हर बार यही कहा करते थे कि एंटी सोशल एलीमेंट्स को और इकोनोमिक आफंडर्ज को ही कैद किया गया है। हम सब लोग जो कैद हुए थे इकोनोमिक आफैंडर थे या एंटी सोसल एलीमेंट्स थे ? तब य लोग कहते थे कि हम लोग पोलिटिकल नहीं हैं। हम कैद में थे लेकिन पोलिटिकल परसंज नहीं थे। मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि लाखों आदमीं अब भी कैद में है। उन में बेचारा रिक्शा वाला है, ठेले वाला है, बीड़ी वाला है। लाखों लोगों को बिना कारण कैद में डाल रखा है। उनकी क्या परिस्थिति होगी ? मैं अपनी सरकार से अर्ज करता हूं कि उनका भी कुछ बन्दोबस्त होना चाहिये। उनकी फैमिलीज खत्म होने वाली हैं और कई तो खत्म हो भी चुकी हैं। एक पैसा भी उनको नही दिया गया है। हम जब कैद में थे तो उन से हमारी बातचीत हुई थी। वे बेचारे रोने लगते थे। कितने ही आदनी इस तरह के हैं सारे हिन्दुस्तान में। उनके बारे में इस भाषण मेंने कुछ नहीं देखा जिस कारण मेरे मन में दुख हुआ।

[श्री सुशील कुमार धारा]

अब मैं प्रेस के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमेशा यही कहा जाता था कि प्रेस सैंसरशिप नहीं है उस तरह की कोई चीज नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले तक प्रेस पर सैंसरशिप था कुछ न कुछ। आज हमारे नई मंत्री सभा ने उसको समाप्त किया है और अब वह पूरी तरह से हट गया है। इन लोगों ने देश को धोखा दिया है, बहुत मर्तबा दिया है, कई प्रकार से दिया है इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता हैं।

आर्थिक परिस्थिति और अनाज उत्पादन आदि के बारे में हमेशा झूठ बोलना इनकी आदत हो गई थी। अनाज के उत्पादन के बारे में कोई कहता था कि दस करोंड़ टन हुआ है, कोई ग्यारह करोड़ टन और कोई बारह करोड़ टन कहता था। ओम मेहता साहब कुछ कहते थे, खाद्य मंत्री कुछ और श्रीमती इंदिरा गांधी एक तीसरी बात। एक बात नहीं कही जाती थी, कोई निशाना या लक्ष्य नहीं था। कितना अनाज का हमारा उत्पादन हुआ यह कोई ठीक से नहीं बताता था। आज जब हम कागज पत्र देखते हैं तो हम पातें है कि 1977 एक खतरे का साल है। इस साल अनाज कम पैदा होगा। इसका दोष शायद ये लोग नई सरकार पर थोपना चाहते हैं। लेकिन इसका वास्तविक दोष इन पर है। इनके गुनाहों के कारण अनाज कम पैदा होगा। इसके बारे में भी हमारे जत्ती साहब ने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा है, कुछ निशान हमें इस में दिखाई नहीं दिया है और इसके वास्ते भी हमारे मन में बहुत दुख है।

भाषण के पहले और चौथे पन्ने पर बहुत अच्छी बातें दी गई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे देश मे पांच करोड़ नौजवान आज बेकार हैं। कब से और क्यों बेकारी शुरू हुई। आप ने बेकारी दूर करने के लिये क्या बन्दोबस्त किया था ? कोई योजना इस बारे मे बनाई ? पांचवी योजना मे बेकारी दूर करने के लिय जो योजना कांग्रेस सरकार ने बनाई थी उस के बारे मे प्लानिंग कमीशन के एक मेम्बर श्री आमात्य सेन ने कहा कि इस को बड़ी धूर्तता के साथ चलाया। अनएम-प्लायमेंट प्रौबलम के बारे मे क्या करेंगे, कुछ नहीं कहा। इसीलिय वर्तमान सरकार ने पांचवी योजना को रिव्यू करने का निश्चय किया है। इसकी मुझ खुशी है।

हमारे पश्चिम बंगाल मे खेती होती है। 80 प्रतिशत लोग खेती पर डिपेंड करते हैं। उन की आर्थिक परिस्थिति को बदलने के लिये खेती पर पूरा जोर देना चाहिये। खेती के बारे मे जो कुछ सरकार करने जा रही है उस से हम सहमत हैं। हमारे यहां सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। सारे देश मे 13 करोड़ हैक्टयर पर खेती है लेकिन सिंचाई का पानी मिलता है 3 करोड़ हैक्टयर को। 10 प्रतिशत ज़मीन इरीगेटड है। पानी हमारे देश मे बहुत है, लेकिन उस का उपयोग सिंचाई के लिये ठीक मे नहीं होता है।

इसी तरह से डीसेलाइनेशन के बारे मे भी कोई योजना होनी चाहिये। बहुत सारी ज़मीन इस प्रकार उपज के लिये निकल सकती है। खेती के बारे मे जहां अभिभाषण के चौथे पेज पर एग्रो इडस्ट्रीज़ आदि के बारे मे कहा गया है वहां मैं चाहूंगा कि डीसेलाइनेशन के बारे मे भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।

संविधान का हमने क्या हाल किया है इमरजेंसी घोषित होने के बाद ? काफ़ी चेन्ज़ज इस दौरान किये गये हैं। और 26 साल मे हम ने संविधान मे 44 बार संशोधन किये। हमारा देश गणतांत्रिक है, अमरीका भी है, लेकिन अमरीका मे 200 साल मे 23 मर्तबा संशोधन हुआ, जब कि हमारे यहां 26 साल मे 42 या 44 मर्तबा संशोधन हो चुका है। यह क्यों हुआ ? यह इन्दिरा गांधी जी की अपनी सुविधा के लिये, फैमिली के कब्जे में

सारे हिन्दुस्तान को रखने के लिय हुआ और कुछ नहीं हुआ ।

हमा रे मन में आज यह संतोष है कि रायबरेली की जनता ने और सारे हिन्दुस्तान की जनता ने उनको ठुकरा दिया है और लाखों लाखों देश के नौजवान उनको छोड़कर जनता के साथ आ गये हैं । हम नहीं जानते कि वह अब क्या करेंगी ? हमा रे हिन्दुस्तान में र हेंगी या नहीं रहेगी, या भागने की कोशिश करेंगी ? यह हमारी जानकारी मे नहीं है । यह आनन्द की बात होगी अगर उनको भागने नहीं देंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें निकलेंगी जो कि हमारे कांस्टीट्यूशन को सुधारने के नाम पर उन्होंने गुनाह किये हैं । हमारे संविधान के रचयिता श्री हरि विष्णु कामत ने बोला :

It is neither mending nor amending but ending the constitution.

उस कांस्टीट्यूशन को हमे फिर बचाना है और ठीक ज ह पर रखना है । जो कुछ श्रीमती गांधी ने अपनी सुविधा के लिये, अपने इलैक्शन की करप्शन को बचाने के लिय किया था, उसका पूरा पूरा इलाज किया जाना जाना चाहिये ।

हमारे देश मे उपज बढ़ाने के लिय खाद की बहुत जरूरत है । स्वतंत्रता के बाद 30 सालों मे हमारी खाद का कितना टारगैट हुआ । सलवाना में हम ज्यादा से ज्यादा खाद पैदा करते हैं । 18 लाख 95 हजार मीट्रिक टन खाद हम तैयार करते हैं । इसमे नाइट्रोजन भी शामिल है । हमको जो खाद मिलती है तो एक हैक्टर की जो सिंचाई वाली जमीन है उसके लिय हमको 50 के० जी० से ज्यादा खाद नहीं मिलती है । जिस को खेती करने का अनुभव है, उनकी समझ मे यह आ जायगा कि यह खाद काफी नहीं होती है। सिंचाई के आलावा जो जमीन है उसके लिये तो यह खाद बहुत ही कम हैं । इसका पूरा बन्दोबस्त होना चाहिये ।

हल्दिया हमारी कांस्टीटुएन्सी के बीच मे है । वहां पर फर्टिलाइज़र प्लान्ट बनने की बात आगे से चल रही है । पता लगा था कि उसका वहां पर कमीशन्ड होने की बात 1972 मे थी, लेकिन आज घोषित हुआ कि 1977 मे उसका कमीशन हो ा । हम इलैक्शन के दौरान कई बार वहां पर गये, लोगों से बात-चीत की और वहां जितने एम्पलाईज़ हैं, उनसे बातचीत की । वे बोलते थे कि 7, 8 ,10 साल तक यह कमीशन्ड नहीं होने वाला है । कब हो ा पता नहीं ।

जब वह फर्टिलाइज़र फैक्टरी प्रोडक्शन देगी, तो कितना देगी । अगर प्रोडक्शन होगा तो उसकी क्षमता 3 लाख 23 हजार मीट्रिक टन होगी । इस बारे में चीन के प्रैज़ीडैंट माउत्सेतुंग ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी—

The pig is the mobile fertilizer factory

वह मोबाइल फर्टिलाइज़र फैक्टरी के नाम पर बोलते थे । और हम बोलना चाहते हैं कि–

The cow should be taken as the mobile fertilizer factory in India.

भारत मे गाय को हम जरूर मोबाईल फर्टिलाइज़र फैक्टरी समझते रहे हैं । हमें यह समझना चाहिये कि इसके बारे में हमें कुछ बन्दोबस्त करना है, नहीं तो फर्टिलाइज़र हमें कभी भी उपज के लिये नहीं मिलेगा । हमारा कहना है कि हमारी सरकार इसका इन्तजाम करे । अगर हमारे जत्ती साहब के अभिभाषण में इसका कोई ज़िक्र मिलता तो हमारे मन में बहुत आनन्द होता ।

हमारे देश से छः लाख से ज्यादा गांव हैं और तीन हजार टाउन हैं । इन गांवों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर ही हिन्तुस्तान की साठ करोड़ जनता की आर्थिक उन्नति हो सकती है । इस लिए मैं गांधीजी की इस शिक्षा को याद कर के अपना भाषण समाप्त करता हूं कि हमें अपने देश के गांवों की तरफ़ ध्यान

[श्री सुशील कुमार धारा]

देना चाहिए—उन की उन्नति से ही हिन्दुस्तान की उन्नति होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

SHRI J. RAMESHWARA RAO (Mahabubnagar): Mr. Chairman, Sir, may I congratulate the Prime Minister and his colleagues on their assuming office? We have witnessed a great change in the political scene in India. The elections that have just been held have been remarkable. People all over the world appear to have been in a sense emotionally involved in our election experience and have been deeply affected by the whole process, the results and the the consequences. The electoral process which we have gone through should convince anyone, including Mr. Hegde, if convincing is still necessary, about the deep and abiding commitment of the people of India and the Indian National Congress to democratic values and democratic processes.

In the last few days, many have a accused our party of being undemocratic and inclined to authoritarianism. They have even objected to some of us saying that Indiraji should be complimented on accepting the verdict of the people with humanity and grace and helping in the smooth transition from Congress Party rule to Janata Party rule. Surely, Mr. Chairman, if we were not committed to democracy, democratic values and democratic processes, the Janata Party would not be sitting on the Government beches today.

I suppose these facts will come to be appreciated in time and in their correct perspective when the sound and fury of the elections subside and the dust of controversy settles.

Though I have had two very brief and insignificant spells on the opposition benches, this is really the first time that I am functioning as a member of the Opposition. I had thought that I could make the transition from the Government benches to the Opposition benches with ease, but, as I stand up to speak, I do feel slightly embarrassed.

Who are the hon. Members sittings on the Government Benches? Elders, teachers, colleagues, friends, comrades-in-arms, and I recall shared ideals, joint effort and endeavour of over 35 years in the cause of a common objective, of achieving freedom and strengthening democracy. Looking back, one finds there has been really so little that we basically disagreed upon and yet today face each other with, I hope, what can really be only different approaches to the common goal, that is, the welfare of the million of people of this ancient land. The removal of hunger, of poverty, of want, of disease and the creation of opportunities for a better and fuller life for everyone. This has to be achieved without individual pettiness, selfishness, greed or self-aggrandisement.

The President's Address refers to the verdict of the people and the need for consequential action. We accept the verdict of the people in all humility.

We shall not only function as a responsible and constructive Opposition but, I hope, as an effective Opposition. We shall also extend all our help in the implementation of the real verdict of the people. We wish the new government well. The country's requirements do not change with a change in government. The need of the hour is a just, and stable government which can bring about rapid socio-economic growth. We shall, of course, do nothing that may lead to destabilisation and I hope, Mr. Chairman, my friends Opposite will not object, if I were to say, I hope that the new government and the party power will not act in their enphoria of victory in a manner

which may lead to de-stabilisation as that would only delay progress and the implementation of our programmes of economic development.

With a person like Shri Morarjibhai as the Prime Minister the new government cannot but create confidence in the people of this country. Why only Morarjibhai? Everyone in the new government is a person of ability and distinction. With such a galaxy of talent we shall all feel confident and yet one can commit mistakes. Our party made mistakes. There is no shame in accepting that we did make mistakes. If we had not made mistakes we will not be sitting in the Opposition today.

The new government and the new party can also make mistakes. It will be our duty and endeavour to point out these mistakes and suggest correctives. We shall naturally feel free within the rules of constitutional propriety to draw the attention to the lapses and shortcomings of the functioning of the new government. When we find that policies are being initiated which in our opinion are not conducive to the welfare of the people or for achieving the common objective that we have all put before ourselves, that is, of a better life for the million of our countrymen then we shall disagree with the policies, that the new government wishes to embark upon and will put before this Parliament and the people alternative policies which we may consider more suitable for the achievement of the common objective.

Yesterday my colleagues Sarvashri Shyamnandan Mishra and Purushottam Mavalankar found fault with one of our colleagues for referring to the voting pattern in the recent elections. I am sorry both Shyambabu and Purushottam are not here. I would like to assure both of them and our other friends Opposite that there never was any intention to create regional differences. We are all Indians first and Indians last and the region from which we come from is not important. What one of my colleagues was trying to point out was—and if they only had the patience to listen—they would have understood him.

What one of my colleagues was trying to point out was that while the majority of the people have given their verdicts against us, the voting pattern did reveal a certain peculiarity. We find it difficult to believe that this was an accident. There must have been political, sociological or economic reasons for this kind of a voting pattern. The voting in the middle belt was divided. At one end it was totally against us; at the other end it was totally with us. Could it be that the emergency and the so-called excesses of the emergency did not touch some parts of the country, or could it be that family planning was differently understood or implemented in these areas? I know that in the years to come, scholars would write learned doctoral theses on this subject, and yet let us not overlook this fact in the immediate present. It will require great tolerance and sympathetic understanding between the Government and the opposition to ensure that the different voting patterns in different regions are not exploited to the country's disadvantage.

Would you not, Mr. Chairman, agree that this can easily be exploited by unscrupulous persons? Is it not the duty of the opposition to caution the Government against possible dangers? Speaking to some of my own colleagues, I have expressed the hope that the Congress Working Committee will go into this question and take appropriate action to study and analyse, have an analysis conducted on how and why this voting pattern occurred. It would help our functioning. To say that the overwhelming majority of the respected leaders of the Janata Party came from a particular region

[Shri J. Rameshwara Rao]

and hence they had a greater impact in that region is a very superficial reading of the situation. Shri Jayaprakash Narayan is not a regional leader—he is an all-India leader who is greatly respected all over the country. The Chairman of the Janata Party, now the Prime Minister, is not a regional leader. He has been one of our colleagues and yet in his own State, the verdict was divided. It was a mixed verdict. All these indicate the need for a careful study but I do hope that in this process of study and analysis, there will be no mud-slinging or recrimination.

The President's Address, Mr. Chairman, lists a series of Acts that have to be annulled or amended. There is a reference to proposed constitutional amendments including the repeal of the 42nd Amendment. We shall wait to see the Bills in their final form and shape before we give our reactions. There may be areas in which we would support the Government because we are sensitives enough to the verdict of the people, but there may be other areas which do not steam from the verdict of the people and there we may have to disagree with Government proposals. Each Bill and each clause will have to be evaluated and considered on its merits. While there will certainly be no blanket opposition to the Government's proposals, there can be no assurance of blanket support. I hope this will be understood as a fair and constructive approach.

I shall not at this juncture go into details except to say that after 30 years of independence we seem to be moving towards a healthy two-party system for the first time. This augurs well for stability, democracy and progress. But the very emergence of a two-party system imposes its own limitations and logic on the functioning of both Government and the Opposition. Neither the Government nor the Opposition can go even a little outside the realm of practical responsible functioning. We cannot vie with each other in the promises we make to the electorate which on the face of it may be unrealistic and may lead to economic, financial or social disorder. I was amazed that yesterday the hon. Finance Minister spoke of cutting back on investment. How can one cut back on investment and eradicate poverty in ten years? But I agree that the investment should be judicious. Fresh investment should not lead to inflationary pressures. Fresh investment should be such that the returns from it are quick. That is, the gestation period on capital projects has to be short. Projects chosen have to yield results quickly. I will give you one example —oil exploration. The investment in oil exploration is high and yet you will be interested to know that the amount invested in oil exploration comes back to us in 12—18 months. The gestation period is short. I am only citing this as an example. At the same time, Mr. Chairman, we cannot and should not initiate or advocate policies that may lead to either a wage-push or cost-push inflation. This country cannot afford it.

There would have to be some areas where we would have to evolve a bi-partisan policy by mutual discussion and consultation between the Hon'ble Ministers of the Government and if I may use the British phraseology the Members of the Opposition's shadow cabinet. Obviously foreign affairs is one such field. I am happy to see that there is a reference in the President's address wherein non-alignment is accepted as the policy of the new Government. That is what I mean by a bi-partisan policy. The other field that readily comes to my mind is education, especially campus discipline and student behaviour. These are fields where there can be, in India's present stage of development, very little difference of opinion. There may be other areas too, but this will be possible only if there is mutual trust and confidence and, as I said earlier, shared ideals and objectives. With these comments, and

subject to the qualifications I have made, I support the Motion of Thanks to the President.

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जौनपुर) : अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि कम से कम आप ने मुझे अन्त में समय दिया, अभी तो 20 मिनट बाकी हैं.....

एक माननीय सदस्य : अभी तो 6 बजे तक चलेगा, आप बोल सकते हैं ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे : हमारे पार्लियामेन्ट्री अफेअर्स के मिनिस्टर महोदय को हम लोगों को बताना चाहिये था, लेकिन उन्होंने हमें इतना बताने की कृपा भी नहीं की । मैं उस में नहीं जाना चाहता हूं ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े ध्यान से विरोधी दल के नेता का भाषण सुन रहा था । मुझे आशा थी कि जो व्यक्ति वर्षों महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री रहे, भारत सरकार की हर-एक कुर्सी पर आसीन रहे और डेमोक्रेसी का दम भरते रहे, डेमोक्रेसी की यह परिपाटी है कि जब आप कुछ कहें तो उस का उत्तर सुनने के लिये आप भी उपस्थित रहें, कम से कम मुझ को तो डेमोक्रेसी के बारे में यही बतलाया गया है, परन्तु मैं समझता हूं शायद लोक सभा की और उन की डेमोक्रेसी के अन्दर जिस में एमर्जेन्सी के दौरान लोगों को ठूंस-ठूंस कर जेलों में बन्द किया गया, दूसरों की बातें सुनने का कष्ट भी गवारा नहीं किया जाता ।

मैं दो बातें उन के भाषण में सुन पाया ——एक तो उन का अरण्य-रोदन, बार-बार रोये की एमर्जेन्सी हमेशा के लिये खत्म हो गई, एमर्जेन्सी कांग्रेस के दर्शन का नहीं है, लेकिन वे रोये चुनाव के बाद, चुनाव में पिटाई के बाद । इनके जो सुरक्षा मंत्री थे, वे हाथ जोड़-जोड़ कर जनता से माफी मांग रहे थे, लेकिन जनता ने उन को क्षमा नहीं किया । वास्तव में पिटाई के बाद उन को दुखद ज्ञान पैदा हुआ । जिस ज्ञान को श्मशान का ज्ञान कहा जाता है, जो श्मशान में जागता है, जब चिता जलती है तो ज्ञान हो जाता है, लेकिन जब चिता बुझ गई तो ज्ञान भी समाप्त हो जाता है ।

दूसरे अरण्य-रोदन पर मुझ को दया आती है——उन्होंने तोबा की——मैं उर्दू का शब्द प्रयोग में ला रहा हूं——जिस तरह से गुनहगार तोबा करता है, उसी तरह से विरोधी दल के नेता ने भी तोबा की है । बारबार उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के भूत को छोड़ दो, क्यों हमारे सिर का भूत अपने सिर पर लादे हो । मैं, अधिष्ठाता महोदय, इस पर उन को बधाई देता हूं—— गुनहगार जब तोबा कर ले, तो मुक्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन दया का पात्र अवश्य हो सकता है । इस देश मे, अधिष्ठाता महोदय, तोबा करने की जो पद्धति है, जिस का हिन्दी में प्रायश्चित करना कहते हैं, उस के हिन्दुस्तान में दो ही स्थान है——या तो हिमालय की गुफाओं में या त्रिवेणी की बालू पर । तीसरा स्थान प्रायश्चित का नहीं है । चूंकि इन्होंने स्वीकार कर लिया है——इस लिये, अधिष्ठाता महोदय, अब मैं उन के गुनाहों की ओर नहीं जाता हूं । उन्होंने एक बात ऐसी कही जिस पर मुझे बड़ी हंसी आई । उन्होंने जनता पार्टी के बारे में कहा कि यह कौन जानवर है । कौन जानवर है, इस के बारे में मेरे से पूर्व वक्ता ने बता दिया है । श्री कंवर लाल गुप्त जी बोले तब उन्हें पता चला कि जनता पार्टी क्या है और जब श्री कंवर लाल गुप्त जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि पहले मुसलमानों के एक परसेन्ट वोट मिलते थे लेकिन अब के इलैक्शन में 99 परसेन्ट वोट मिले और कहा कि यह जनता पार्टी की वोट केचिंग डिवाइस थी । मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर चार चार या पांच पांच दल अपने को समाप्त कर के एक सम्मिलित विचारधारा

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे]

को ले कर, एक नया दल बना लेते हैं तो इस में गुनाह क्या है । आज अपनी नीति को विरोधी दल वाले भूल गये है । उन्होंने सी० पी० आई० के साथ केरल से ले कर भारत के दूसरे प्रान्तों में जो गठजोड़ कर रखा है वह क्या है ? वह कुर्सी केचिंग डिवाइस नहीं है तो क्या है ? और किस सी० पी० आई० के साथ इन्होंने गठजोड़ किया है । उस के साथ, जिस के बारे में इन के प्रेसीडेंट महोदय कहते थे और इलैक्शन के भाषणों में उन्होंने यह बात कही कि यह अनडिपेंडएबिल एलाई है, अविश्वसनीय मित्र है । ऐसे अविश्वसनीय मित्र के साथ इन्होंने गठजोड़ किया है । यह इन की कुर्सी केचिंग डिवाइस है और मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठजोड़ किया है और वह इन की कुर्सी के साथ वोट केचिंग डिवाइस है । मुझे हिन्दी की एक कहावत याद आती है 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे" । आज वे लोग जिन्होंने गुनाह किया है, जनता पार्टी को यानी कोतवाल को डांट रहे हैं ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं उप-राष्ट्रपति महोदय का आभारी हूं उन बातों के लिए जोकि उन्होंने अपने भाषण में कहीं हैं परन्तु कुछ बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस देश में जो अन्याय और प्रतिशोध की भावना रही है, उस को देश के किसानों ने 30 वर्ष तक सहा है लेकिन 30 वर्षों के बाद उन का संयम टूट गया । 30 वर्षों तक यह किसान ठगा गया है । मैं ज्यादा उदाहरण नहीं देता और आंकड़ों के जाल में नहीं जाता । कल हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री जी जब बोल रहे थे, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी । उन्होंने कहा कि हम ने एक्सपोर्ट बहुत बढ़ाया है । यह बताना वे भूल गये कि इन्डस्ट्रियल एक्सपोर्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का बढ़ा है या रा-मैटीरियल्स का बढ़ा है । यह सिर्फ कोलोनियल इकोनामी है । ऐसा कहना इन को शोभा नहीं देता । इस के बारे में मैं एक उदाहरण दे सकता हूं और वह चमड़े का है । चमड़ा आज भी हिन्दुस्तान से रोमानिया और बुलगारिया को भेजा जाता है जबकि हम यहां पर उस चमड़े से कोट और वेस्ट-कोट्स आदि चमड़े की चीजें बना सकते हैं । यह उन की अपनी मिथ्या प्रशंसा है ।

कृषि के बारे में भी उन्होंने अपनी प्रशंसा की है और कहा है कि हम ने किसानों के लिए बहुत काम किया है और कृषि पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है । अगर आप भारत सरकार बजट को देखें तो केवल 13 परसेन्ट कृषि पर खर्च पहले हुआ है । जनता पार्टी ने किसानों से वायदा किया है और मैं सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट करता हूं क्योंकि देश का किसान जाग गया है और अब उस की आशाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और उस की उपेक्षा नहीं की जा सकती । मैं जनता पार्टी की सरकार से स्पष्ट कह देता हूं और जनता पार्टी के मिनिस्टर्स से भी स्पष्ट कहता हूं ।

You cannot take the peasants of India for granted now.

क्योंकि वह जाग गया है । हम ने वायदा किया है कि अनएकोनामिक होल्डिंग्स पर लगान समाप्त होगा । मुझे, आशा थी कि उस के बारे में सरकार की ओर से कुछ आना चाहिए था । यह कहा जाएगा कि यह प्रान्तीय विषय है लेकिन जो स्टेट्स प्रेसीडेंट रूल के अन्तर्गत हैं, उन के लिए तो यह किया ही जा सकता है । जो आप के अधिकार में है, उस के लिए आप कदम उठाएं ताकि देश के बाकी लोगों में विश्वास पैदा हो ।

एक दूसरी चीज जिस की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि आज तक किसानों को उस

के प्रोडक्शन की अनएकोनामिक प्राइस दी गई है । उदाहरण देता हूं । जब गेहूं सौ रुपये और सवा सौ रुपये क्विन्टल था। तब खाद 52 रुपये बैग था । जब किसान से गेंहूं मीसा के बल पर 95 रुपये क्विंटल वसूल किया गया तो खाद का दाम 105 रुपये बैग है । यह है समाजवादी सरकार की समाजवादी कार्यवाही का नमूना । अधिष्ठाता महोदय, आप जगह जगह पर साइन बोर्ड पाएंगे । आप मोटर से ट्रेवल करने के लिए निकल जाएं । आप जगह पर नगरपालिकाओं और महा-नगरपालिकाओं के बोर्ड लगे पाएंगे जिन पर लिखा होगा कि नगरपालिका आपका स्वागत करती है । स्वागत कैसे होना चाहिए ! स्वागत में कोई जलपान ही, पान खिलाया जाए, खाली यह न हो साइन बोर्ड लगा दिये जाएं । इसी तरह अधिष्ठाता महोदय, जगह जगह पर सस्ते गल्ले की दुकानों के साइन बोर्ड लगे हुए हैं । वहां गेंहूं बिकता है 135 रुपये, 140 रुपये क्विंटल । तीन-चार महीने पहले 95 रुपये क्विंटल में जो गेंहूं खरीदा गया उसी पर यह समाजवादी सरकार, गरीबों की मसीहा सरकार 40 रुपये क्विंटल का मुनाफा मार रही थी । क्या समाजवाद में प्रोफिट मोटिव होता है ? समाजवाद का तो पहला सिद्धांत यह है कि रोटी के ऊपर कोई मुनाफा नहीं होना चाहिए, नो प्रोफिट, नो लोस, लेकिन यह सरकार उस पर इतना मुनाफा कमा रही थी । बनिया अगर दो रुपये क्विंटल मुनाफा मार ले तो डी० आई० आर० और मीसा मे बंद कर दिया जाए । समाज-वादी सरकार 40 रुपये क्विंटल मुनाफा कमाये तो हमारे वित्त मंत्री ढोल पीटें कि हमारी ये अचीवमेट्स हैं ।

किसान को क्या मूल्य मिलना चाहिए, यह बहुत बड़ा प्रश्न है । दुनियां में हर देश में ग्रेन बोर्ड है । खरीददार चाहता है कि उसे कम से कम मूल्य में माल मिले, सरकार चाहती है कि उसे भी कम से कम दाम देना पड़े और उत्पादन करने वाला चाहता है कि उसे उस के उत्पादन का अधिक से अधिक मूल्य मिले । अगर एक ग्रेन बोर्ड हो जाए तो ये सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं । समाजवादी सरकारों में बड़ी आदत है कि वे हर जगह कूदती हैं । हमारे यहां एक देसी कहावत है कि "बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ छोड़ दें" हमारे यहां ग्रेन बोर्ड हो । उस बोर्ड में इकोनोमिस्ट्स, एग्रीकल्चरिस्ट्स, बैंकर्स सदस्य हों । गवर्नमेंट का भी एक नोमिनी हो । उसका चेयरमैन एक इंडीपेंडेंट जज हो । कृषि में जितने इन्पुट लगते हैं, जितना लेबर लगता है, वह सारा केलकुलेट करके, सारा हिसाब लगा कर, वह बोर्ड गेंहू का आर्थिक मूल्य, गेहूं का सही प्राइस डिक्लेअर करे और सरकार को बाध्य हो कर उस दाम पर गेहूं खरीदना पड़े । सरकार हमेशा परचेजर रही है और स्वभावत: वह माल कम दाम पर खरीदना चाहती है । इसने किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है ।

अधिष्ठाता महोदय, पानी का हाल देखिए । मैं अपने भूतपूर्व वित्त मंत्री का भाषण सुन कर हंसते हंसते लोट गया । उन्होंने अपने भाषण में सिचाई की बहुत बात की । सिंचाई की हालत आज भी यह है कि तीस वर्ष के बाद भी हिन्दुस्तान की खेती आकाश के पानी के साथ जुड़ी हुई है । इन्होंने पानी आज तक बढ़ाया नहीं । आज भी पानी ऊपर से आता है तो खेती अच्छी होती है । भूगर्भ से पानी निकालने । यह कुछ नहीं किया ।

अधिष्ठाता महोदय उत्तर प्रदेश में भी काग्रेस की सरकार है । उन्होंने कमाण्ड एरिया बनाया । वे कहते हैं कि चाहे पानी मिले या न मिले लेकिन 21 रुपये एकड़ दिया जाए । यह तो ऐसा हुआ कि किसी रेस्टोरेंट में या रेलवे स्टाल पर

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे]

जाएं और कहें कि काफी लाओ तो इस पर कहा जाए कि काफी आए या न आए लेकिन तुम पैसा देकर चले जाओ। वह कैसा समाजवाद है? यह तो लूटमार हो रही है। कमान एरिया के मायने हैं कि पानी दो। अगर पानी नहीं दे सकते तो उसका चार्ज लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां किसानों को रात को 12 बजे बिजली दी जाती है। मैं हाथ जोड़ कर एक ही निवेदन करूंगा कि ये जितने भी भूतपूर्व मंत्री हैं ये मेरे साथ चलें और अति पौष और माघ में एक लंगोटी लगा कर, बनियान पहिन कर जरा पानी छोड़ दें। दो दिन में अगर बिना ये मरे हुए लौट आएं तो मैं राजनीति से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। निश्चय ही इनको निमोनिया होगा। वहां पर तो आप रात बारह बजे बिजली देते हैं लेकिन दिन से बिजली आप किस को देते हैं? सिनेमा हाउसिस को देते हैं। अगर दिन मे कोई सिनेमा नहीं देखता है तो उसकी वजह से देश मर नहीं जाएगा। लेकिन रोटी अगर देश को नहीं मिलती है, लोगों को नहीं मिलती है तो देश अवश्य मर जाएगा, लोग अवश्य मर जाएंगे। इस वास्ते मेरी आप से प्रार्थना है कि आप बिजली दें, समय से दें, दिन में दें और इकोनोमिक रेट पर दें। रेट अन-इकोनोमिक नहीं होना चाहिये, अंधाधुंध रेट आपको उन से चार्ज नहीं करना चाहिये।

आप ने भूमि पर सीलिंग लगाई। यह आपने बहुत अच्छा किया। अठारह एकड़ की आपने लगाई। यह मैक्सिमम सीलिंग है। लेकिन आप देखें कि ट्रैक्टर की क्या कीमत है। साढ़े हजार में वह मिलता है। आप अब बतायें कि अगर कोई किसान ट्रैक्टर ले कर खेती करना चाहता है, इंटेंसिव फार्मिक करना चाहता है। तो क्या वह कर सकता है क्या वह इतना मंहगा ट्रैक्टर खरीद सकता है। अगर वह कम्बाइंड हारवैस्टर लेना चाहता है तो उस की कीमत तीन लाख है। कहां से वह पैसा लायेगा। आप कहते हैं कि आप ग्रुप बना देते हैं और उस के लिय एक ट्रैक्टर हो सकता है। लेकिन आप को पता होना चाहिये कि एग्रीकलचर इज़ एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल सबजक्ट किस तरह से उन का काम इस तरह से चल सकता है और कितने लोग इस तरह से लाभ उठा सकते हैं। आप देखें कि एक ही समय पर किसान को इसकी आवश्यकता पड़ती है। इस वास्ते आप को चाहिये कि एग्रिकलचरल इम्प्लीमेंन्टस के दाम आप सबसिडाइज करें, इन को आप घटायें।

मैं यह भी मांग करता हूं कि आप एंड केटल इनश्योरेंस होना चाहिये आदमी का आप करते हैं, अच्छी बात है, मुझे के कपड़े का भी आप करते हैं लेकिन देश को जिस पर गर्व होना चाहिये, जो देश को खिलाता है उस की उपज का आप इनश्योरेंस नहीं करते है, जीवन के लिये जिस अन्न की आवश्यकता है और जो उस को पैदा करता है, उस की उपज का आप इनश्योरेंस नहीं करते है उस की खेती पर आपत्ति आती है, पत्थर और पाला गिर जाता है, उस की सारी फसल नष्ट हो जाती है उस का आप इनश्योरेंस नहीं करते हैं। यह समाज वादी सरकार उस को कर्ज देती थी, तकावी देती है। जिसका सर्वनाश हो गया उस को कर्ज दे कर आप उस को रीढ़ को बना रहे है या उस को तोड़ रहे हैं? कर्ज से उस की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। इस कर्ज को अगली फसल पर देते देते वह मिट जायेगा। इस प्रकार से गरीबी नहीं हटाई जा सकती है। गरीबी हटाओ का नारा तो दिया गया था लेकिन

डेढ़ आदमी की गरीबी ही भारत में हटी थी। बाकी देश गरीब है। अगर आपने क्षतिपूर्ति करनी है तो कैटल और क्राप की 'इनश्योरेंस करें।

आप ने कहा है कि रुरल क्रैडिट बैंक होने चाहियें। एक भी रुरल बैंक किसान को हरी खड़ी फसल पर एडवांस नहीं देता है। किसान क्यों मारा जाता है? इस वास्ते कि उस में रिटैंटिव पावर नहीं है, आर्थिक पावर नहीं है आर्थिक शक्ति उस में नहीं है? बैंक कपड़े की गांठ पर एडवांस करते हैं। मोटर पर करते हैं लेकिन किसान की हरी खड़ी फसल पर एडवांस नहीं करते हैं। यह होना चाहिये ऐसा आप ने किया और उस को एडवांस किया तो कोई घाटा नहीं होगा। किसान की स्थिति इस से ठीक होगी।

आप परिवार नियोजन को ले। एक वक्त था जब आशीर्वाद दिया जाता था भवेत माता पंच पुत्रा: लेकिन इस समाजवादी सरकार द्वारा यह आशीर्वाद दिया जाता है भवेत माता निपुत्रा। किस प्रकार से परिवार नियोजन को ले कर लोगों के साथ ज्यादतियां की गई हैं इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं लखनऊ में अभी एक अठारह वर्ष का नवयुवक बलिया से नौकरी की तलाश में आया। उस के बारे में जो खबर छपी है उस की कटिंग मैंने स्वास्थय मंत्री श्री राज नारायण को दे दी है। वह बेचारा स्टेशन पर उतरा। नौकरी उसको किसी ने दी नहीं, उस के लिये उस को किसी ने पूछा नहीं, उस को ले जा कर बैल की तरह बधिया बना दिया गया मैं एक डिग्री कालेज का अध्यक्ष हूं। कितने ही सर्क्यूलर मेरे पास रखे हैं इस के बारे में जो गवर्नमेंट के सर्कयूलर है। उन में यह कहा गया है कि मास्टरों की तनख्वाह रोकों, उन को सस्पेंड करो और अगर फ़लां तारीख तक नसबन्दी नहीं कराते है तो डिसमिस करो। यह जबरी नहीं थी तो क्या था? चुनाव के एक महीने पहिले तक इन का रेडियों सही समाचार नहीं देता था। इन के रेडियों को हिन्दुस्तान के लोगों ने कहा था कि यह रेडियों झूठीस्तान है और उस पर कोई विश्वास नही करता था। मेरी गर्दन शर्म से झुक जाती थी जब मैं लोगों की बात को कहते सुनता था कि सही खबर लेनी हो तो बी० बी० सी० को सुनो। यह लज्जा की बात है और पिछली समाजवादी सरकार ने हमारे अपने ही पर अविश्वास करवा दिया।

मुज़फ्फरनगर से ले कर सुल्तानपुर तक जिन हजारों लोगों को गोली से उड़ा दिया गया उस बारे में मान्यवर हम ने मांग की थी कि उस की जांच कराई जाय। उन लोगों का जुर्म क्या था? जुर्म यह था कि वह हिजड़ा बनने के लिये तैयार नहीं थे। और हमारे गृह मंत्री जी के पास हजारों लोगों के स्वैच्छिक स्टेटमेंट रखे हुए है उन लोगों के जिन के रिश्तेदार मारे गये है। जब गृह मंत्री जौनपुर में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम इस की जांच करायेंगे और जो भी दोषी पाये जायेंगे उन को दंड देगे। मेरी मांग है कि उस बारे में जांच होनी चाहिये। सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जांच कमीशन बैठाओं दंड दो या न दो यह आप की मर्जी लेकिन जहां अन्याय हुआ है उस की जानकारी लोगों को होनी चाहिये और उस अन्याय का पर्दाफ़ाश समाज के सामने होना चाहिये। सुल्तानपुर और बंधुआकलां के बीच मैं ने स्वंय फ़ायरिंग देखी है और 9 लाशें गिनी है। मृत्य लोगों के आश्रितो को कम्पेंनसेशन मिलना चाहिये। यह ठीक

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे]

है कि जिस की औरत विधवा हो गई, या जिसका पुत्र मारा गया उस को पैसे से सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन यह अवश्य है कि उन का एक आंसू हम पूछ सकते हैं।

दूसरा मेरा निवेदन सरकार से यह है कि भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिये। मेरा निश्चित मत है कि भ्रष्टाचार ऊपर से आता है, नीचे से नहीं आता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि नागरवाला कांड इसी दिल्ली नगरी में हुआ और मुझे आश्चर्य है, वित्त मंत्री जी अगर यहां होते तो उन से पूछता, क्या आप एक भी पैसा बैंक से टेलीफ़ोन कराकर मंगवा सकते हैं? 60 लाख रुपया निकल गया क्या उस की जांच हुई। मैं स्पष्ट मांग करता हूं कि उस की जांच होनी चाहिये। कानून में सब बराबर हैं चाहे वह कितना ही ऊंचा हो या नीचा हो।

मान्यवर, अभी मुख्य मंत्री की बात हुई, मैं कितने मंत्री बताऊं उत्तर प्रदेश के जिन के भ्रष्टाचार के स्पष्ट प्रमाण दिये गये और मैंने स्वयं नेता विरोधी दल के रूप में प्रमाण दिये, माननीय उग्रसेन जी जानते हैं एक मंत्री ने 40 गांव ऊंचे करवाये गाजीपुर जिले में और उन पर 40 लाख रु० खर्च हो गया। रेवेन्यू पेपर्स में जब देखा जाने लगा था तो गांवों का पता ही नहीं चला। मान्यवर, इस देश के अन्दर दो बहुयें बड़ी मशहूर थी - एक दिल्ली की और एक लखनऊ की। क्या जांच हो रही है? क्या लखनऊ में बाजरा कांड नहीं हुआ? लेकिन कोई जांच नहीं हुई। भ्रष्टाचार की जांच बड़े लोगों की होनी चाहिये। आप ने दो रु० पर एक चपरासी या बाबू को उठाकर फेंक दिया इस से कुछ नहीं होता। जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, और मैं उन के नाम तक गिना सकता हूं उन के खिलाफ जांच होनी चाहिये। मारुति कांड को ही ले लें। जो प्राणी मोटर कम्पनी नहीं चला सका वह हमारे सामने बैठे श्रीमान लोगों के कन्धों पर चढ़ कर देश का युवराज बन रहा था और इन की जबान पर ताला लगा था जैसे कौरव दरबार में लोगों की जबान पर ताला लगा था। तो मान्यवर मैं मांग करता हूं कि एक कमीशन बैठाया जाय जिस में बड़े बड़े लोगों के खिलाफ़ करप्शन की जांच हो।

शिक्षा के बारे में मैं सुझाव दे रहा हूं। हमारे शिक्षा मंत्री डा० प्रकाश चन्द्र चुन्दर ने व्रत लिया है कि वे देश के अन्दर साक्षरता लायेंगे, मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरा सुझाव यह है कि साक्षरता लाने के लिये बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। आज देश में बहुत से शिक्षाविद ऐसे है जो रिटायर्ड लोग है, जिनको पेंशन दी जा रही है। उनको काम चाहिये, हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करें कि आज देश में क्रान्ति हो रही है जिसके बल पर देश आगे बढ़ रहा है, देश की 30 वर्ष की कमियों को 5 वर्ष में पूरा किया जा रहा है। आप उस क्रान्ति में हमारा साथ दें और बच्चों को शिक्षित करें। हरेक रिटायर्ड अध्यापक को निवेदन करें कि भाई, जाने का साधन दे देंगे और आप काम करें। साक्षरता के लिये बहुत बड़े साइनबोर्ड और बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। मेरा सुझाव है कि जितने रिटायर्ड परसोनल इस देश के है, उनका उपयोग साक्षरता के लिये किया जाये।

हमारे विरोधी दल के नेता ने बड़े जोर से कहा कि हिन्दुस्तान की इमेज न बिगाड़िये। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जनता सरकार हिन्दुस्तान की इमेज को किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं देगी। हमारी सरकार का परम उद्देश्य है--"परम वैभवं नेतुमेतत

स्वराष्ट्रम्" । हमारा राष्ट्र परम वैभवशाली है, इसकी इमेज नहीं बिगाड़ी जा सकती है । मैं इस बारे में दो उदाहरण देना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि इस इमर्जेंसी के दौरान पाश्चात्य अखबारों में हमारी क्या इमेज बनी है, इसका उत्तर खुद माननीय चव्हाण दें । हमारे विदेश मंत्री विदेशों में जाकर बाहर हर एक जगह पात्र लेकर घूमते रहे कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि । जनता सरकार भिक्षा नहीं मांगती है ।

अगर हमारे सुरक्षा मंत्री यहां होते तो मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था कि हमारी सुरक्षा पर भी बड़ा भारी गैप हो गया है, जो कि मिसाइल गैप बन गया है । मैं किसी देश का नाम नहीं लेता हूं कि यह मिसाइल गैप किस कारण से बन गया है और इसका कौन जिम्मेदार है । हम जानना चाहते है कि क्या हमारे देश की सुरक्षा लाठी और थ्री-नाट-थ्री की राइफल से होगी । क्या हम अपने बहादुर सैनिको को पुराने अस्त्र देंगे ? उनको आधुनिक अस्त्र चाहियें । हमने मिसाइल देने से इन्कार कर दिया है । मैं देश का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इशारा कर रहा हूं । मैं चाहूंगा कि डिफेंस मिनिस्टर यह घोषणा करें । मुझ से अधिक खुशी किसी को नहीं हो सकती इस देश में अगर मिसाइल गैप को दूर किया जा सके ।

सिक्योरिटी की दृष्टि से आपने अखबारों में देखा होगा कि दिल्ली के लैफ्टिनेन्ट गवर्नर के पी० ए० रोम भागने के लिए बम्बई भाग कर जा रहे थे । क्या यह दाढ़ी में तिनका साबित नहीं कर रहा है कि उसमें क्या था ? मैं इस सरकार से मांग करूंगा कि जितने नेता या भूतपूर्व महापुरुष है और जितने अधिकारी दोषी है, जिनकी जांच होनी है, उनके पासपोर्ट को इम्पाउंड करे और उनको इस देश से बाहर जाने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये ।

फारेन पालिसी के बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं । हमारी फारेन पालिसी नान-एलाइन्ड है, यह बहुत अच्छी है । लेकिन कहीं यह न बन जाये कि सब से अच्छी अकेली भली । हमारा राष्ट्रहित दोनों सुपर पावर के बीच में है और उन दोनों के बीच में हमको अपना राष्ट्रहित देखना चाहिये, इसमें हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है । हम अपनी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धान्तों और राष्ट्र-हित पर आधारित करें ।

अन्त में सभापति महोदय आपसे और आपके माध्यम से अपने माननीय आवास मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी को जनता ने किसी उद्देश्य के लिये भेजा है, कानून के लिये भेजा है, जोर-जबरदस्ती के लिये नहीं भेजा है, कोई कानून से मकान मांगता है और दूसरा कोई जबरी घुस जाये और आप कहें कि क्या करें, तो यह नहीं चलेगा । आवास मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिये कि नो फरदर फ़ेवरिटिज्म और पार्शिए-लिटी ।

इन शब्दों के साथ मैं श्री कर्पूरी ठाकुर द्वारा रखे गये धन्यवाद-प्रस्ताव का समर्थन इस लिए करता हूं कि जितने कदम उठे है, वे हेसिटेटिंग होंगे, लेकिन वे पहले कदम है । यह सरकार क्रान्तिकारी सरकार है, क्योंकि यह जो चुनाव हुआ है, वह रिवोल्यूशन बाई दि बैलट बाक्स है, इसलिए इस क्रान्तिकारी सरकार के एक्शन डिसाइसिव, डेफ़िनेट और बोल्ड होने चाहिए—वे किसी की इच्छा व प्रसन्नता पर निर्भर नहीं होने चाहिए ।

SHRI O. V. ALAGESAN (Arkonam): I congratulate the framers of the Address for its brevity and also for its tone of restraint. I feel that it could have contained louder denunciation but has shown restraint and has not indulged in any denunciation. After seeing

[Shri O. V. Alagesan]

the verdict of the people and hearing the representatives of the Janata Party here who have told us the tales of woe during the emergency, one feels really repentant and sorry. The story of the gentleman who cried "Jai Narayan" and was put in jail because he was suspected to be sympathetic to Shri Jai Prakash Narayan is an extreme case. Many such cases might have happened. It has to be conceded that excesses were committed during the emergency and that they hurt the people very much. If it means anything, I would like to tender sincere apologies for what has happened during the emergency.

When it was conceived, it was like dieting prescribed for a patient overtaken by disorder, but as it proceeded, it began to eat the very patient whom it sought to save, namely democracy. It was like the revolution eating its own children. In fact, the people who ran the emergency became its first victims rather than those who suffered from it for this reason that they were not kept fully informed of what was going on and the nature of the emergency in the country.

17.12 hrs.

[Shri S. D. Patil *in the Chair*]

We have to expiate for it do *prayaschitta* for it. Babu Jagivan Ram has expiated in a particular way, those who were defeated at the hustings have expiated in a different way, and those who have been elected will also have to perform *prayaschitta*, I have it will be parliamentary *tapas charya*.

I commended the restraint shown in the Address of the President, but I am sorry to say that the speeches of the Members from the Janata Party did not show much of restraint. Perhaps this is the initial period and they will get over this feeling soon. The Janata Party has certainly made history by unseating the Congress which has ruled this country for over 30 years and by forming a viable Government at the Centre for the first time, but I would like to submit that the Congress Party also, in its hour of defeat, has made history because it has provided for the first time in 30 years a viable official Opposition. You will agree that both the Government party and a viable Opposition party are needed to work our democracy.

In their euphoria of victory, many Members seem to have lost—I mean on the other side—their perspective and balance. They have condemned the entire Congress rule spread over the past 30 years. What does this mean? Does it mean the condemnation of all that happened under Pandit Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri and Indira Gandhi before the emergency was ushered in? Do they condemn everything? It means much more than that. It means you condemn the verdict of the people which has been delivered five times, that is, in 1952, 1957, 1962, 1967 and 1971. You condemn the five successive verdicts of the people and are be prepared to approve only the sixth verdict. Please do not mock at people who have returned you to take over the reins of Government in good faith.

Democracy is vindicated not only when it acts in a negative way, that is, when it unseats a government which it has itself put in power but also when it acts in a positive way, that is, when it confirms a government in the seat of power for a second time. How a peaceful change has occurred in the Government without shedding any blood anywhere, without any violence! So, when democracy change the Government that it has put in power, it must be appreciated. I would plead that it has to be appreciated even when it confirms the party in power for a second time.

The Congress Government had not been in power for the past 30 years by means of false credentials. We are heirs to a non-violent revolution under Mahatma Gandhi who won freedom from foreign domination for this ancient country. There are some Members on the other side who also are heirs

to the non-violent revolution which got freedom for the country. Please do not forget the present Prime Minister was part of the Congress and had contributed to the Congress history, as my leader mentioned some time ago, until the year 1969. Please do not forget that Babu Jagjivan Ram was part of the Congress and whatever had been done before independence and after independence, until the crucial day of 2nd February, 1977. So also several others in Government, who are sitting in the Government benches, were part of the Congress and they contributed to the achievements of Congress and the service that was rendered by the Congress Government to this country. So, I would humbly appeal to the Members on the Government side, please do not stand self-condemned by condemning indiscriminately all that has happened in the past.

Now, I am coming to a subject which is rather delicate, that is, the subject of interpreting the recent verdict of the people. My friend, Mr. C. Subramaniam, said something and he was almost mauled by the House. My friend, Mr. Rameshwara Rao, was much more fortunate. He couched his speech in a very diplomatic language and he was listened to with attention. So, I should say something and I shall crave your indulgence so that you need not mistake me. I am not saying this out of parochial consideration. Our background has not been parochial; it has been national. So, please do not misunderstand me when I say this. The Address speakes of the democratic process. The wind that blew, it was not one wind; there were two winds. Perhaps I can compare it to the south-east monsoon and the north-east monsoon country. They blew in contrary directions, about which my friend Shri Rameswara Rao has spoken, and the dividing line has been the old dividing line of the Vindhya mountains. There are many periods in Indian history when, due to stresses and strains, the basic Indian culture has had to cross the Vindhya mountains and take refuge in the southern part of India. I am reminded of a similar thing happening to the nationalist culture of this country and I am tempted to say that it was forced to cross the Vindhya mountains and take refuges in the southern part of India.

But one thing is clear, and let us not run away from that fact. The Government of the day, I am sorry to say, is not representative of the entire country and the Opposition of the day is also not representative of the entire country. This is very serious situation, a situation which I would almost call a vicious situation. It is a situation which is pregnant with mischief and it is in the national interest that all of us should put our heads together and try to find a solution for this mischievous situation.

The Address speaks of extra-constitutional centres of power. I believe the reference is quite obvious. I would like to ask the Government side to place their hands on their hearts and tell me whether there are no extra-constitutional centres of power operating now. What about the election of the Leader of the Government itself? Was it arranged or was it arrived at by the Party on its own? There were certain extra-constitutional centres of power which advised the Government Party to choose a particular person as its Leader. I don't decry it and I don't disapprove of it. What is Jayaprakashji, what is Acharya Kriplaniji, what is Vinobhaji and what was Gandhiji earlier? It has been a part of Indian history that extra-constitutional centres of power have been operating. But I would like to ask these extra-constitutional centres of power not to be selfish but to be selfless and to operate solely in the interests of the nation. What I am pointing out is that this idiom has been picked up from somewhere else and copied. Evidently it was in your mind to say that political upstartism should not be encouraged, that it

[Shri O. V. Alagesan]

should not be clothed without Governmental authority without Constitutional sanction. You would have been more definite had you said that but you used a loose idiom and called it 'extra-constitutional centres of power'— which, I wanted to clarify, may be misleading.

Now, the Address says that President's Rule is intended to be imposed strictly in accordance with the objectives mentioned in the Constitution and not for extraneous purposes. This sentence is found in the Address but, I am sorry to say, even before the ink has dried, you have done something contrary to what you have stated in the President's Address. Can the introduction of President's Rule in Kashmir substantiate your contention?

MR. CHAIRMAN: The Adjournment Motion has been withdrawn.

SHRI O. V. ALAGESAN: I am speaking on the President's Address where this is mentioned. I can refer to it; I do not think there is anything wrong in that.

I beg to submit that the Heavens would not have fallen if you had allowed the Congress Party to form the Government; and if it had collapsed under the weight of its own dissensions, then you would have had every right to introduce President's rule there. But you did not have the patience to wait because, I am afraid, you had the same advisers who advised us to do many things or who are at present advising you; you have succumbed to their advice as we had succumbed to it, at what cost, the whole world knows. The moment you had written it, even before the ink was dry, you did something which was quite contrary to that; your first exercise of authority has been contrary to your own declaration and your own conviction. I am sorry this has happened. Please guard yourselves against such slips in future.

Again the President's Address says:

> "Steps will also be taken to ensure that All India Radio, Doordarshan, Films Division and other Government media function in a fair and objective manner."

Already a very important member of your Party has pointed out an instance where this has not been so. I do not want to rub it in. We all know the way in which the All India Anna DMK's assurance to the Prime Minister was put on the radio and in a section of the press. Please guard yourselves against such violations, in future, of your own very clearly stated policy. I would not like to put the entire blame on the Government because I feel that some overzealous officials might have been responsible for such distorted information.

Now I come to the subject matter of an amendment which I have given notice of, and that is with reference to the Sarkaria Inquiry Commission in Tamil Nadu. My friend sitting on my left, Shri Hegde, pleaded very eloquently that all misdeeds should be inquired into and that those who had committed those misdeeds should be brought to book. Here is a case where already an inquiry has been going on into the misdeeds of the erstwhile DMK Chief Minister, Shri Karunanidhi, and his colleagues, and this has been going on for the last one year. The Commission was appointed in February, 1976, and its term ended on 1st February, 1977. They are seized of as many as 27 or 28 allegations of which the Commission was able to inquire into only seven; 21 more allegations still remain to be inquired into. On the inquiry so far conducted, the Commission has submitted its conclusions in a report. This report has been placed on the Table of the other House. I would request the Government to place this report on the Table of this House also. This is a very big report; I would not go into the whole thing; I would give you only one or two

samples from the conclusions of the report. This is against Shri M. Karunanidhi, the then Chief Minister; this is one of the conclusions of the Sarkaria Commission:

"That on 22-9-1971, in pursuance of the aforesaid demand, and imposed arrangement, Shri Karunanidhi, abusing his official position as Chief Minister received through his Private Secretary, Vaithialingam, a total sum of Rs. 1,17,273/- from the seven operators including Cambata, Captain, Krishnan and others, as a motive or reward for doing acts connected with his official functions such as releasing payment of their pending bills in respect of the work done upto 19-9-1971 and for allocating further work at the contractual rate of Rs. 11/- per acre, etc."

This is an interesting report and the Members will understand it if they go through it, what atrocities were committed and corruption was indulged in and that unheard of misuse of official power did take place in Tamil Nadu.

I would read another charge:

"That Shri Anbil Dharmalingam, acting in pursuance of a prearranged plan conceived by him in concert with Shri Karunanidhi, the then Chief Minister, and by abusing his official position as Minister for Agriculture, directly received from the operators illegal gratifications in amounts and on dates noted below, as a motive or reward for doing acts connected with his official functions:

(a) Rs. 1,41,650/- in cash on 11-10-1971.

(b) Rs. 41,714/- in cash on 25-10-1971.

(c) Rs. 52,676/- in cash on 6-11-1971.

(d) Rs. 53,359/- in cash on 25-11-1971.

(e) Rs. 64,502/- in cash on 23-12-1971.

(f) Rs. 17,603/- from H. P. Rao after 25-11-1971.

(g) Rs. 16,242/- from P. G. Dastoor after 25-11-1971.

Total : Rs. 3,87,746/-".

The Commission has given its findings on seven of the allegations that were referred to it. There are 21 more allegations. Now, Sir, I have reasons to believe that Shri Karunanidhi's lobbyists are already in Delhi and are haunting the corridors both of Parliament House and the Secretariat so that they can somehow wriggle out of this inquiry and consequences of such an inquiry.

Yesterday, we wanted to get an assurance from the Finance Minister that he would continue the Commission of Inquiry and that he would allow the Commission to do its work and complete it. What he said was neither discouraging nor encouraging; he has become such an adept in using the language. He said: If we do something and stop the inquiry, you will have time to agitate about it. I would like to plead with the Prime Minister who is presiding over the destiny of this country, known for his rectitude and abhhorence of corruption in public life that this inquiry should be continued and completed. It will be highly unfortunate if this Commission is given the go-by. I hope and I seek an assurance, whosoever will be speaking on behalf of the Government in reply to this debate, to this effect. I seek an assurance from the Government spokesman that they will continue this inquiry and allow the Commission to complete its work. Not only that, they should also take action as a consequence of the report of this Commission.

[Shri O. V. Alagesan]

Sir, I would like to bring to your notice another matter with regard to a serious lapse that has occurred during the elections in my constituency. The Speaker occupies a very special position. Though in Tamil Nadu, the Assembly was dissolved and the Government was dismissed, because of the constitutional requirement, the Speaker is still there holding his high office. I am sorry to say that this Speaker who is paid by the Government and who uses Government car and who has paid government personnel to assist him, went about very actively canvassing for the DMK candidate in my constituency. I brought this to the notice of the authorities, firstly to the Chief Election Commissioner and others, but I did not get any remedy, and it went on until the election was over. It is highly improper on his part to have done so. In this connection, I would like to quote from the report of the Committee of Presiding Officers. It says:

> "The Committee felt that impartiality of the Speaker being an indispensable condition for the successful working of parliamentary democracy, it is essential that the Speaker should sever all connections with the Party to which he might have belonged."

Also the Committee noted the following observation of Dr. N. Sanjiva Reddy, Speaker of the Lok Sabha, on his election as Speaker on 17th March 1967.

> "My office requires of me to be impartial and judicious in the conduct of my work. I can assure you with all the force at my command that I will try to live upto this requirement and maintain the highest tradition set by my predecessors. As a necessary corollary to this resolve, I resign my membership of the Party to which I had the honour to belong for 34 years. So long as I occupy this Chair, it shall be my endeavour to see that all sections of this House get an honest impression that I do not belong to any Party at all."

This is what Dr. Sanjiva Reddy said. The Committee agreed in principle with the Speaker of the Lok Sabha that the Speaker should not belong to any Party.

Now, when this is the opinion of the Committee of Presiding Officers, it is very unfortunate that a Speaker — let alone his not belonging to any Party or severing his connection with any Party—the Speaker of Tamil Nadu has gone to this extent of canvassing actively for a candidate in the elections. Of course, he belongs to the same Party to which the Speaker once belonged. The Speaker belonged to the DMK but, as Speaker whether it was within his propriety to have done it, is a matter I leave to you to judge.

With these few words and subject to my amendment, I support the motion of thanks to the President for his Address.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं कार्य वाहक राष्ट्रपति महोदय को हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जनता की सही नब्ज़ को पहचाना। हमारे देश में आज जो एक अभूतपूर्व जनक्रांति हुई है उसकी ओर न केवल हमारे देशवासियों ने बल्कि दुनिया के उन सभी लोगों ने जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, केवल ध्यान भर ही नहीं दिया बल्कि उसे बहुत विस्मित हो कर देखा है कि हिन्दुस्तान की जनता ने सही मायनों में लोकतंत्र के प्रति अपनी हार्दिक आस्था व्यक्त की है। उसको हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति महोदय ने, बड़े सुन्दर और सुस्पेष्ट शब्दों में लोक सभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन के सामने रखा है। उन्होंने जनता की उन सभी आकांक्षाओं/

और अपेक्षाओं को भी अभिव्यक्ति दी है जो कि आज समूचे देश में, समूचे देश के जनमानस मे व्याप्त है ।

मैंने कुछ देर पहले प्रतिपक्ष के माननीय नेता श्री यशवंतराव जी चव्हाण का भाषण बहुत ध्यानपूर्वक सुना । मुझे दुख है कि अभी भी इतनी बड़ी जन क्रान्ति के बाद भी इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा है । उन्होंने इस बात की बहुत चर्चा की है कि उन्हें कुछ सुसंगठित नीतियों, पर विचाराधाराओं पर और दर्शन पर पूरा विश्वास है । मुझे बड़ा आश्चर्य है और मैं यह जानने में असमर्थ हूं कि वह कौन सी नीतियां हैं, कौन सा दर्शन है, कौन सी विचारधारा है जिसमें उनको बहुत बड़ा विश्वास है ।

दूसरी ओर वह यह कहते हैं कि जनता पार्टी सब ओर दिखाई दे रही हैं इसके पास कोई एक दर्शन नहीं है । उनका कहना था कि अनेक दर्शन उनको यहां मालूम देते हैं । पता नहीं वह कौन सी दृष्टि है जिससे उन्हें यहां एक दर्शन दिखाई नहीं देता है और अपनी उनको बड़ी सुसंगठित विचाराधारा मालूम होती है । आपकी इस विचारधारा के चलते इस देश में 45 करोड़ लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं । आप के दर्शन और विचार-धारा का ही यह फल है कि जिस बिड़ला के पास आज से तीस साल पहले केवल 25 करोड़ की पूंजी थी आज उसके पास 1100 करोड़ की पूंजी है । दूसरी तरफ इस देश के 45 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने पर विवश हैं । अगर यही विचारधारा और नीति और दर्शन है तो मैं समझता हूं कि इससे इस देश की जनता ने हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है, जनता ने इस विचारधारा, इस दर्शन को, इस नीति को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है । आपको इस पर अभी भी गर्व है तो मैं समझता हूं कि शायद अभी और कुछ होना बाकी है । आपने स्वयं कहा है कि अभी थोड़े दिन पहले आपके सदस्यों की संख्या साढ़े तीन सौ थी और आज केवल वह डेढ़ सौ रह गयी है । क्यों इसी विचारधारा व नीति पर आपको गर्व है । तो वह दिन दूर नहीं जब डेढ़ सौ में केवल आप पंद्रह रह जाएंगे और शायद शून्य पर भी आप पहुंच जाएं । आपकी विचारधारा आपको मुबारिक हो । जिस विचारधारा के चलते आपने देश की यह दुर्दशा की है यह आपको ही मुबारिक हो । आपने कहा है कि एमरजेंसी की बात बार बार न कही जाए । एमरजेंसी की वजह से जनता ने आपको एक बहुत अच्छा सबक सिखा दिया है । उसने आपको इस जगह पर पहुंचा दिया है । मैं समझता हूं कि तीस वर्षों के पापों का यह परिणाम है जो कि आप इस स्थिति में पहुंच गए हैं । यह कौन सी विचारधारा है कि बिड़ला साहब को कागज तीन सौ रुपये प्रति टन खर्च करके तैयार करने हैं उसके आप सात हजार रुपये टन के भाव से जनता को दिलवाते हैं यह कौन सी विचारधारा है कि चीनी मिलों के मालिक 1400 रुपये खर्च करके एक टन चीनी बनाने हैं और उसी चीनी को आप 5500 रुपये प्रति टन के भाव से जनता को दिलाते हैं ? दूसरी ओर जो किसान दो सौ रुपया खर्च करके एक क्विंटल गेहूं पैदा करता है उसकी कीमत आप उसको 105 रुपये दिलाते हैं । यह कौन सा दर्शन है, कौन सी विचारधारा है यह मेरी समझ में नहीं आता है । इसी विचारधारा के और दर्शन के चलते आपने देश के 78 प्रतिशत किसानों को तबाह कर दिया है, उनको भूखों रहने पर विवश कर दिया है, उसके बाल बच्चों को दाने दाने के लिए मुहताज कर दिया है ।

SHRI VAYALAR RAVI: Do you mean to say that the price of sugar cane should be increased?

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : गन्ने की कीमत और रिकवरी को जोड़ कर के मैंने आपको बताया है ।

[श्री यमुना प्रसाद शास्त्री]

आपके शासन के चलते और नीतियों के चलते कुछ प्रान्तों में, थोड़े से प्रान्तों में प्रति व्यक्ति औसत आय साढ़े आठ सौ रुपये और कहीं कहीं 950 रुपये है और दूसरी ओर कुछ अन्य प्रान्तों में जैसे मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, रीवा, शहडोल, सीधी आदि में केवल 132 रूपये है। क्या इसी नीति पर आपको गर्व है ? क्या इसी विचारधारा और दर्शन पर आपको गर्व है ? अब आप सिंचाई को लें। कुछ प्रान्तों में सिंचाई की औसत दर 23 प्रतिशत और चालीस प्रतिशत भी है और दूसरी ओर देश के काफी हिस्से ऐसे हैं जहां सिंचाई का औसत केवल नौ प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में वह केवल नौ प्रतिशत है और मध्य प्रदेश के ही कुछ हिस्सों में जैसे रीवा, सतना, सीधी व शहडोल में वह केवल 1.3 प्रतिशत है। यह क्षेत्रीय असमानता, इस तरह की विषमता और इसी पर आप को गर्व है कि हम ने देश को आगे बढ़ाया ? एक तरफ़ इस देश के कुछ प्रान्तों में जैसे तमिलनाडु 86 प्रतिशत गांवों में बिजली, कुछ प्रान्तों में जैसे हरियाणा में शत प्रतिशत बिजली और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में और उस के कुछ हिस्सों में केवल 3 प्रतिशत गावों में बिजली। इस तरह से आप ने देश को आगे बढ़ाया।

जनता पार्टी को आप कहते हैं कि इसके पास कोई दर्शन नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। आपने राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण पढ़ा ? उसमें उन्होंने कुछ बातों पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने का प्रयास किया जायगा, 10 साल के अन्दर बेरोजगारी व गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जायगा। जहां 1961 में 52 लाख लोग बेकार थे वह इस समय 1 करोड़ 12 लाख लोगों के नाम ऐमप्लायमेंट एक्सचेंज के रजिस्टर्स में दर्ज हैं। जुलाई 1976 में 97 लाख लोग बेकार थे और आज 1 करोड़ 12 लाख लोग बेकार ह। जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो वायदा किया गया है उस को आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में देख सकते हैं जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि बेकारी और गरीबी को 10 वर्ष के अन्दर समाप्त करने का प्रयास किया जायगा। क्या इसमें आपको कोई दर्शव नहीं दिखाई देता ? आज आपने माननीय जार्ज फ़रनान्डीज़ और परसों माननीय दंडवते का स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें उन्होंने वायदा किया है कि श्रमिकों ने अपने अधिकारों के सम्बन्ध में संघर्ष करते हुए जो क्षति उठाई हे, अपनी जायज़ मांगों के लिये संघर्ष करते हुए जो उनको नुकसान उठाना पड़ा, आपकी विचारधारा और दर्शन के परिणामस्वरूप में जो अत्याचार उन पर हो चुके थे और रेल मज़दूर 24,000 से अधिक संख्या में नौकरी से अलग कर दिये गये थे उन सब को जनता पार्टी की सरकार ने तुरन्त नौकरी में लेने का आदेश दे दिया है। क्या यह दर्शन आपको नहीं दिखाई देता ? जो इस देश के श्रमजीवी हैं और दिन रात मेहनत करने के बाद भर पेट रोटी अपने बाल बच्चों को नहीं दे पाते सब से पहले उनको जनता पार्टी की सरकार ने न्याय दिया है। जो काम आप आज तक नहीं कर पाये, झूंठे आश्वासन देश को देते रहे कि चूंकि सम्पत्ति का मौलिक अधिकार संविधान में लिखा हुआ है इसलिये आपकी सरकार कोई प्रगतिशील कदम नहीं उठा पा रही है, सम्पत्ति के अधिकार को जनता पार्टी की सरकार मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल देगी। इमरजेंसी लागू करने के बाद अंधाधुंध इस बात का आपने ढिंढोरा पीटा कि सम्पत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार रहने के कारण इस देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं किया जा सका। अपितु सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से आपने नहीं निकाला। आज भी वह मौलिक अधिकारों की सूची में है। अब जनता पार्टी की सरकार उसे समाप्त करने जा रही है। इसी प्रकार 42वें संविधान संशोधन के बारे में आपने कहा कि हम नहीं

मानते कि जनता ने उनके विरुद्ध अपना मत प्रकट किया है । क्या उस 42वें संविधान में कहीं आपने यह प्रावधान किया कि सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल दिया जायगा ? सारे देश की जनता की आंखों में आप धूल झोंकते रहे हैं । और आज इस पवित्र सदन में यह कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती कि 42वें संशोधन के प्रति आज भी अपने आपको जुड़ा हुआ पा रहे हैं । उस संविधान संशोधन में कौन सी प्रगतिशील बातें आपने की हैं ? लेकिन जनता पार्टी के घोषणा-पत्र को देखिये उसमें वचन दिया गया है कि सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया जायगा । इस पर भी अगर आपको हमारी पार्टी में नीति और दर्शन नहीं दिखाई देता तो हम क्या करें ? अभी भी स्वतत्र पार्टी का भूत आपको जनता पार्टी में दिखाई देता है, अभी भी आप अपना पुराना राग अलापते हैं । आपने चुनाव में कहा कि यह तो अलग-अलग विचारों के लोग हैं, कैसे साथ रह सकते हैं । आप उसी रट को अभी भी लगाते जा रहे हैं और जो सत्य है, उसको देख नहीं पाते हैं ।

इतना ही नहीं, जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह वायदा किया है कि हम काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में लायेंगे । क्या आपने आज तक यह किया है ? इस 42वें संविधान संशोधन में जो कि 59 परिच्छेदों वाला है, क्या उसमें आपने कहीं भी रोजगार पाने के अधिकार को जोड़ा है ? आपने जनता के मौलिक अधिकारों को छीना है, आपने कह दिया कि मौलिक अधिकार तो गौण हैं । आपने मौलिक अधिकारों की हत्या की है । मौलिक अधिकारों की सूची में आपने काम के, रोजगार के अधिकार को स्वीकार नहीं किया है । लेकिन जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में जोड़ने का वायदा किया है । यह बड़ी क्रान्ति है, जनता पार्टी जनता के इस सपने को पूरा करना चाहती है ।

SHRI B. P. KADAM (Canara): Are you sure that these will be implemented?

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : आपको संशय नहीं करना चाहिये, जो आपके सामने है, उसको देख कर आप निर्णय कीजिये । संशय विनाश का रास्ता है, अभी भी आप संशय कर रहे हैं । जो हमारे डाक्युमेंट आपके सामने है, जो हमारे वचन और वायदे आपके सामने हैं, उसको देख कर निर्णय करना होगा । उसे कार्यान्वित करने के लिये अभी एक हफ्ता का समय भी नहीं मिला है । जनता पार्टी और उसकी सरकार ने यह वायदा किया है । जनता पार्टी उस सपने को पूरा करना चाहती है जो महात्मा गांधी ने देखा था और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उस सपने को पूरा करना संभव बना दिया है । उसी सपने को पूरा करने का हमारा प्रयास है । हम सोचते थे कि इतना बड़ा सबक सीखने के बाद, जनता के इस स्पष्ट निर्णय के बाद आपकी बुद्धि में कुछ तो प्रभाव पड़ेगा और आप सही स्थिति को परख सकेंगे और अपना सही अभिमत व्यक्त कर सकेंगे, पुरानी आदत आप छोड़ेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं ।

माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि किसानों को अपनी उपज का, अपने उत्पादन का पूरा मूल्य दिया जायेगा । इसके सम्बन्ध में आपने आज तक क्या किया था । किसानों ने कितनी ही बार आपसे मांग की, सत्याग्रह किया, जेल गये, लेकिन आपने उनको जेलों में ठूंस दिया और उन पर लाठियां बरसाईं । क्या कभी आपने किसान की जायज मांग को सुना था ? वह 273 रुपये क्विंटल पर खाद खरीदे, सिंचाई का टैक्स 4 गुना बढ़ा

[श्री यमुना प्रसाद शास्त्री]

हुआ दे व लगान का दुगुना दे, लेकिन उसको अपने अनाज की उचित कीमत न मिले । यह आपके राज्य में इतने दिनों तक चलता रहा । इस कृषि प्रधान देश में किसानों को आपने तबाह कर दिया, कितने झूठे वायदे आपने किये ? आपने एमर्जेंसी के दौरान बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बड़ी-बड़ी रियायतें और छूट दी है । इनकम टैक्स की जो उच्चतम दर थी, उसको आपने नीचे गिराया । बड़े इनकम टैक्स देने वालों को फायदा पहुंचाने के लिये आपने उसकी सीमा को घटाया, उसे नीचे लाये । लेकिन जिस किसान को जिसको खेती के लिये एक एक बूंद पानी के लिये तरसना पड़ता है, उसको आपने क्या रियायतें दीं । ग्राम विकास कर उनसे वसूल हो रहा है । आन्ध्र, तमिलनाडु वगैरा सब जगहों में किसानों के साथ यह अन्याय हुआ है । जहां सिंचाई का टैक्स 3 रुपये होता था, उसकी जगह 20 रुपये लिया जा रहा है । ग्राम विकास कर अलग लेते है, बिजली का टैक्स अलग कई गुना बढ़ा दिया गया है । किसान के उपयोग में आने वाली सब चीजें-रोज-ब-रोज महंगी हो रही हैं, लेकिन उस के अनाज का दाम घट रहा है । रिजर्व बैंक से को-आपरेटिव बैंकों के लिए ढाई परसेंट ब्याज पर रुपया दिया ज ता है, लेकिन किसान से 15 परसेंट ब्याज वसूल किया जाता है । यदि किसान को रुपया वापस करने में एक दिन का भी विलम्ब हो जाये, तो उस से 3 परसेंट दंड ब्याज अतिरिक्त वसूल किया जाता है । इस प्रकार किसान से तो 18 परसेंट ब्याज वसूल किया जाता है, जबकि करोड़पति उद्योगपतियों को फिनांस कारपोरेशन से 4 परसेंट ब्याज पर रुपया दिया जाता है ।

भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में जगह जगह 45 रूरल रिजनल बैंक, देहाती क्षेत्रीय बैंक, खोले गये हैं । मैं उन बैंकों की स्थिति से परिचित हूं । कहने को तो ये बैंक गरीबों को मदद देने के लिए खोले गये हैं, लेकिन एक भी गरीब को उन से मदद नहीं मिली है । इन बैंकों द्वारा कहा जाता है कि जिस के पास जमीन जायदाद है और जमानत दे सके, उसी को कर्जा मिल सकेगा । इस देश में सात करोड़ भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, जिन के पास रहने के लिए मकान बनाने तक भी जमीन नहीं है, जिन के फूस के झौंपड़ों को भी पिछली सरकार ने बुलडोजर चला कर गिरा दिया था । उन लोगों को तो एक पैसा भी ऋण नहीं मिल सकता है । पिछली सरकार की नीति और विचारधारा के कारण देश की यह स्थिति हुई है ।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस देश में 23 प्रतिशत बड़े किसानों के पास देश की 70 फीसदी जमीन है और 77 फीसदी किसानों के पास केवल 30 फीसदी जमीन है । पिछली सरकार कृषि भूमि का सीमा कानून बिल्कुल बोगस और आडम्बर मात्र है । इस नीति और विचारधारा से जनता ने छूटकारा लिया । मैं श्री चव्हाण से कहूंगा कि वह जरा शीशे में अपना चेहरा देख लें । बिहार में जिन 200 व्यक्तियों के प्राण उन की सरकार द्वारा गोलियां बरसा कर लिये गये हैं और तुर्कमान गेट के जिन लोगों के खून से उनकी सरकार ने होली खेली है, कहीं उन का खून तो उन के मुंह पर नहीं लगा हुआ है । जेल में जिन 150 मासूम और निरीह व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, कहीं उन के कलंक का टीका तो उन के माथे पर नहीं लगा हुआ है । अभी भी समय है कि वह समझें कि देश की जनता क्या चाहती है और देश में क्या हवा है ।

मेरे पूर्ववक्ता ने अभी एक बहुत ग़लत और आपत्तिजनक बात कही है । उन्होंने कहा है कि यह सरकार हिन्दुस्तान की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है । यह

बात कहने की उन की हिम्मत कैसे हुई ? क्या उन को याद है कि 1952 में आंध्र के एक बड़े हिस्से, केरल और तामिलनाडू से कम्युनिस्ट पार्टी के काफी लोग जीते थे । उस वक्त क्या यह कहा जा सकता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन की पार्टी हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी । अगर वह देश को एक मानते हैं, तो उनको मानना चाहिए कि देश के बहुमत और देश के बहुत बड़े हिस्से ने जनता पार्टी को स्वीकार किया है । इस लिए यह कहना कि जनता पार्टी इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, जनता का घोर अपमान करना है । जनता इस को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी । जनता ने अपनी किस्मत जनता पार्टी को सौंपी है ।

चव्हाण साहब ने विदेश नीति के संबंध में भी कुछ बातें कहीं हैं कि आप ने गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया है, यह आप ने बहुत अच्छा किया है । यह बात उन्होंने कही इस के लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा । किसी एक बात के लिए तो उन्होंने स्वीकारा कि हमने सही कदम उठाया । लेकिन चव्हाण साहब इस बात को समझ लें कि आप की जैसी गुट निरपेक्षता की नीति जनता पार्टी नहीं स्वीकार करती । आप की गुट निरपेक्षता क्या थी ? आप की गुट निरपेक्षता यह थी कि चिली में अगर अमरिका ने परोक्ष रूप से अलेंदी की हत्या करवायी तो उस की तो आप ने निन्दा की लेकिन जब रूस ने जेकोस्लोवाकिया पर हमला कर के दुवचेक की सरकार को गिराया, उस की निन्दा आप ने नहीं की आप मौन रहे । क्या यही तटस्थता की नीति है ? यह गुट निरपेक्षता है ? जिस समय हंगरी में काफी पहले रूस ने जा कर इम्रे नेगी को मिटाया उस समय आप की उस समय की सरकार ने भी उस की निन्दा नहीं की । अगर अमेरिक व पनामा पर या मेक्सिको पर कोई अपना अधिकार जताए या उस समय पुर्तगाल की सालाजार की सरकार के अगर मोज़म्बिक और अंगोला पर अपना अधिकार जमाये रही तो वे साम्र ज्यवादी थे लेकिन चीन ने जब तिब्बत पर हमला किया तो आप की सरकार ने तिब्बत पर चीन की सूज़रेनटी को, उस की सार्वभौम सत्ता को स्वीकार कर लिया, यही आप की गुट निरपेक्षता थी ? इस की गुट निरपेक्षता कहते हैं ? यही कारण था कि जब श्रीलंका में इस बार गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन हुआ उस समय जब श्रीमती इंदिरा गांधी वहां गई तो वहां अनेक देशों के प्रमुखों ने इस बात को कहा कि हिन्दुस्तान को हम गुट निरपेक्ष देश नहीं मानते । यह इन के मुंह पर बहुत बड़ा तमांचा था । जो देश कभी इस बात का दावा कर सकता था कि वह गुट निरपेक्ष देशों का अगुवा है, पिछले कुछ दिनों में और पिछले कुछ वर्षों में चव्हाण साहब, आप की सरकार ने उस गुट निरपेक्षता को तिलांजलि दे दी थी । जनता पार्टी की सरकार गुट निरपेक्षता को मानती है वह सही माने में गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकार करती है । अगर ज़िम्बाब्वे में, नामीबिया में और दक्षिण अफ्रीका में जन-अधिकारों का हनन होता है या वहां जनता के अधिकारों की निर्मम हत्या की जाती है तो आप की पुरानी सरकार ने उस की निन्दा की । यह ठीक किया, बहुत ठीक किया । लेकिन जेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और रूस में जब वहां के बुद्धिजीवियों के मानवीय अधिकारों का हनन किया जाता है तो उस के लिए आप की श्रमती इंदिरा गांधी कभी नहीं बोली ? क्या कभी उन्होंने उस रूस व चेकोस्लावाकिया के उन लोगों का समर्थन किया जो मानव अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं ? चेकोस्लोवाकिया के कुछ लोगों ने जो चार्टर–1977 तैयार किया जिस पर वहां के अनेक बुद्धिजीयों के हस्ताक्षर हैं उस के लिए उन लोगों को देश से बाहर

निकाला गया क्या इस के लिए चेक सरकार की निन्दा श्रीमती गांधी ने कभी की ? रूस में वैज्ञानिकों को बाहर निकाला गया, वहां के यहूदी अगर अपने आचार व्यवहार के लिए धार्मिक सम्मेलन करना चाहते थे तो उन को रोका गया, निकाला गया क्या इस की निन्दा आप की श्रीमती इंदिरा गांधी ने कभी की ? इस को हम गुट निरपेक्षता की नीति नहीं मानते । हम तो जनता पार्टी की सरकार से यह निवेदन करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास हैं कि मेरी पार्टी की सरकार .....(**व्यवधान**).....

MR. CHAIRMAN: The time is over. Only one minute.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मैं तो अभी बोल रहा हूं, मैं आप से चाहूंगा कि मुझे कुछ समय और दिया जाये । .....(**व्यवधान**)..... अगर समय हो गया है तो .....(**व्यवधान**).....

MR. CHAIRMAN: I am sorry, time is over. He may continue tomorrow. The House stands adjuorned and we will reassemble tomorrow the 1st of April at 11 A.M.

18.05 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April, 1, 1977/Chaitra 11, 1899 (Saka).

GMGIND—L—142 L.S. JC216—14-4-77—998.